पंचम माला, खंड 58, अंक 1 सोमवार, 8 मार्च, 1976/18 फाल्गुन, 1897 (शक)
Fifth Series, Vol. LVIII, No. 1, Monday, March 8, 1976/ Phalguna 18, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

[खंड 58 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

543 (ai) LS—1

acti

विषय सूची/CONTENTS

अंक 1, सोमवार, 8 मार्च, 1976/18 फाल्गुन, 1897 (शक)

No. 1, Monday, March 8, 1976/Phalguna 18, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members . .	(i)—(x)
सभा के अधिकारी	Officers of the House .	(xi)
मंत्रिमंडल के सदस्यों, राज्य मंत्रियों तथा उपमंत्रियों की सूची	List of Members of the Cabinet, Ministers of State and Deputy Ministers . .	(xiii)— (xv)
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	Oral Answers to Questions—	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1, 2 और 5 से 10	*Starred Questions Nos. 1,2 and 5 to 10	2—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Question—	
तारांकित प्रश्न संख्या 3, 4 और और 11 से 20	Starred Questions Nos., 3, 4 and 11 to 20 .	16—21
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 51, 53 से 68, 70 से 115 और 117 से 122	Unstarred Questions Nos. 1 to 51, 53 to 68,70 to 115 and 117 to 122	21—93
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table .	93—98
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance —	
संसद् के सत्र के ठीक पहले डाक सेवाओं, तार और टेलीफोन की दरों में वृद्धि किया जाना	Increase in the rates of Postal Services, Telegrams and Telephones on the eve of Parliament Session—	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavtar Shastri . .	98
डा० शंकर दयाल शर्मा ।	Dr. Shanker Dayal Sharma	99—103

किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति—	Committee on Papers laid on the Table—	
कार्यवाही-सारांश और प्रथम प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया।	Minutes & First Report laid .	103
बास्सीन संरचना में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज के बारें में वक्तव्य—	Statement Re. Discovery of Oil by ONGC in Bassin structure—	
श्री के० डी० मालवीय	Shri K. D. Malaviya .	103-04
नागालैंड बजट—1976-77—प्रस्तुत	Nagaland Budget-1976-77 presented .	104—
पांडिचेरी बजट—1976-77—प्रस्तुत	Pondicherry Budget-1976-77-presented	107—10
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1975-76—विवरण प्रस्तुत	Supplementary Demands for Grants (General), 1975-76, Statement Presented . .	110—14
भारतीय प्रकाश स्तंभ (संशोधन) विधेयक—	Indian Lighthouse (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री एच० एम० त्रिवेदी	Shri H. M. Trivedi .	. 114-15,16
श्री मुहम्मद इस्माईल	Shri Mohammad Ismail	115
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	116
खंड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1	117-18
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	Motion to Pass, as amended—	
श्री एच० एम० त्रिवेदी	Shri H. M. Trivedi .	118
भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक—	Warehousing Corporations (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	118-19, 122—125
श्री कृष्ण चन्द हाल्दर	Shri Krishna Chand Halder	119—20
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga	120
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	120—121
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar .	121
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo De Sequeira . .	121—122
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha	122

विषय	SUBJECT	PAGES
खंड 2 से 10	Clauses 2 to 10	125
पारित करने का प्रस्ताव––	Motion to Pass—	
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde . . .	125
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक––	High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव––	Motion to consider—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . .	125-26 134-36
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	126-27
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukerjee . . .	127-28
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	129
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyaendra Narayan Sinha .	129-30
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . . .	130-31
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony . . .	131
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	131-32
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri Arbind Bala Pajanor . . .	132-33
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar . .	133-34
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	134
खंड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1 . . .	137-39
पारित करने का प्रस्ताव––	Motion to Pass—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale . . .	139
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक-	Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव––	Motion to consider—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	139
खंड 2 से 6 और 1	Clauses 2 to 6 and 1	139-40
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में––	Motion to Pass as amended—	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	140
कार्य मंत्रणा समिति––	Business Advisory Committee	
59वां प्रतिवेदन प्रस्तुत	Fifty-ninth Report Presented . . .	141

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडू, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फरुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसाहक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)
इस्माइल, हुसैन खां श्री (बारपेटा)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुड़ी)
उलगनबी, श्री आर० पी० (वैल्लर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एगती श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री, एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामाऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)

कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री० (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक, बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हुस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव, श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमती इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बदवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुनझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्धापल्लि)

तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणि, श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देब, श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राव राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (कैसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पचनौर, श्री अरविन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (धंधुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)

पटेल, श्री नानूभाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पास्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायन (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनन्द गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकिप, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्लै, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमि)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े, श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फ़ाजिलका)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन्, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
वीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमक)
ब्रजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)

भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ, भवर श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भाग सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री के० एम० (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री वी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्तदक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवैली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गौधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)

मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)

मोहम्मद यूसूफ, श्री (सिवान)

मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)

मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)

मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)

यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ़)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)

यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)

यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)

यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)

यादव, श्री शरद, (जबलपुर)

यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)

रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)

रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)

राउत, श्री भोला (बगहा)

राज बहादुर, श्री (भरतपुर)

राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)

राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)

राजू, श्री पी० बी० जी० (विशाखापत्तनम)

राठिया, श्री उम्मेद सिंह (रायगढ़)

राधाकृष्णन् श्री एस० (कुडलूर)

रामकंवार, श्री (टोंक)

रामजी राम, श्री (अकबरपुर)

राम दयाल, श्री (बिजनौर)

रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)

राम धन, श्री (लालगंज)

राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)

राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)

राम हेडाउ, श्री (रामटेक)

रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छप्परा)

राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)

रामसेवक, चौधरी (जालौन)

राम स्वरूप, श्री (राबर्ट गंज)

राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)

राय, श्री एस० के० (सिक्किम)

राय, श्री विश्वानाथ (देवरिया)

राय, डा० सरदीश (बोलपुर)

राय, श्रीमती माया (रायगंज)

राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)

राव, श्रीमती बी० राधाबाई, ए० (भद्राचलम्)

राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)

राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)

राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)

राव, श्री के० नारायण (बोब्बिली)

राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)

राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)

राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)

राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)

राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)

राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)

रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)

रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)

रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)

रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)

रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)

रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलबाद)

रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चित्तुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री परेम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफ़ल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शकर देव, श्री (बीदर)
शकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खां (श्री मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)

शैलानी, श्री चन्द (हाथरस)

शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)

संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)

सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)

सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)

सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)

सत्यनारायण, श्री बी० (पार्बतीपुरम)

सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)

सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)

सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)

साठे, श्री वसन्त (अकोला)

सामन्त, श्री एस० सी० (तामलुक)

सामिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलयम)

साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेथूल)

सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)

सावित्री, श्याम, श्रीमती (आंवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर, (वीरभूम)

सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)

सिन्हा, श्री धर्मवीर, (बाढ़)

सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)

सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)

सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)

सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)

सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)

सिंधिया, श्री माधुवराव (गुना)

सिंधिया, श्रीमती बी० आर० (भिंड)

सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)

सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)

सुब्रावलु, श्री (मयूरम)

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)

सैकैरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)

सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)

सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, डा० रानेन (बारसाट)

सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)

सैनी, श्री मूल्कीराज (देहरादून)

सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)

सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)

सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)

सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)

सोहनलाल, श्री टी० (करौलबाग)

स्टीफन, श्री सी० एम० मुवत्तु (पुजा)

स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)

स्वामीनाथन, श्री आर० वी० (मुदुरै)

स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोपपल)

स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)

हनुमन्तैया, श्री के० (बंगलौर)

हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)

हरि सिंह, श्री (खुर्जा)

हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)

हालदार, श्री माधुर्य्य (मथुरापुर)

हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (ग्रौसग्रोम)

हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

हूडा, श्री नुरुल (कछार)

होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वंसत साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थासारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

543 (ai) LS—2

भारत सरकार

मन्त्रीमण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढिल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम

मन्त्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मन्त्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन।
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मन्त्री

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उपमन्त्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरूआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रोलय में उपमंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एस० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
ससदीय कार्य विभाग में उप-मत्री	श्री बी० शंकरानन्द
ऊर्जा मत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 8 मार्च, 1976/18 फाल्गुन, 1897 (शक)

Monday, March 8, 1976/Phalguna 18, 1898 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने एक सहयोगी, श्री मोईनुल हक चौधरी तथा एक भूतपूर्व सहयोगी श्री के० सी० रेड्डी के दुखद निधन की सूचना देनी है ।

श्री मोईनुल हक चौधरी जिनकी मृत्यु 53 वर्ष की आयु में 13 फरवरी, 1976 को नई दिल्ली में हुई थी आसाम के धुबरी निर्वाचन क्षेत्र से इस सदन के सदस्य थे । उन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन एक वकील के नाते शुरू किया तथा 1952 में वे आसाम विधान सभा के लिये निर्वाचित हुये जिसके सदस्य वे 1971 तक रहे । 1957 से 1967 तक वे आसाम सरकार में मन्त्री रहे तथा अनेक विभागों के कार्य को कुशलतापूर्वक निभाया । वे अपने राज्य की अनेक शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे तथा अनेक धार्मिक संस्थाओं से भी उनका सम्बन्ध रहा । 1960 से 1967 तक उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया, 1968 में उन्होंने सौदी अरब के लिये भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया और 1969 में कुआला लम्पुर में विश्व इस्लामिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया । श्री चौधरी मार्च, 1971 में केन्द्र में औद्योगिक विकास मन्त्री बने और जुलाई, 1972 तक उस पद पर बने रहे । 1972 के मध्य में उन्हें अनेक यूरोपीय देशों में बंगला देश के प्रश्न पर भारत की स्थिति स्पष्ट करने के लिये विशेष दूत नियुक्त करके भेजा गया और विदेशों में भारत की सही तस्वीर पेश करने के लिये उन्होंने सहायता प्रदान की । वे सुशील स्वभाव वाले एक सुसंस्कृत व्यक्ति थे । वे सभा की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे । उनकी मृत्यु से देश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ तथा प्रसिद्ध संसद्विद् खोया है ।

श्री के० सी० रेड्डी की मृत्यु 74 वर्ष की आयु में 27 फरवरी, 1976 को बंगलौर में हुई । उनका संसदीय जीवन बहुत लम्बा रहा है । 1930 से लेकर वे 22 वर्ष तक मैसूर विधान सभा के सदस्य

रहे । उसके बाद वे 1952 से 1957 तक राज्य सभा तथा 1957 से 1965 तक लोक सभा के सदस्य रहे । 1947 से 1950 तक वे संविधान सभा के भी सदस्य रहे । वे भूतपूर्व मैसूर राज्य के स्वतन्त्रता सेनानी रहे तथा 1947 में उन्होंने मैसूर राज्य में ज़िम्मेवार सरकार स्थापित करने के लिये आन्दोलन छेड़ा । एक अच्छे प्रशासक तथा अच्छे व्यक्ति होने के नाते, वे 1947 से 1952 तक मैसूर के मुख्य मन्त्री रहे । 1952 में वे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में आये और 1963 तक उन्होंने अनेक विभागों के कार्य को कुशलतापूर्वक निभाया । 1965 में उन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया और वे 1971 तक उस पद पर बने रहे । उन्होंने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और 1961 में जेनेवा में हुए जी० ए० टी० टी० सम्मेलन के लिये इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया । उनकी मृत्यु से देश ने एक महान राजनीतिज्ञ, सफल प्रशासक तथा देशभक्त खो दिया है ।

हम इन मित्रों के निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों को संवेदना भेजने में सदन मेरे साथ है ।

सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिये कुछ देर मौन खड़े रहें ।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे ।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Rehabilitation of Indians From Burma, Sri Lanka, Uganda and Mozambique

*1. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of families of Indians which came to India from Burma, Sri Lanka, Uganda and Mozambique during 1974 ;

(b) steps taken to rehabilitate them and the amount of assistance provided to them for rehabilitation ; and

(c) the total expenditure involved ?

The Minister of Supply and Rehabilitation (Shri Ram Niwas Mirdha) :

(a) The required information is as follows :

	Arrivals during 1974
(i) Burma repatriates	2420 families by sea and 93 persons by air.
(ii) Sri Lanka repatriates (under the Indo-Sri Lanka agreement)	10643 families.

There were no repatriates from Uganda and Mozambique during 1974.

(b) A Statement is laid on the Table of the Sabha giving the details of the schemes for the rehabilitation of the repatriates from Burma, Sri Lanka, Uganda and Mozambique. (Placed in the Library. *See* No. L.T.-10368/76).

(c) An expenditure of Rs. 4.18 crores was incurred on relief and rehabilitation of the repatriates from Burma, Sri Lanka, Uganda and Mozambique during

Shri M.C. Daga : May I know from the hon. Minister as to when these Schemes were formulated because the amount sanctioned is too meagre either for purchasing a residential plot in a city or agricultural land or for investment in business. May I also know the number of repatriated families resettled in Government services or business or farming and whether anybody can purchase a plot with Rs. 600/- or a house can be built with only Rs 3000/- and also whether he proposes to make certain changes in these schemes?

Shri R.N. Mirdha. We take into consideration all the aspects of these schemes from time to time. As I have told you, these schemes were revised last year. The amount of loans has been fixed keeping in view, the rise in prices and the minimum needs so that help could be provided to everybody. Financial position of some of the repatriates is comparatively better and they are able to resettle themselves with this help.

In addition to this the repatriates can derive benefits of various schemes of industrialisation etc. Moreover this is only the first step for their rehabilitation. They are given help in some other ways also. They are being adjusted in services, educational and hoste facilities are being arranged for their children. I have given detailed information in my reply consisting of 4 pages. I will request the hon. Member to go through that.

Shri M.C. Daga : May I know the number of families which have been made self dependent ?

Mr. Speaker : He should ask a second question.

Shri R. N. Mirdha : The term self-dependent is very comprehensive. We are trying to provide immediate help to those who are coming from foreign countries and efforts are being made to allow them opportunities to stand on their own feet. They should also mingle with the national mainstream.

डा० रानेन सेन बर्मा से जो लोग आये हैं उनमें अधिक संख्या बंगालियों की है जो छोटे व्यापारी या कार्यालयों में काम करने वाले हैं लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश और बिहार में कृषि परियोजनाओं में लगाया जा रहा है। लंका से आये लोगों को भी ऐसे ही कार्यों में लगाया जा रहा है । ये लोग वहां कैसे लाभदायक सिद्ध हो सकेंगे । क्या सरकार ने इस विषय में विचार किया है । बर्मा से आने वाले बंगालियों की क्या स्थिति है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : बर्मा से आने वाले लोग विभिन्न श्रेणियों से सम्बन्धित हैं । पहले आने वालों में अधिकतर लोग व्यापार में लगे थे लेकिन बाद वाले ग्रुप में लोग कृषि व्यवसाय में भी लगे थे । ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में लगे लोगों और शहरी क्षेत्रों में काम धंधों में लगे लोगों के लिए हमारे पास पृथक-पृथक योजनाएं हैं । हमारी नीति यह है कि बर्मा से आये लोगों को जहां तक हो सके उन्हीं राज्यों में भेजा जाये जहां के वे हों । कृषि परियोजनाओं में उन्हीं लोगों को लगाया जाता है जो खेती-बाड़ी का काम करते रहे हों ।

श्री जगन्नाथ राव: बर्मा से आये कई हजार लोगों को उड़ीसा में बसाया गया है लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को मकान या व्यवसाय के लिए कोई ऋण नहीं दिया गया है । क्या सभी को सहायता नहीं मिलती ?

श्री रामनिवास मिर्धा : बर्मा से आने वालों में से 3072 लोगों को उड़ीसा में बसाया गया है । उनको भी सभी प्रकार की सहायता मिलती है। यदि उन लोगों को ऐसी साहयता मिलने का अवसर प्राप्त

नहीं हुआ अथवा सदस्य महोदय को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो वह कृपया मुझे लिख कर सूचित करें। मैं निश्चित रूप से उन लोगों को सहायता दिलवाने का प्रयास करूंगा।

बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं द्वारा हिमालय की नदियों को बांधना

*2 **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं से हिमालय की नदियों को बांधने के बारे में 12 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच भारत और नेपाल के उच्च स्तरीय दलों में अगली बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या बड़ाक्षेत्र के निकट कोसी नदी पर तीन लाम 'हाई डेम' बांध सीसपानी के निकट कमला नदी पर बैराज के निर्माण और तलहटी के निकट बागमती नदी पर भी बराज बनाने के बारे में बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Bhogendra Jha : On the 12th January, 1976, the hon. Minister Shri Jagjivan Ram in reply to a question had said that if separate questions were asked about specific schemes. the detailed replies would be given. In part (c) of the question information has been sought about specific schemes. The construction of a dam near Barahkshetra would have resulted in the generation of 18 lakh k.w .of power and 40 lakh acres of land being irrigated. But this dam was not constructed at that time because the country was unable to utilise this capacity at that time. Whether Government have taken any initiative to hold talks with Nepal ? Talks with Nepal were held earlier also and I have got the details. The hon. Minister also posses-ses those details. What is the latest position in this regard.

Shri Kedar Nath Singh : One delegation was to visit Nepal on the 9th, 10th and 11th of this month but the visit was postponed at the request of the Nepal Government. Now whenever this visit takes place, the projects will definitely be discussed.

Shri Bhogendra Jha : What is the outcome of the talks held so far.

Shri Kedar Nath Singh : Talks were held not on one specific project but overall situation was being taken into consideration.

Shri Bhogendra Jha : The hon. Minister had stated last time that the Nepal Government has agreed to the proposal for investigation. What is the latest position in regard to the investigation. Floods are causing havoc in North Bihar and other areas due to lack of forecasting arrangements. What steps Government propose to take in this regard?

Shri Kedar Nath Singh : Talks have not held in regard to any specific project. Angreement has been reached on Jalkhundi Scheme on Rapti river.

Shri Chandrika Prasad : What about Tehri Dam in U.P. Is there any scheme for the construction of a barrage ?

The Speaker : This question is about Himalayan Rivers.

चूहों से खाद्यान्नों की क्षति

*5. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने चूहों से प्रति वर्ष हुई अनाज की क्षति का कोई अनुमान लगाया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : अखिल भारत आधार पर चूहों द्वारा हुई क्षति के ठीक-ठीक अथवा विश्वासनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। 1967 में खाद्यान्नों की कटाई के बाद क्षति सम्बन्धी समिति ने अनुमान लगाया था कि भण्डारण में चूहों से लगभग 2.5 प्रतिशत की क्षति होती है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : चूंकि समिति ने 1967 में प्रतिवेदन दिया था और अब 1976 आ गया है । क्या अब कुछ अनुमान लगाया गया है कि भण्डारण में और कितनी हानि हुई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इस बारे में अध्ययन तो किया गया है लेकिन भण्डारण में कितना नुकसान हुआ है इसका विशेष अध्ययन नहीं किया गया । उदाहरण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की एक समन्वित योजना के अधीन किये गये अध्ययन से पता चला कि जौ, गेहूं, धान, मूंगफ़ली, मक्की और ज्वार को 2.5 से 11.8 प्रतिशत की हानि हुई है । कृषि अनुसंधान संस्थान के अन्य अध्ययन के अनुसार धान की फ़सल की हानि 1.6 से 4.2 प्रतिशत तक हुई है । इस प्रकार दोनों के आंकड़ों में अन्तर है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : भण्डारण से पूर्व फ़सल को कीड़ों-मकोड़ों के कारण कितनी हानि हुई ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : प्रश्न तो चूहों के बारे में था ।

अध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र ।

Shri Bibhuti Mishra: Sir, only the farmers can assess the loss to crops caused by rodents. May I know whether Government have arranged any rodenticide to kill rodents ? These roden destroy the crops standing even in water. The menace by rodents is very wide.

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : जिंक फ़ॉसफ़ाईड और अल्यूमीनियम फॉसफाइड जैसी कुछ दवाएं हैं जो चूहों के बढने से रोकती हैं । राज्य सरकारों और गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से ये दवाएं सारे देश में किसानों को आसानी से उपलब्ध हैं ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार : क्या चूहों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है ? क्या उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है या उनकी संख्या कम हो रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : चूहों की संख्या का ठीक अनुमान लगा पाना तो कठिन है । एक बार इसके बारे में अनुमान लगाया गया था परन्तु मुझे यह मालूम नहीं है कि वह कहां तक ठीक है । यह अनुमान लगाया गया था कि चूहों की संख्या तथा मनुष्यों की संख्या में 6:1 का अनुपात है । इसका अर्थ यह हुआ कि चूहो की संख्या मनुष्यों से छः गुणा अधिक है । डा० पारपिया ने चूहों की संख्या का अनुमान 50,000 लाख लगाया था परन्तु मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक ठीक है ।

वनस्पति प्रोटीन परियोजनायें

***6. श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जनसाधारण के लिए वनस्पति प्रोटीन के स्रोतों में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है ;

(ख) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन इस बारे में देशों की सहायता कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो भारत में खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता प्राप्त कितनी परियोजनाएं चल रही हैं; सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं की संख्या कितनी है। आवश्यकताओं की पूर्ति किस सीमा तक हो रही है ; और

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान प्रोटीन के इन स्रोतों में वृद्धि करने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई है ?

कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क), (ख), (ग) और (घ) एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

(क) वनस्पति प्रोटीन मुख्यतः अनाजों, फ़लियों तथा तिलहन से प्राप्त किया जाता है । यदि इनसे और अन्य स्रोतों से उपलब्ध प्रोटीन सही ढंग से प्राप्त किया जाए, समान रूप से वितरित और प्रयोग किया जाए तो जनता की कुल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश का वर्तमान उत्पादन पर्याप्त होना चाहिए।

(ख), (ग) और (घ) वनस्पति प्रोटीन के स्रोतों को बढ़ाने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन की सहायता से कोई विशिष्ट परियोजना नहीं चल रही है । तथापि सरकार ने बेहतर बीजों और सुधरे-तरीकों के माध्यम से देश में अनाजों तथा दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पग उठाए हैं क्योंकि ये जनता के लिए वनस्पति प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। सरकार के खाद्य विभाग ने भी मुगफ़ली तथा सोयाबीन 'मील' जैसे प्रोटीन के अपरम्परागत स्रोतों की खपत बढ़ाने के लिए पग उठाए हैं ताकि अनाजों तथा दालों से प्रोटीन की उपलब्धता अनुपूरित की जा सके ।

श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : हमारे देश में प्रोटीन की औसत काफ़ी कम है और सोयाबीन में अन्य सब्जियों की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने स्टाक में पड़ी हुई सोयाबीन लोगों को बेचने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? राज्य सरकारों के स्टाक में पड़ी सोयाबीन की स्थिति क्या है? इस प्रकार के समाचार मिले है सोयाबीन को बिल्कुल नहीं बेचा जा रहा है। विदेशों से लाये गये अधिक प्रोटीन सम्पन्न, इस सब्जी वाले प्रोटीन के पौधे को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या किया गया है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : सोयाबीन उत्पादन तथा अनुसंधान कार्यक्रम अभी बढ़ रहा है तथा इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कुछ प्रगति हुई है। मैं सदन की जानकारी के लिए यह बता दूं कि विशेषज्ञों की सूचना के अनुसार हमारे देश में उपलब्ध सामान्य प्रोटीन की उपलब्धता हमारी आवश्यकता से कम नहीं है परन्तु इसका वितरण ठीक ढंग से नहीं हो पाता

है । यही कारण है कि हमारे समाज के एक बड़े हिस्से को विशेषतया कम क्रय शक्ति वाले वर्ग को तथा उन में से भी खासकर 1 से 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाती है । अन्यथा देश में इसकी कुल उपलब्धता पर्याप्त है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : जहां तक प्रोटीन का सम्बन्ध है वह सोयाबीन में काफ़ी अधिक होता है । देश में सोयाबीन को परिष्करण करने वाले संयंत्र की स्थापना करने के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा क्या किया जा रहा है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सोयाबीन के उत्पादन तथा उसे परिष्कृत करने के लिए सभी प्रकार की अनुसंधान सम्बन्धी सहायता दी जा रही है । पंत नगर विश्वविद्यालय द्वारा विशेष कार्य किया जा रहा है तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा भी इसके लिए विशेष कार्य किया जा रहा है । भारतीय खाद्य निगम भी सोयाबीन के परिष्करण में रुचि रखती है । यदि माननीय सदस्य कोई अन्य सुझाव देना चाहते हैं तो हम उसका भी स्वागत करेंगे ।

श्री रण बहादुर सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सोयाबीन का परिष्करण करने वाले अधिकांश कारखानों के अभाव में उसकी बिक्री में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है और यदि हां तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह एक ऐसा सुझाव है कि जिस पर अमल किया जा सकता है ।

मगर बैंक

*7. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के डा० वी० जान वाण्डरमुलर ने देश में विशेषतया उड़ीसा में मगर-बैंक स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैंक के लिये उड़ीसा राज्य के उपयुक्त होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उन्होंने उड़ीसा में विशेषतया महानदी तथा वैतरनी नदियों में टिकरपारा तथा भीतरकामिका स्थलों पर मगर पालन की बहुत प्रशंसा की है ; और

(घ) यदि हां, तो इन दो नदियों का सुझाव क्यों दिया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) से (घ) तक : एक विवरण आगे दिया जाता है ।

विवरण

(क) खाद्य तथा कृषि संगठन के सलाहकार डा० एच० आर० बस्टेंड ने भारत में मगर पालन की सम्भावनाओं का एक प्राथमिक सर्वेक्षण करने के बाद सुझाव दिया कि मगर पालन परियोजना के लिए उड़ीसा एक अत्यन्त अनुकूल स्थल है ।

(ख) उड़ीसा को इसलिए चुना गया था क्योंकि मगर कि जिन किस्मों के समाप्त हो जाने का खतरा है वहां उनके संरक्षण की अत्यंत उपयुक्त जगह है ।

(ग) जी हां ।

(घ) घड़ियाल सतकोसिया की तंग घाटी (जहां टिकरपारा स्थित है) में रहते हैं और यहां के घड़ियाल रहने की अच्छी जगह है । भितरकनीका मगरों के रहने की अत्यधिक खारे पानी की जगह है जहां पहले भारी संख्या में मगर रहते थे । इस संकरी खाड़ी में दो युवा मगर रहते हैं । आश्रस्थलों का भी पता लगाया गया था । जिनसे अच्छे प्रजनन व स्रोतों के संकेत मिलते है ।

Shri Rajdeo Singh: I want to know from hon. Minister whether Dr. V. John Vordermul who belongs to F.A.O. was directed by that organisation to survey the rivers of Orissa and submit a report or he did so at the request of Government of India ? Secondly, I also want to know whether Dr. V. John surveyed the rivers of Orissa only or he surveyed the other rivers of the country also ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : खाद्य तथा कृषि संगठन के डा० बर्स्टंड हमारे निमंत्रण पर भारत आये थे और उन्होंने केवल उड़ीसा का ही नहीं अपितु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडू का दौरा भी किया । मगरों की नस्ल सम्बन्धी विशेषज्ञ जानकारी अधिकांश देशों में उपलबध नहीं है और हमारे देश में भी उनकी नस्ल काफी कम होती जा रही है इसलिए हमें इसके बारे में काफी चिंता है । अब हम उन्हें वन्य जीव अधिनियम के अन्तर्गत ले आये है । इस के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

Shri Raj Deo Singh: Mr. Speaker, Sir, the Batewa river of Madhya Pradesh falls into Yamuna river after passing through the district of Hamirpur. In district Hamirpur, there is village named Magroot in which a good number of croccdiles and Gharials can be seer. May I know if Batewa river has been surved or not ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : हम उसका भी पता लगायेंगे ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें मगरों की नस्ल की चिंता है या वह मगर मच्छ के आंसू के बारे में चिंतित है ?

श्री पी० गंगादेव : श्रीमान जी चूंकि मगर पालन की योजना को विशेष रूप से उड़ीसा में आरम्भ करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन के विशेषज्ञ द्वारा जोरदार सिफारिश की गई है,

श्री पी० गंगादेव : खाद्य और कृषि संगठन (एफ० ए० ओ०) ने बड़े जोरदार शब्दों में सिफारिश की है कि उड़ीसा में मगरमच्छ पालन केन्द्र स्थापित किया जाये । उड़ीसा में यह एक वाणिज्यिक परियोजना होने के साथ साथ भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन भी होगा । उड़ीसा सरकार ने भी यह योजना स्वीकार कर ली है तो अब उसे कार्यान्वित करने में झिझक किस बात की है । इस बारे में यू० एन० डी० पी० और एफ० ए० ओ० से वित्तपोषण की समस्या के बारे में क्या बातचीत हुई है ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मेरे मंत्रालय द्वारा उड़ीसा योजना के लिए आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध कर दिया गया है और प्रशिक्षित व्यक्ति भी उपलब्ध कर दिये गये हैं।

गन्ने के उत्पादन में कमी

*8. **श्री के० एम० मधुकर :**
श्री सी० जनार्दनन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुमान लगाया गया है कि गन्ने के कुल उत्पादन में कम से कम 50 लाख टन की कमी होगी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने हेतु क्या उपाय किये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) :

(क), (ख) और (ग) 1975–76 में गन्ने के उत्पादन के अंतिम अनुमान राज्य सरकारों से अभी नहीं मिले है। तथापि दूसरे अनुमान के अनुसार जिसमें इस फसल के अंतर्गत क्षेत्र के प्रारम्भिक अनुमान है, गन्ने के अंतर्गत क्षेत्र में 4.2 प्रतिशत बढ़ोतरी का उल्लेख है।

Shri K. M. Madhukar: The condition of sugar cane-growers in the country is very bad because of Government's appeasement policy towards the sugar mill owners. The cane growers in Bihar and Uttar Pradesh have lost interest in the production of cane because their arrears are not being cleared by the sugar mill owners. I want to know if any scheme has been formulated in this regard ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह प्रश्न गन्ना उत्पादकों के सम्बन्ध में है। प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध कृषि विभाग से है और दूसरे का चीनी तथा वनस्पति विभाग से। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है चीनी मिलो के आस पास के क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे पास एक योजना है। उत्तर भारत में ऐसी भूमि लगभग 2000 हेक्टेयर और दक्षिण भारत में लगभग 1000 हेक्टेयर है।

Shri K. M. Madhukar: I want to know if any delegation of All India Kisan Sabha had met the Agriculture Minister to submit certain suggestions for increasing the sugarcane production. What steps have been taken in this regard ?

श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य को अलग से प्रश्न पूछना चाहिये।

Shri Sarjoo Pandey: May I know whether it is a fact that the sugarcane production has gone down by 50 lakh tonnes and the farmers are not interested in sugarcane production because remunerative price is being denied to them, if so, the action taken by the Government in this regard ? Moreover the price of sugarcane varies from place to place which has discouraged the farmers. The price in south India is Rs. 8·25 and in certain parts it is Rs. 11·00 and Rs. 12·00.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह कहना ठीक नहीं है कि गन्ने का उत्पादन कम हो रहा है। वास्तव में अब अधिक क्षेत्र में गन्ना बोया जा रहा है और उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को गन्ने के उचित दाम मिलें। इसलिये गन्ने के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

श्री डी० के० पंडा : क्या यह सही नहीं है कि गन्ना कम क्षेत्र में बोया जा रहा है जिससे उत्पादन कम हुआ है। क्या प्रत्येक राज्य के बारे में अनुमान लगाया है कि वहां पर कितने कम क्षेत्र में गन्ना बोया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उसका उत्तर दे चुके हैं।

Shri Ramavatar Shastri: All the sugar mills in the country have their own agricultural farms, the acreage of which runs into lakhs. This land is lying vacant. What action the Government have taken to ensure production on this land ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी नये राष्ट्रीय मार्गदर्शी नियमों के अन्तर्गत किसी भी मिल के पास 100 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिये उस भूमि का उपयोग भी प्रयोग तथा अनुसंधान कार्यों के लिये किया जाना चाहिये। उस सीमा से अधिक भूमि को सरकार अपने हाथ में ले लेगी किसी भी राज्य को गन्ने के उत्पादन के लिये कोई छूट नहीं दी गई है।

Shri Narsingh Narain Pandey: Has he made any estimate to assess the corresponding increase in the sugar production when the area under sugar cane has increased by 4 percent? Have you formulated any scheme to develop the sugarcane development activities in U.P. and Bihar as a project so that area, yield and production may increase ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस वर्ष सारे देश में वर्षा की स्थिति अच्छी रही और खाद की भी कोई कठिनाई नहीं आई। इसलिये हमारा अनुमान है कि गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ अधिक ही होगा। मेरे मंत्रालय का भी यही आग्रह रहा है कि गन्ना विकास गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाये। इस बारे एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी है। उत्तर भारत में विशेष रुप से विकास करने और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिये मिलों के आस पास लगभग 5000 एकड़ भूमि का उपयोग किया जायेगा और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव है।

भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्विति

*9. **श्री वसन्त साठे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय ने अपने अद्यतन पुर्नविलोकन में यह यह विचार व्यक्त किया है कि राज्य सरकारों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने सम्बन्धी पुनरीक्षित कानूनों की क्रियान्विति में धीमी प्रगति हुई है :

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कार्यक्रम की क्रियान्विति में क्या मुख्य बातें रुकावट हो रही है ; और

(ग) भूमि सुधार की क्रियान्वित मे तेजी लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्यों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की अद्यतन समीक्षा से पता चलता है कि पिछले कई महीनों में क्रियान्वयन की गति तेज हुई है। संलग्न विवरण में सम्बंधित व्यौरा दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०--10369/76]

क्रियान्वयन तेजी से क्यों नहीं हो सका है इसके मुख्य कारण नीचे दिये गये है :

बहुत से मामलों में जोत की अधिकतम सीमा सम्बंधी कानूनों के क्रियान्वयन में न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया। ऐसा हस्तक्षेप विशेषकर उच्च न्यायालयों द्वारा अपने रिट सम्बन्धी अधिकार का उपयोग करते हुए अंतरिम व्यादेश जारी करके किया गया। कुछ राज्यों में उच्च न्यायालयों ने अधिकतम सीमा संबंधी कानून के विशिष्ट उपबंधों को निकाल दिया है जिसके फलस्वरूप कार्यान्वियन प्राधिकारियों को आमतौर से इन कानूनों का क्रियान्वयन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में भू-स्वामियों ने सामान्य सूचना के बहुत कम उत्तर दिए हैं जिसमें उनसे कहा गया था कि वे अपनी जोतो के बारे में अपेक्षित ब्यौरा दें इसके कारण प्रशासन को ऐसे दोषी भू-स्वामियों के कब्जे की भूमि का आवश्यक बयौरा एकत्र करने के लिये बड़े पैमाने पर कार्यवाही करनी पड़ी है। कुछ राज्यो में निर्धारित पद्धति बड़ी बोझिल है और इस में बड़ा समय लग जाता है जिससे तेजी से क्रियान्वयन नहीं हो पाता। तेजी से क्रियान्वयन न किये जाने का एक कारण यह भी है कि धनराशि न मिलने के फलस्वरूप प्रशासनिक ढांचा सुदृढ़ नहीं हो पाता है। अधिकारों के उचित रिकार्ड की कमी क्रियान्वयन में विलम्ब का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है।

भारत सरकार ने इन सभी मुददों पर विचार विमर्श करने के लिये पिछले सप्ताह राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया था। इस सम्मेलन ने क्रियान्वयन की पद्धति को सरल बनाने, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और सर्वेक्षण की विस्तृत पद्धति अपनाने और बन्दोबस्त संबंधी कार्य किये बिना ही काश्तकारों, बटाईदारों तथा अन्य असुरक्षित भूस्वामियों के अधिकारों के रिकार्ड का तेजी से अभिलेखन करने के लिये अनेक सिफारिशें की हैं। यह भी प्रस्ताव है कि इस बात की जांच की जाए कि भूमि सुधार संबंधी कानूनों को न्यायालयों के क्षेत्र से अलग रखने के लिए किन कानूनी और संवैधानिक उपायों की आगे और जरूरत है।

श्री वसन्त साठे : विवरण में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि 50 प्रतिशत से भी अधिक मामले लम्बित हैं। जो मामले निपटाये गये भी हैं उनके लिये भी उच्च न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लिये गये हैं। और अब तक घोषित 9,03,238 एकड़ कुल फाल्तू भूमि में से केवल 1,20,045 एकड़ भूमि ही वितरित की जा सकी है। केवल 88,311 लोग ही लाभान्वित हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि वितरण व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। न्यायिक हस्तक्षेप के कारण प्रशासन तन्त्र भी कार्यकुशल नहीं रहा है। सरकार इस बारे में क्या कर रही है? क्या आप ऐसे उपाय नहीं कर सकते जिससे न्यायालयों के फैसले शीघ्र हों और न्यायिक हस्तक्षेप समाप्त किया जा सके।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक भूमि सुधारों के लागू किये जाने का प्रश्न है देश में कभी भी इतनी जागृति न थी जितनी इस समय है। भारत सरकार भूमि सुधारों को बहुत गम्भीरता से लेती है। मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन म जिसमें प्रधान मन्त्री तथा श्री जगजीवन राम मौजूद थे यह सिफारिश की गई कि जून मास में अन्त तक भूमि सुधारों का कार्य पूरा कर लिया जाये। उन मामलों को छोड़ा जा सकता है जिनमें न्यायालयों से रोकादेश आदि प्राप्त कर लिये गये हैं। विधि मन्त्रालय को सुझाव दिया गया है कि वे यह बतायें कि क्या न्यायालयों के हस्तक्षेप को बड़े पैमाने पर न होने देने के लिए संविधान में संशोधन करने आवश्यक हैं। सदस्य महोदय ने दूसरी बात यह कही थी कि उच्च न्यायालयों से यह अनुरोध किया जाये कि निजी मामलों को शीघ्र निपटाया जाये। इस मामले पर चर्चा की गई थी और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले पर गौर करें। जहां तक न्यायिक हस्तक्षेप का प्रश्न है हमने इन नियमों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करके उन्हें बहुत संरक्षण दिया है। केवल 2 या 3 राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है। क्योंकि वहां ये नियम राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप न थे लेकिन राज्य सरकारें उन पर शीघ्र अमल करेंगी ऐसी आशा है। कुछ और भी कठिनाइयां हैं जिन पर विधि मन्त्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है। राज्य सरकारें भी शीघ्र कार्यवाही करेंगी ऐसी आशा है।

श्री वसन्त साठे : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि सदन के नेता द्वारा कई बार यह कहा गया है कि आम जनता को भागीदार बनाये जाने के काम पर जोर दिया जाये। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भूमि सुधारों का अधिकतर लाभ भूमि हीनों, पिछड़े लोगों को मिलेगा और उन्हें भूमि दी जानी है लेकिन वितरण मशीनरी में ऐसे लोगों को आज तक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। निम्नस्तर के लोगों को भूमि सुधार के काम में शामिल करने और जन-न्यायाधिकरण या जन समितियां बनाने की दिशा में क्या कार्य किया गया है। भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों को पूरी तरह ठीक करने के लिए और भूमि वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने की दिशा में क्या कार्य किया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक मेरे मन्त्रालय और भारत सरकार का सम्बन्ध है हमने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के काम में जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये। कुछ राज्यों में ऐसा हुआ है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। इस समस्या के और अध्ययन से पता चला है कि प्रक्रिया का सरलीकरण अति आवश्यक है। अधिकतर मुख्यमन्त्री इस सिफारिश से सहमत हो गये कि प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाना चाहिये। मेरे मन्त्रालय ने भी ऐसा वचन दिया है कि जिन राज्यों में प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है, उस सम्बन्धी जानकारी को वह अन्य राज्यों में भी पहुंचा देगा। अधिकतर मुख्यमन्त्रियों ने कहा है कि न्यायिक हस्तक्षेप वाले मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सभी कार्य 30 जून तक पूरे हो जायेंगे।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं जान सकता हूं कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी यह बात उठाई गई थी कि लगभग सभी राज्यों में **भागचारियों** द्वारा दायर किये गये मामलों में 95 प्रतिशत निर्णय किसानों और बटाईदारों के विरुद्ध गये हैं अर्थात् जमींदारों के पक्ष में गये हैं और पट्टेधारियों की सहायता के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिये गये निदेशों के बावजूद भी उनको बेदखल किया गया है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। राज्य सरकारें बटाईदारों के हितों की रक्षा करना चाहती हैं। हम ने भी राज्य सरकारों को ऐसा करने का परामर्श दिया है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मैं अपने मित्र श्री वसंत साठे से सहमत हूं कि व्यक्तिगत मामले के शीघ्र निपटान से कोर्ट स्तर पर विलम्ब समाप्त हो जायेगा। परन्तु क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई है कि अधिकांश उच्च न्यायाल यमामलों में विलम्ब न्यायालयों द्वारा नहीं किया गया बल्कि राज्य सरकारें अपने विधि अधिकारियों को मामले की पैरवी के लिए नहीं भेज सकीं? इस स्थिति में क्या इस बात पर भी चर्चा की गई कि क्या सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिये कुछ तदर्थ व्यवस्था, वकीलों की तदर्थ नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि इस मामले को और भी शीघ्रता से निपटाया जाये, विधि की उपलब्धता और प्रक्रिया के सरलीकरण जैसी अन्य बातों पर, जिनमें कई वर्ष लगेंगे, बाद में विचार होता रहेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विचाराधीन न्यायिक मामलों के बारे में राय प्रकट करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। परन्तु हमें इस बात पर वास्तव में आश्चर्य है कि संविधान की नवम अनुसूची में संरक्षण के बावजूद भी उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों द्वारा हजारों समायाचिका गृहीत की जाती हैं। यह एक या कुछ सौ मामलों का प्रश्न नहीं है बल्कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में ऐसे हजारों मामलों पर विचार किया गया है। हम ने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है।

अध्यक्ष महोदय: वह व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस बारे में भी हम ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उच्च न्यायालयों में पड़े ये सभी मामले शीघ्र निपटाये जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : भारत सरकार ने यह घोषणा करके कि भूमि सुधार कार्यक्रम 30 जून तक पूरा हो जायेगा, एक बहुत बड़ा काम अपने ऊपर लिया है। यह एक भारी काम है जो सरकार 3 महीने की अवधि में पूरा करना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी कि कुछ संवैधानिक संशोधन विगत प्रभाव से लागू किये जायेंगे ताकि भूमि हदबन्दी, फालतू भूमि आदि के प्रश्न पर समायाचिका के पहलू को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जा सके जैसाकि अन्य मामलों में किया गया है। यदि चुनाव विवादों को विगत प्रभाव से निष्फल घोषित किया जा सकता है तो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण मामले के बारे में इसी प्रकार का संवैधानिक संशोधन लागू न करने के क्या कारण हैं? यदि इस पर चर्चा की गई है तो उसका क्या परिणाम निकला है?

दूसरे, तालिका से पता चलता है कि वास्तविक रूप से बांटी गई भूमि कब्जे में की गई कुल भूमि का एक-चौथाई है। कब्जे में ली गई भूमि का शीघ्र वितरण नहीं किया जा रहा है। उसका क्या हुआ? मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया है। सरकारी कब्जे में आई भूमि का 25 प्रतिशत से अधिक वितरण न करने के क्या कारण हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, इस पहलू पर बैठक में चर्चा की गई थी और विधि मंत्री से इस बात की जांच करने का अनुरोध किया गया है कि विभिन्न राज्यों में हदबन्दी कानूनों को लागू करने के लिये अधिनियमों में और संविधान में कौन-कौन से संशोधन आवश्यक हैं। मुझे विश्वास है कि इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

(**व्यवधान**)

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं। अब कुछ क्षेत्रों में फसल खड़ी हुई है और अधिकांश मामलों में रबी की फसल खड़ी हुई है।

(व्यवधान)

राज्य सरकार के सामने इस फालतू भूमि का शीघ्र वितरण करने में कोई कठिनाई नहीं है परन्तु कुछ समय अवश्य लगेगा। इस भूमि के फालतू तथा आवंटित घोषित किये जाने के तुरन्त बाद यह भूमि अलाटियों के नाम कर दी जायेगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें कम से कम समय लगे। फसल काटने के बाद भूमि के कब्जे का अन्तरण किया जायेगा।

(व्यवधान)

गोआ में कृषि भूमि का दुरुपयोग

*10. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में एक उद्योगपति सिरांदा (गोआ) में उपजाऊ कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु प्रयोग कर रहा है जबकि उसके पास ही गैर-कृषि भूमि उपलब्ध है; और

(ख) गैर-कृषि प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि के बजाय गैर-कृषि भूमि का प्रयोग करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने जा रही है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार और मैसर्स चोगुले मेटल इन्डस्ट्रीज पैलेटाइज़ेशन प्लांट के एक संयुक्त उद्योग मैसर्स मांडवी पेलेट लि० ने सिरांदा (गोवा) में पेलेट प्लांट के लिये 12 हैक्टर से कुछ अधिक कृषि भूमि का उपयोग किया है। समुचित प्राधिकारी ने इसकी स्वीकृति दे दी थी, क्योंकि इसके लिये कोई समुचित गैर-कृषि भूमि नहीं मिल सकी। गोवा प्रशासन ने पहले ही यह निश्चित कर लिया है कि इस प्लांट के उपयोग के लिये और अधिक कृषि भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : विवरण में माननीय मंत्री ने कहा है कि गोआ में स्थापित किया जाने वाला पैलेट प्लांट भारत सरकार और मैसर्स चौगुले मैटल इन्डस्ट्रीज के बीच एक संयुक्त उद्योग है। भारत सरकार की ओर से स्टील अथारिटी ऑफ इन्डिया लिमिटेड है। इसके 33 प्रतिशत शेयर हैं। मि० चौगुले के 66 प्रतिशत शेयर हैं, 33 प्रतिशत उसके अपने और 33 प्रतिशत उसके निजी लोगों के हैं। क्या इसे संयुक्त उद्योग कहा जा सकता है?

प्रश्न में मैंने कहा था कि चौगुले स्थानीय सरकार के सहयोग से कुछ कर रहे हैं। वह भाग प्रश्न से निकाल दिया गया है। विवरण में यह भी कहा गया है कि ऐसा उचित प्राधिकारियों अर्थात्

स्थानीय सरकार ने प्राधिकृत किया है । मैं नहीं जानता कि वह भाग मेरे प्रश्न से क्यों निकाला गया है।

खैर, निर्णय लेने वाली स्थानीय सरकार, गोग्रा सरकार हो सकती है। स्थानीय सरकार ने ऐसा निर्णय स्वयं लिया है। निर्णय किसी रिपोर्ट के आधार पर लिया गया होगा। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दो विशेषज्ञ अधिकारियों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गोग्रा भेजा गया है और वे गोग्रा में शानदार होटलों में ठहरे हुए हैं। उनमें से वरिष्ठ पंजिम से दूर एक फाईव-स्टार होटल में और दूसरे मांडवी होटल में ठहरे हुए हैं। वे दोनों मि० चौगुले के लोगों के साथ उनकी कार में घूम रहे हैं। क्या उन दो अधिकारियों द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को यथार्थ रिपोर्ट माना जायेगा और क्या ऐसा अयथार्थ रिपोर्ट के आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : निर्यात-प्रधान औद्योगिक परियोजना के लिए 12 हेक्टेयर भूमि के अर्जन की बात उठाई गई है। भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही के बारे में जिला मजिस्ट्रेट ने आवश्यक जांच की है और सिफारिश की है कि औद्योगिक परियोजना स्थापित करने के लिये यह उपयुक्त स्थान है। राज्य सरकार ने भी जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का समर्थन किया और उस आधार पर भूमि अर्जन का अनुमोदन किया गया। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वे अधिकारी कौन हैं और कहां ठहर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि क्या रिपोर्ट यथार्थ है?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : प्रश्न यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनमानी कर सकता है और सरकार के नियमों को तोड़कर कुछ भी काम करवा सकता है? यदि कोई व्यक्ति नौकरशाहों और अधिकारियों की मदद से हेरफेर करता है तो इस प्रकार को बात नहीं होनी चाहिये। क्या सरकार को विश्वास है कि 12 हेक्टेयर भूमि के अर्जन में वह गलत लोगों के जाल में तो नहीं पड़ी?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे: मैं माननीय सदस्य की बात का पुरजोर खंडन करता हूं। वास्तव में किसी बात का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। जहां तक भारत सरकार को पता है इस मामले में अपनाई गई प्रक्रिया राज्य सरकार के उद्देश्यों पर आधारित थी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि उस क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिकों सहित कई किसानों में, जो भूमि जोत रहे थे, सरकारी अधिकारियों से कई बार अनुरोध किया कि चौगले को ऐसी भूमि अलाट की जाये जो कृषि योग्य न हो परन्तु सरकार ने चौगले का समर्थन किया। क्या यह सच है कि किसानों और भूमिहीन श्रमिकों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और उनका प्रतिनिधि मंडल आया है? युवा श्रमिकों और किसानों की एक टीम दिल्ली आई और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से मिली और अपनी बात बताई कि किस तरह चौगुले ने भूमि जोतने के उनके अधिकार से उन्हें वंचित किया। क्या मंत्री महोदय इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं या नहीं?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैं केवल यह कह सकता हूं कि जिला मजिस्ट्रेट ने इस प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग की वांछनीयता और इसके लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थान खोजने की व्यवहारिकता की जांच की थी। उनका यह निर्णय था कि कोई अन्य उपयुक्त गैर-कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश सिंचाई परियोजनायें

***3. श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं;

(ख) क्या उक्त योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित दो वृहत सिंचाई स्कीमें प्रस्तुत की हैं :—

1. जामरानी बांध

2. मध्य गंगा नहर (चरण–1)

जामरानी बांध परियोजना अप्रैल, 1974 में प्राप्त हुई थी और योजना आयोग ने इसे मई, 1975 में अनुमोदित कर दिया था। मध्य गंगा नहर परियोजना (चरण–1) फरवरी, 1974 में प्राप्त हुई थी और योजना आयोग ने इसे जनवरी, 1976 में अनुमोदित कर दिया था।

(ग) मध्य गंगा नहर (चरण–1) की अनुमानित लागत 66 करोड़ रुपये है और इससे 1.78 लाख हैक्टेयर भूमि की वार्षिक सिंचाई होगी। जामरानी परियोजना की अनुमानित लागत 61.2 करोड़ रुपये है और इससे 94000 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था होगी।

प्राइमरी स्कूलों में प्रवेश

***4. श्री वाई ईश्वर रेड्डी :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूलों में छात्रों के प्रवेश में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). तीसरे शिक्षा सर्वेक्षण के संबंध में 1 से 5 तक की कक्षाओं में प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के दाखिले के सरकारी आंकड़े संकलित किये जा रहे हैं तथा आशा है कि अन्तिम आंकड़े कुछ महीनों में उपलब्ध हो जायेंगे। तथापि, राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि छात्रों के कुल दाखिले में वृद्धि हो रही है।

दिल्ली में अध्यापकों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

*11. **श्री वीरभद्र सिंह :**
श्री राज राज सिंह देव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को सरकारी क्वार्टर आबंटित किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने अध्यापकों को क्वार्टर आबंटित किये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) दिल्ली में सरकारी स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों को दिल्ली प्रशासन अपने ही पूल से क्वार्टर दे रहा है। तथापि, 31-7-1974 तक सम्पदा निदेशालय भी ऐसे अध्यापकों को जो पात्र जोनों में कार्य कर रहे थे, सामान्य पूल से क्वार्टरों का आबंटन करता रहा।

(ख) 520, जिसमें सामान्य पूल के 446 शामिल हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा अध्यापकों के लिए कोई अलग से प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जाती।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नये विश्वविद्यालयों को स्वीकृति

*12. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्यान और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1976-77 के शिक्षा वर्ष से कौन-कौन से नये विश्वविद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितना व्यय होने का अनुमान है तथा विश्वबिद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति नहीं देता। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के खण्ड 12 (क) के अंतर्गत आयोग को नये विश्वविद्यालय को केन्द्रीय सरकारी निधियों से सहायता पाने के योग्य घोषित करने का अधिकार है।

आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि वरंगल और गंटूर के स्नातकोत्तर केन्द्रों को 1976-77 शैक्षिक वर्ष से एकात्मक विश्वविद्यालय बना दिया जाये।

आयोग इन विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की बात पर तभी विचार करेगा जब ये स्थापित हो जायेंगे तथा जब इन्हें आयोग अधिनियम के खण्ड 12क के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के योग्य घोषित कर दिया जायेगा।

आयोग ने मद्रास में तमिलनाडु सरकार के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया है। तथापि, क्योंकि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया गया है, इसलिए इस प्रस्ताव की जांच केन्द्रीय सरकार करेगी।

केन्द्रीय सरकार पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम

*13. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) क्या देश में प्रमुख विश्वविद्यालय छात्रों को ये सुविधायें उपलब्ध नहीं कर रहे हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) तथा (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र, श्री वेंकटेश्वर, भोपाल, बम्बई, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मदुरै, मेरठ, मैसूर, पंजाब, पटना, पंजाबी, राजस्थान तथा उत्कल विश्वविद्यालय कुछेक अवर स्नातक/उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों में पत्राचार पाठ्यत्तमों का संचालन कर रहे हैं।

नारियल बोर्ड

*14. **श्री एम० कत्तामुत्तु** :
श्री एम० के० कृष्णन् :

क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि उस राज्य में नारियल की महत्वपूर्ण नकदी फसल का विकास करने के लिये रबड़ बोर्ड के समान नारियल बोर्ड का गठन किया जाये;

(ख) क्या मंत्री महोदय ने इस समस्या पर विचार करने के लिये नारियल उत्पादक संगठन के प्रतिनिधियों एवं विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों की बैठक बुलाई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस समस्या के संबंध में बैठक में विस्तृत रूप से विचार किया गया और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस मामले पर नारियल पैदा करने वाले राज्यों के साथ परामर्श करके

और आगे विचार किया जाये और राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम निर्णय लिया जाये।

विश्वभारती विश्वविद्यालय का पुनर्गठन

***15. श्री रानेन सेन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वभारती विश्वविद्यालय के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). ऐसी रूपरेखाएं निर्धारित करने के लिए जिन पर विश्व भारती का विकास किया जा सके तथा विश्व भारती अधिनियम का संशोधन करने हेतु मार्गदर्शी रूपरेखाएं सुझाने के लिए सरकार द्वारा फरवरी, 1974 में एक समिति नियुक्त की गयी थी। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1975 में प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय को भेज दी गयी हैं।

ट्रैक्टरों का आयात

***16. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्वदेशी ट्रैक्टरो की बिक्री में कमी होने पर भी विदेशों से ट्रक्टरों के आयात की अनुमति दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). देश में ट्रैक्टरों की विस्तृत आवश्यकताओं और वर्तमान विनिर्माण कार्यक्रम पर विचार करने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ऋण परियोजनाओं के अन्तर्गत आयात किए जाने वाले ट्रैक्टरों को छोड़कर और अधिक ट्रैक्टरों के आयात के प्रश्न पर कार्रवाई न की जाए। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी परियोजनाओं के अन्तर्गत किसानों की रुचि के अनुसार ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति है। शुरू में विश्व बैंक ने केवल आयातित ट्रैक्टरों के लिये ऋण की सुविधाओं की पेशकश की थी। बाद में यह फैसला किया गया कि आयातित ट्रैक्टरों के साथ-साथ इस परियोजना के अन्तर्गत लाभानुयोगियों के लिये देश में निर्मित ट्रैक्टरों की भी पेशकश की जा सकती है।

तमिलनाडु में भूमि सुधार

***17. श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तमिलनाडु में भू-सुधारों के सम्बन्ध में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : भूमि की अधिकतम जोत संबंधी कानून तमिलनाडु में 1961 में लागू है। इस कानून के अन्तर्गत इस वर्ष 31 जनवरी तक 52,724 एकड़ फालतू भूमि कब्जे में ली गई थी। इसमें से 40,488 एकड़ छात्र व्यक्तियों में बांटी जा चुकी है।

1969–70 के बाद तमिलनाडु के जोत संबंधी कानून में 1972 में जारी किये गये जोत की अधिकतम सीमा संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुरूप परिवर्तन किये गए। संशोधित कानून के अन्तर्गत 43,271 एकड़ भूमि पहले ही फ़ालतू घोषित की जा चुकी है। इसमें से 39,787 एकड़ वास्तव में कब्जे में ली गई और इसमें से 27,929 एकड़ बांटी जा चुकी है।

तमिलनाडु कुडिक्कडप्पु दखलकार (स्वामित्व) अधिनियम 1971 में वास-स्थलो पर रहने वाले व्यक्तियों को उनका स्वामित्व देने की व्यवस्था है। इस वर्ष 31 जनवरी, तक 1,75,000 से अधिक व्यक्तियों को स्वामित्व के प्रमाण-पत्र दिये जा चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार भी बेघर व्यक्तियों को वास-स्थल आबंटित करती रही है। इस योजना के अन्तर्गत 5,23,000 से अधिक व्यक्तियों को पहले ही वास-स्थल दिये जा चुके हैं।

उर्वरकों की बरबादी

*18. **श्री जकदीश भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खरपतवार के कारण उर्वरक की 25 से 40 प्रतिशत तक होने वाली बर्बादी की, जैसी कि भारतीय कीट नियंत्रण संगठन (इंडियन पैस्ट कन्ट्रोल एसोसिएशन) के नवें वार्षिक सम्मेलन में बताया गया था, रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : खरपतवार के कारण हुए उर्वरक की बरबादी के कोई वास्तविक अनुमान प्राप्त नही हुए हैं तथा प्रश्न में उल्लखित 25–40 प्रतिशत बरबादी के आंकड़े केवल मोटे अनुमान हैं। उचित रूप से जुलाई तथा खरपतवार को शीघ्र हटाना खरपतवार के बढ़ने को रोकने के लिये आवश्यक है। हमारे देश में खरपतवार के हस्त नियन्त्रण संभव है जहां मानवीय संसाधनों का कोई अन्त नही है। सरकार ने शारिरिक, यांत्रिक, सांस्कृतिक, जैविक, एवं रासायनिक खरपतवार नियन्त्रण तरीकों द्वारा समेकित उपागमों को अपनाया है। विस्तार किसानों मशीनरी को विभिन्न तरीकों के उपयोग में मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में विद्यालयों तथा महा विद्यालयों के विद्यार्थी शारिरिक साधनों द्वारा खरपतवार नियन्त्रण में लगे हुए हैं। जहां तक रासायनिक नियन्त्रण का सम्बन्ध है, चौथी योजनावधि के दौरान लगभग 8000 हेक्टार के कृषि क्षेत्र में प्रयोगात्मक तकनीकों, प्रयोग के समय, उचित खरपतवार नाशी के चयन में प्रदर्शन किए गए थे। वनस्पतिरक्षण, संगरोध तथा सचंयन निदेशालय द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों, राजकीय कृषि विभिागों आदि के सहयोग से विभिन्न केन्द्रों पर विस्तार कर्मचारियों को तथा प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा इसके विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा तथा राजकीय कृषि विभागों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा भी खरपतवार नियन्त्रण के लिये प्रभावी प्रोग्रामों को काम में लिया गया है।

अरालम राज्य फार्म, केरल

*19. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरालाम, कन्नानूर (केरल) में राज्य कृषि फार्म स्थापित करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या जो सरकारी दल अरालाम राज्य फार्म के कार्य के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिये वहां गया था, उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० —10370/76)

महिलाओं से प्रौढ़ साक्षरता

***20. श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष में महिलाओं के लिये प्रौढ़ साक्षरता को प्रोत्साहन देने हेतु गैर-सरकारी महिला संगठनों के माध्यम से कितनी धनराशि व्यय की है ;

(ख) क्या सरकार का विचार महिलाओं में प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली परियोजनाओं को इस महिला दशाब्दि में जारी रखने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न योजनाओं को, जैसे 15–25 आयु वर्ग के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा, किसान कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता, नवसाक्षरों के लिए साहित्य का उत्पादन तथा शहरी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, प्रोत्साहित तथा कार्यान्वित करता है । ये सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं । इन सभी कार्यक्रमों में, महिलाओं सहित समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों पर अधिक बल दिया जाता है । अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष (1975) के दौरान देश की विभिन्न महिला स्वैच्छिक संगठनों को 9.97 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई थी, जिसमें से 6.34 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया गया था । इस के अतिरिक्त, महिलाओं के लिए ऐसे ही कार्यक्रमों को चलाने के लिए अन्य गैर-सरकारी संगठनों को 2.69 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए थे और 1.42 लाख रुपये का भुगतान किया गया था ।

ये सभी योजनाएं पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा उसके पश्चात् जारी रहेंगी ।

दिल्ली में अपने मकानों वाले अधिकारियों द्वारा सरकारी क्वार्टर खाली करना

1. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रथम श्रेणी के ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं और वे सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं ;

(ख) उनमें से कितने सरकारी क्वार्टरों से चले गये हैं ;

(ग) उनसे इस समय कितना मार्किट किराया लिया जा रहा है जो सरकारी क्वार्टरों से नहीं गये हैं ; और

(घ) श्रेणी I, II, III और IV में कितने प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों के दिल्ली में अपने मकान हैं और उन्होंने अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं किये हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (घ) अधिकारियों के ग्रेड अथवा श्रेणी के अनुसार कोई सूचना नहीं रखी जाती। किन्तु ऐसे अधिकारी जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं और जो दिल्ली में सामान्य पूल वास के विभिन्न टाइपों के वास के दखल में हैं/थे और जिन्होंने ऐसे सरकारी आवास खाली कर दिए हैं, 28-2-1976 तक उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

टाईप	ऐसे अधिकारियों की संख्या जिनके अपने मकान हैं	उन अधिकारियों की संख्या जिन्होंने क्वार्टर खाली कर दिए हैं।
I	563	302
II	1578	462
III	726	301
IV	823	262
V	303	46
VI	80	15
VII	29	4
VIII	5	1
होस्टल	32	13
संसद् सदस्य पूल	2	—
कुल	4,141	1,406

निर्माण की लागत, भूमि की लागत आदि जैसे विभिन्न कारणों से सरकारी मकानों का वर्तमान मार्कीट-किराया एक ही टाईप में भी मकान प्रति मकान भिन्न-भिन्न है।

निर्धनों के लिए ग्रामीण आवास योजना के लिए नियतन

2. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे हरिजनों तथा जन जातीय व्यक्तियों के लिये, जिनके पास मकान के लिए जमीन नहीं है, पांचवीं योजना में किया गया उपबन्ध चतुर्थ योजना के उपबन्ध से अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना में निर्धनों के लिये ग्रामीण ग्रावास योजना के लिये, राज्य-वार, नियत की गई राशि का ब्यौरा क्या है ग्रौर दिसम्बर, 1975 तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

निर्माण ग्रौर ग्रावास तथा संसदीय कार्य मन्त्री. (श्री के० रघुरामैया) : (क) पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के प्रारम्भ में ग्रावास के लिए की गई ग्रंतरिम व्यवस्था चौथी योजना में ग्रावास के लिए की गई व्यवस्था से ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक है । पिछड़े हुए क्षेत्रों में ऐसे हरिजनों तथा जन-जातियों के लिए, जिनके पास मकान के लिए जमीन नहीं है, कोई ग्रलग से व्यवस्था नहीं की गई है ।

(ख) ग्रामीण ग्रावास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं ग्रौर राज्य सरकारें ग्रपने विभिन्न ग्रावास कार्यक्रमों के लिये जिसमें ग्रामीण ग्रावास योजाएं शामिल हैं उनके द्वारा निर्धारित ग्रावश्यकताग्रों तथा प्राथमिकताग्रों के ग्रनुसार इनके लिए निधियों का नियतन करने में स्वयं सक्षम है ।

Opening of Book Banks

3. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether 20-Point programme announced by the Prime Minister includes the opening of "Book Banks" in Universities and colleges in the country for providing facilities to the students;

(b) whether Government have formulated any scheme in this regard ;

(c) if so the salient features thereof; and

(d) the number of such book banks opened in various States separately ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) to (d) Considerable importance is being given to establishment of Book Banks in the context of the '20-Point Economic Programme' announced by the Prime Minister on 1-7-1975. The University Grants Commission has reviewed its programme of assistance to colleges for setting up Book Banks and has decided to relax the minimum enrolment needed for colleges to receive assistance from the Commission under the programme. Accordingly all Arts, Science and Commerce colleges eligible for assistance under the University Grantss Commision Act and having an enrolment of 100 students or more in degree classes will be assisted by the Commission for setting up Book Banks.

Under this scheme the Commission will provide assistance to Arts, Science and Commerce Colleges which are included in the list under Section 2(f) of the U.G.C. Act for the establishment of Book Banks as below:—

	Allocation Rs.	U.G.C.'s contribution
(*i*) A college with a student enrolment of 100 or above but less than 250	8,000	
(*ii*) A college with a student enrolment of 250 or above but less than 500	10,000	
(*iii*) A college with a student enrolment of 500 or above but less than 1,000	15,000	75 % of the allocation
(*iv*) A college with a student enrolment of 1,000 or above but less than 1,500	20,000	
(*v*) A college with a student enrolment of 1,500 or above but less than 2,000	25,000	
(*vi*) A college with a student enrolment of 2,000 or above	30,000	

The colleges concerned will be required to provide matching contribution of 25% of the allocation from their own resources.

2. The assistance under this scheme is subject to the following:—

(a) At least 40% of the grant under this scheme should be made available for purchase of text books. Colleges having a minimum enrolment of 100 students excluding PUC/Intermetdiate/pre-degree would be eligible for receiving U.G.C.'s assistance under this scheme. The assistance under this scheme shall not be utilised for meeting any expenditure incurred by the Colleges prior to the date of this sanction and for fulfilling conditions of affiliation.

(b) An amount not exceeding 10% of the allocation may be utilised for book shelves.

As soon as the Book Bank scheme is completed, a utilisation certificate duly signed by the Chartered Accountant/Government Auditors should be sent to the Commission and the scheme may be completed within two years from the date of sanction.

(c) An 'on account' payment of 75% of the total grant under the scheme will be made to the colleges and the balance will be paid on receipt of the utilisation certificate for the full amount sanctioned. In the case of Government colleges, the colleges may obtain utilisation certificates from the Accountant General of the State concerned or Internal Auditor of the Education Department or the Director of Collegiate Education or Public Instruction or any other authorised Officer and forwarded it to the Commission.

(d) If the College fails to utilise the grant sanctioned by the University Grants Commission for the purpose for which it is given and in accordance with the terms and conditions of the sanction or does not furnish the completion documents as required by the Commission. or is disaffiliated by the University, the entire amount paid by the Commission shall be refunded by the college.

3. The number of Book Banks established in various States is as follows:—

S. No.	State	No. of Book Banks established in the different States.
1	2	3
1	Andhra Pradesh	111
2	Assam and Hill States	65
3	Bihar	78
4	Gujarat	118
5	Haryana	71
6	Himachal Pradesh	11
7	Jammu and Kashmir	11
8	Kerala	69
9	Madhya Pradesh	157

1	2	3
10	Maharashtra	194
11	Mysore (Karnataka)	100
12	Orissa .	74
13	Punjab .	98
14	Rajasthan	73
15	Tamil Nadu .	72
16	Uttar Pradesh	199
17	West Bengal .	209
18	Delhi .	40

Central Assistance to Bihar for Rabi Crop

4. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the value of wheat and other seeds and fertilizers supplied by the Central Government to the Bihar Government under the 'Rabi' crop sowing season of 1975; and

(b) whether the Central Government are aware of the area brought under the rabi crop and the area provided with irrigation facilities in Bihar State this year ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) A short-term loan of Rs. 10·00 crores was released in favour of the Government of Bihar for purchase and distribution of agricultural inputs viz., fertilizers, seeds and pesticides for Rabi programme during 1975-76.

(b) Data on area brought under cultivation during the rabi season along with area benefited by irrigation would become available only after the close of the agricultural year, i.e. some time in July—August. 1976.

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम तथा भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार किये गये प्राध्यापकों को मुअत्तिल तथा बर्खास्त किये जाने के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का परिपत्र

5. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम और भारत रक्षा नियमों अथवा आपात स्थिति की घोषणा के बाद कानून के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन गिरफतार किए गए प्राध्यापकों को मुअत्तिल अथवा बर्खास्त करने हेतु सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को कोई परिपत्र जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Supply of Essential Commodities To Hostels

6. **Sardar Swaran Singh Sokhi:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether all the essential commodities are supplied at controlled or concessional prices to all hostels and approved lodging houses in the country;

(b) whether any complaints have since been received from the students or their unions; and

(c) if so, what remedial steps Government propose to take in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c). According to reports received from the State Governments all those essential commodities which are required by the students are being supplied to their hostels and lodgings through the consumers cooperative stores at concessional and preferential terms. These commodities include pulses. edible oils, kerosene, hosiery, toiletries, tubes, tyres and cells. Food-grains, however, are being supplied through the public distribution systems. 2775 colleges and universities hostels and approved lodgings covering 2,31,317 students have come under the scheme so far. Individual complaints when received are inquired into and remedial action taken.

Future of English

7. **Shri Janeshwar Misra:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state whether Government are planning to do away with English from the system of education obtaining in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): No, Sir.

Rehabilitation of Persons of Indian origin from Sri Lanka

8. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the number of persons of Indian origin who are to come from Sri Lanka and the arrangements made for their rehabilitation;

(b) whether the persons of Indian origin who have come so far from Sri Lanka have been rehabilitated in Kutch and if so, their number; and

(c) whether it is proposed to rehabilitate the persons of Indian origin coming from Sri Lanka in Kutch only from the point of view of facilities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) As per the agreements made between India and Sri Lanka in 1964 and 1974, six lakh persons of Indian origin in Sri Lanka, together with the natural increase in that number, are to be repatriated over a period of 17 years. i.e. by 1981. 1·94 lakh persons, inclusive of the natural increase, have already been repatriated upto 29-2-1976.

Arrangements made for the rehabilitation of Sri Lanka repatriates are indicated in the enclosed statement.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. *See* No. L.T.—10371/76].

(c) No, Sir.

Allocation for Education under Fifth Five Year Plan

9. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether 900—1100 crores of rupees allocated for education under the Fifth Five Year Plan is very meagre keeping in view the various education schemes;

(b) whether this will deprive 5 crores of children in the age group of 6—16 years from primary education even today; and

(c) if so, steps taken to meet the situation ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) to (c). The allocations for the Fifth Five Year Plan have not yet been finalised.

Grant to Madhya Pradesh for construction of Houses

10. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh had sought a sum of Rs. 25 crores from the Centre for building houses in Adivasi and Harijan regions of Madhya Pradesh after the declaration of emergency; and

(b) if so, the amount of grant given by the Centre on this account ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) The Government of Madhya Pradesh made a proposal that a sum of Rs. 25·00 crores out of the funds raised from the voluntary disclosure of income and wealth might be reserved for the State Government for undertaking the programme of slum improvement and low cost housing.

(b) A decision on the proposal has not been taken so far.

दण्डकारण्य विकास परियोजना द्वारा परलकोटा में आदिवासी परिवारों का पुनर्वास

11. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के परलकोटा जोन में कितने आदिवासी परिवारों को अब तक बसाया गया है और क्या इससे बसाये जाने वाले कुल परिवारों के 25 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा हो जाता है ।

(ख) परलकोटा जोन में यथानुपात आधार पर कितने आदिवासी परिवार अभी बसाये जाने हैं और उन्हें कब तक बसाया जायेगा ;

(ग) क्या आदिवासी परिवारों को विस्थापित व्यक्तियों के समान ही लाभ और सहायता दी गई है और यदि नहीं, तो विषमता के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस विषमता को दूर करने के लिए सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख). दण्डकारण्य के मध्य प्रदेश के भाग में (परलकोट तथा कोंडागांव जोन बस्तर जिला) अब तक बसाए गए आदिवासी परिवारों की संख्या 1150 है ।

आदिवासियों को भूमि का एलाटमेंट परिवारों के आधार पर नहीं किया जाता है बल्कि इसका आधार उद्धार की गई भूमि होती है जो प्रवासी परिवारों के लिए 100 एकड़ होने

पर आदिवासियों के लिए 25 एकड़ होती है। इस गणना के आधार पर आदिवासियों के भूमि के कोटे में 9556 एकड़ भूमि का पहले ही उद्धार किया जा चुका है और मध्य प्रदेश सरकार को वापस लौटा दी गई है। इसके अलावा बस्तर जिले की बीजापुर तहसील में आदिवासियों के लिए 6 लाख रुपए की लागत की एक भूमि उद्धार योजना मंजूरी कर दी गई है तथा इस योजना को कलेक्टर, बस्तर द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है जिसको समय समय पर धन दिया गया है। आदिवासी परिवारों को उद्धार की गई भूमियों पर बसाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है। भूमि के अलावा दण्डकारण्य प्राधिकरण अनुदान के रूप में आवास आदि के लिए 2850/- रु० प्रति परिवार तक धन देता है तथा यह धन भी राज्य सरकार द्वारा ही खर्च किया जाता है।

(ग) आदिवासी परिवारों को मिलने वाली सहायता को 2850/- रु० प्रति परिवार की राशि विस्थापित व्यक्तियों को मिलने वाली सहायता से कहीं अच्छी क्योंकि आदिवासी परिवारों को सहायता की सारी राशि अनुदान के रूप में मिलती है जब कि विस्थापित व्यक्तियों को मिलने वाली यही सहायता ऋण के रूप में होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी समाप्त करने के लिए सात सूत्री योजना

12. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी समाप्त करने के लिए उनका मंत्रालय किसी सात-सूत्री योजना पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). रोजगार उत्पन्न करने की समस्या का देश की आर्थिक प्रगति के साथ गहरा सम्बन्ध है। युवक कार्य में उच्च अध्ययन के राष्ट्रमण्डल एशिया पेसीफिक क्षेत्रीय केन्द्र चण्डीगढ़ में 2 फ़रवरी, 1976 को बंगलादेश, भारत और श्री लंका के लिये रोजगार सम्बन्धी नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार गोष्ठी का उदघाटन करते समय शिक्षा मंत्री ने अशिक्षित ग्रामीण लोगों में बेरोजगारी की समस्या को उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया था। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि एक सात सूत्री समेकित कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें इन विषयों को शामिल किया जाए (1) प्राथमिक आधार पर निवेश को बढ़ाना, (2) विज्ञान और प्रौद्यागिकी को बड़े पैमाने पर आरम्भ करना, (3) शिक्षा तथा संस्कृति, (4) स्वास्थ्य, (5) सहयोग, (6) उत्पादन में वृद्धि और (7) समान वितरण। इस प्रकार का एक कार्यक्रम कृषि विकास के आधार पर तैयार किया जाए और इस बात को भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों अथवा अधिक समान आधार पर वेतन संरचना और भर्ती की नीतियों में आमूल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में साथ ही साथ कार्यवाही की जाए।

एसोसिएशन आफ वालण्टरी एजेन्सीज फार रूरल डेवेलपमेंट

13. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए 'अवार्ड' (एसोसिएशन आफ़ वालन्टरी एजेंसीज फ़ार रुरल डेवलपमेंट) तथा उससे सम्बद्ध अन्य संगठनों को कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन संगठनों ने कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की है ; और

(ग) ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 'अवार्ड' द्वारा कितनी प्रगति की गई है और क्या सरकार उनके कार्य से संतुष्ट है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) कृषि और सिचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन स्थापित सोसायटी दि पीपल्स एक्शन फ़ार डेवलपमेंट (इंडिया) ने एसोसिएशन आफ़ वालन्टरी एजेंसीज फ़ार रुरल डेवलपमेंट द्वारा सीधी कार्यान्वित की जा रही दो परियोजनाओं के लिए अब तक नीचे दिए गए अनुदान वंटित किए हैं :—

(1) बिहार राज्य के हजारीबाग जिले में प्रतापपुर खंड में निर्माण कार्य के लिए भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत सिंचाई परियोजना ।

(i)	नकद	5,05,000 रुपए तथा
(ii)	जिन्स (गेहूं)	17,18,913.75 रुपए

यह सहायता 1968–69 में केन्द्रीय एजेंसी अर्थात् पश्चिमी जर्मनी के स्वैच्छिक संगठन से प्राप्त हुई थी।

(2) (i) बिहार के मुजफ्फरपुर तथा मूंघेर जिले में मुशारी तथा जगुई खंडों में लघु सिंचाई कार्यक्रम में ग्राम निर्माण कार्य के लिए 78,50,000 रुपये । यह सहायता भी केन्द्रीय एजेंसी, पश्चिमी जर्मनी से नकद तथा जिन्स (उर्वरक) दोनों में प्राप्त हुई है ।

(ii) यह भी उल्लेखनीय है कि एसोसियेशन आफ़ वालंटरी एजेंसीज फ़ार रुरल डेवलपमेंट को केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्रालय द्वारा भूतपूर्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग, और अब ग्राम विकास विभाग के माध्यम से कुछ वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 3000 रुपए का प्रशासनिक अनुदान भी दिया गया है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में दि पीपल्स एक्शन फ़ार डेवलपटमेंट (इण्डिया) ने केन्द्रीय एजेंसी, पश्चिमी जर्मनी से उपर्युक्त 2 (i) पर उल्लिखित परियोजना के लिए 1,22,99,682.95 रुपए प्राप्त किए हैं इनमें से 13,44,029.00 रुपए नकद तथा 1,09,55,653.95 रुपए जिन्स उरर्वक के रूप में प्राप्त किए । इसमें उपर्युक्त (i) पर उल्लिखित परियोजना के लिए वर्ष 1968–69 में प्राप्त की गई धनराशि शामिल नहीं है ।

(ग) प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, कार्य की प्रगति नीचे दी गई है :

(i) नवम्बर, 1974 तक प्रतापपुर परियोजना में योजना में प्रस्तावित सभी 19 नहरों की मरम्मत की गई है और नहरों के साथ-साथ सभी 4 रोक बांधों का

निर्माण किया गया । एक रोक बांध के मामले में भूमि झगड़े के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया है । सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया कुल क्षेत्र 5480 एकड़ है । 2078 किसानों को लाभ पहुंचाया गया है ।

(ii) जमुई तथा मुशारी परियोजनाओं के बारे में जून, 1975 तक 23 गावों को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई गई थीं जो उन गांवों में सभी खेती वाले इलाकों को संतृप्त करने के लिए काफी है । परियोजना द्वारा सृजित परियोजना संभाव्यता कुल 9865 एकड़ थी ।

बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

14. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षा ऋतु में बाढ़ के प्रकोप का सामना करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) क्या बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) 1954 में बाढ़ नियंत्रण उपाय देश भर में आंरम्भ कर दिए गये थे और अब तक बाढ़ नियंत्रण कार्यों पर 390 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। कई दूसरे कटाव-रोधी उपायों के क्रियान्वयन के अलावा लगभग 8,045 किलोमीटर की लम्बाई के तटबंध, 15,900 किलोमीटर की लम्बाई की निकासी चैनलें, 213 बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा 4,665 गांवों का ऊंचा किया जाना पूर्ण हो चुका है । इन उपायों के साथ 250 लाख हैक्टेयर भूमि में से 79 लाख हैक्टेयर भूमि की जिसे बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में मान लिया गया है, में पर्याप्त युक्तियुक्त बाढ़ सुरक्षा प्रदान करना संभव हो सका है । धन की उपलब्धता के अनुसार अतिरिक्त बाढ़ नियंत्रण उपाय हाथ में लिए जा रहे हैं । 1975–76 के दौरान विभिन्न राज्यों की वार्षिक योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 43 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । 1975 की बाढ़ों को देखते हुए बाढ़ सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति का कार्यक्रम विशेषकर, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में गंभीरता-पूर्वक हाथ में ले लिया गया है और इन कार्यों पर चालू वर्ष में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों के सामान्य परिव्यय के अतिरिक्त लगभग 16 करोड़ रुपए के खर्च की संभावना है । इस कार्यक्रम में पटना शहर के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्य शामिल है । 1976–77 के दौरान बाढ़ नियंत्रण कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों पर गन्ने के मूल्य की बकाया राशि

15. **श्री एस० एम० बैनर्जी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न चीनी मिलों से गन्ने के मूल्य की बकाया राशि वसूल करने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उनकी ओर कुल कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). चीनी फ़ैक्ट्रियों में 1975–76 के दौरान सप्लाई किए के गए गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का 31 जनवरी, 1976 को जो भुगतान करना था, वह उत्तर प्रदेश में 23.16 करोड़ रुपए था और बिहार में 7.89 करोड़ रुपए था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि फ़ैक्ट्रियों को खरीदे गए गन्ने के मूल्य का सप्लाई की तारीख से 14 दिन के अन्दर भुगतान करना होता है और पिछले लगभग 14 दिन के दौरान खरीदे गए गन्ने के मूल्य को काट कर, उत्तर प्रदेश में यह राशि 19.10 करोड़ रुपए और बिहार में 5 करोड़ रुपए थी, गन्ने के मूल्य की प्रभावी बकाया राशि 31 जनवरी, 1976 को उत्तर प्रदेश में 4.06 करोड़ रुपए और बिहार में 2.89 करोड़ रुपए थी।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए पगों का ब्यौरा 12, जनवरी, 1976 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 508 में दिया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गन्ना (सप्लाई तथा खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा (3) के अधीन गन्ने के मूल्य के विलम्बित भुगतान के लिए 26 चीनी फ़ैक्ट्रियों पर ब्याज लगाया है।

बिहार सरकार ने 1974–75 मौसम से सम्बन्धित गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का भुगतान न करने वाली 11 चीनी फ़ैक्ट्रियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की है और गन्ने की सप्लाई की तारीख से 14 दिन की निर्धारित अवधि के अन्दर गन्ने के मूल्य का भुगतान न करने पर फ़ैक्ट्री को गन्ना उत्पादक की सप्लाई की तारीख से भुगतान करने की तारीख तक 11 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।

राज्य सरकारों से समय समय पर कहा गया है कि वे फ़ैक्ट्रियों से गन्ने के मूल्य की राशि का शीघ्र भुगतान करायें, चूककर्ता फ़ैक्ट्रियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने समेत कड़ी कार्यवाही करें, गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल करने और 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए अपने कानूनों में व्यवस्था करें।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष सम्बन्धी भारतीय समिति द्वारा की गई सिफारिशें

16. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1976 में अखिल भारतीय सम्मेलन (आल इण्डिया कान्फ्रैन्स) के सेशन के समाप्त होने के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष सम्बन्धी भारतीय समिति द्वारा प्रधान मंत्री को प्रस्तुत सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) फरवरी, 1976 में अतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष से सम्बद्ध भारतीय समिति द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन की सिफ़ारिशों के बारे में सरकारी जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना उत्पादकों की मांगें

17 **श्री शाहनवाज खां** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद के गत सत्र में दिए गए आश्वासन के संदर्भ में गन्ना उत्पादकों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : लोक सभा में 5 फरवरी, 1976 को गन्ने के मूल्य पर बहस के दौरान जैसाकि मैंने माना था, स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए संसद के कुछ सदस्यों और अन्य लोगों की 12 मार्च, 1976 को एक बैठक बुलाई गई है ।

पंजाब में वन निगम के लिए सहायता

18. **श्री भानसिंह भौरा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने अपने वन संसाधनों के विकास एवं प्रयोग हेतु राज्य वन निगम स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना

19. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 राज्यों में वे 12 सिंचाई परियोजनाएं किस स्थिति में हैं जिनको शीघ्र पूरा करने के लिए गत वर्ष नवम्बर में 46 करोड़ रुपये दिए गए थे; और

(ख) क्या सभी राज्यों को धन तुरन्त दे दिया गया था और यदि हां, तो दिए गए धन का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). सितम्बर, 1975 में 10 राज्यों को 12 सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए कुछ शर्तों के साथ अग्रिम सहायता की व्यवस्था करने का निर्णय किया गया था इन परियोजनाओं की प्रगति की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

अभी तक निम्नलिखित तीन राज्यों को 20.65 करोड़ रुपये दिए गए हैं:—

उत्तर प्रदेश

शारदा सहायक .	15.00 करोड़ रुपये

गुजरात

कडाना . . .	2.65 करोड़ रुपये
माही बजाज सागर .	1.00 करोड़ रुपये

राजस्थान

माही बजाज सागर	2.00 करोड़ रुपये
योग . .	20.65 करोड़ रुपये

विवरण

1. **गण्डक (बिहार)** : बराज और मुख्य पूर्वी नहर को 140 मील तक पूरी तरह से और कुछ अतिरिक्त संरचनाओं को छोड़कर सरन नहर को भी पूरा कर लिया गया है। शाखा नहरों और वितरण प्रणाली में कार्य पर प्रगति हो रही है।

2. **कडाना (गुजरात)** : मुख्य बांध और अतिरिक्त उमड़-मार्ग पर कार्य प्रगति पर है। मुख्य नहर पर 85 प्रतिशत से अधिक मिट्टी कार्य और 60 प्रतिशत क्रास-ड्रेनिज कार्य पूरा किया जा चुका है।

3. **जवाहर लाल नेहरू नहर (हरियाणा)** : जवाहर लाल नेहरू पोषक नहर, जवाहर लाल नेहरू नहर और महेन्द्र गढ़ नहर का 80 प्रतिशत से अधिक खुदाई कार्य पूरा हो चुका है। पोषक नहर की चिनाई संरचनाओं का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अन्य दो नहर प्रणालियों पर कार्य पूरा होने वाला है। वितरणियों पर कार्य और पम्प केन्द्रों के सिविल कार्यों में प्रगति हो रही है।

4. **रावी नहर (जम्मू तथा काश्मीर)** : प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है और उस नदी से बसन्तर नदी तक नहर पर कार्य करने के लिए आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं।

5. **मलाप्रभा (कर्नाटक)** जलाशय से दो मुख्य नहरों के शीर्षों तक बांध और दो सुरंगों को पूरा कर लिया गया है जिसमें नहर प्रणाली का भाग भी शामिल है।

6. **कुकारी (महाराष्ट्र)** : याद गांव में वियर-मय-स्टोरेज बांध पर जिसमें मिट्टी के तटबंध का कार्य भी शामिल है, कार्य पूरी तरह से प्रगति पर है। उमड़-मार्ग, नियामक और मुख्य नहर पर भी कार्य प्रगति पर है।

7. **जयकवाड़ी (चरण 1) (महाराष्ट्र)** : बांध पर कार्य पूरा हो गया है और उमड़-मार्ग पर कपाटों के निर्माण का कार्य काफी प्रौढ़ावस्था में है। बाईं मुख्य नहर पर काय जिसमें 100 किलोमीटर तक पलस्तर करना शामिल है, काफी हद तक पूरा हो गया है।

8. **महानदी डेल्टा (उड़ीसा)** : वर्तमान जोवरा और विरूपा वियर के पुनर्रूपण करने और पुरानी नहर प्रणाली के पुनर्रूपण और उसके विस्तार का कार्य पूरा हो गया है । मुन्दाली वियर के निर्माण कार्य के साथ पूरी मुख्य नहर, उसकी शाखा नहरों और वितरणियों के निर्माण का कार्य भी पूरा ो गया है । माइनरों और उप-माइनरों पर कार्य प्रगति पर है ।

9. **राजस्थान नहर चरण–1 और 2 (राजस्थान)** : मुख्य नहर के अन्तर्गत चरण–1 पर कार्य पूरा हो गया है और 77 किलोमीटर तक वितरण प्रणाली को पक्का करने के अतिरिक्त सब कार्य पूरा किया जा चुका है । वितरण प्रणाली पर 71 किलोमीटर से नीचे से 198 किलोमीटर के अन्त तक कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है । 198 किलोमीटर से आगे नहर के चरण-दो के अन्तर्गत कार्य भी प्रगति पर है ।

10. **माही बजाज सागर (गुजरात और राजस्थान)** : मुदा बांध पर कार्य पूरे जोर के साथ चल रहा है और चिनाई बांध पर भी कार्य प्रारम्भ हो गया है ।

11. **शारदा सहायक (उत्तर प्रदेश)** : शारदा नदी पर बांध का निर्माण, शारदा बराज और घाघरा बराज के मध्य लिंक चैनल और इस बराज से निकाली गई फीडर चैनल का 119 किलोमीटर तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है । घाघरा बराज पर भी कार्य पूरा हो चुका है और कपाटों को लगाने का कार्य प्रगति पर है । नहर वितरण प्रणालियों और चिनाई संचरनाओं का कार्य भी प्रगति पर है ।

12. **कंसावती (पश्चिम बंगाल)** : कंसावती बांध और बांए तट के शीर्ष नियामक पूरे हो चुके हैं । कुमारी बांध और दाएं तट के शीर्ष नियामक के साथ मुख्य नहर के दाएं किनारे के शेष भाग की खुदाई का कार्य प्रगति पर है ।

प्रति हैक्टेयर उपज

20. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1974–75 के अन्तिम रूप से तैयार किये गये कृषि आंकड़ों में यह बताया गया है कि सूखे के इस वर्ष में प्रति हैक्टेयर उपज बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपज में यह वृद्धि खेती के नये त ीकों से संम्भव हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) जी नहीं । 1974–75 के वर्ष की प्रति हैक्टेयर पैदावर के अखिल भारतीय सूचकांक के अनुसार 1974-75 में सभी फसलों की पैदावार का सूचकांक 115.5 था जबकि 1973-74 का सूचकांक 117.1 था । इस प्रकार सभी फसलों की पैदावार के अखिल भारतीय सूचकांक में 1.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है । 1973-74 और 1974-75 के वर्षों की खाद्यान्नों और गैर-खाद्यान्नों की पैदावार के तदनुरूपी सूचकांक नीचे दिए गए हैं ।

वर्ष	खाद्यान्न	गैर-खाद्यान्न	सभी फसलें
1973–74 . .	117.9	115.6	117.1
1974–75 . .	115.4	115.6	115.5

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में वन परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से सहायता

21. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश में वन परियोजनाओं के लिये कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां। विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में बस्तर वानिकी परियोजना के लिए तकनीकी सहायता संबंधी कार्यक्रम को स्वीकृति दी है।

(ख) उसका विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1. बाद के चरण में व्यापक रूप में वृक्ष लगाने के कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मार्गदर्शी पैमाने पर उष्णकटिबंधीय चीड़ के वृक्षों को लगाना।

2. बड़ी मात्रा में लकड़ी का प्रबंध करने के लिए काष्ठ निष्कासन का अत्यन्त उपयुक्त तकनीकी का विकास करने हेतु यंत्रीकृत काष्ठ निष्कासन की मार्गदर्शी पैमाने पर व्यवस्था करना।

3. रोपण संबंधी कार्यकलापों को बढ़ाने के लिएउचित क्षेत्रों को अभिज्ञात करने हेतु बस्तर जिले के मध्य भाग में स्थान संबंधी मूल्यांकन का सर्वेक्षण शुरू करना।

4. मौजूदा दृढ़काष्ठ से उपलब्ध कच्ची सामग्री पर आधारित उपयुक्त उद्योगों को स्थापित करने के लिए संभाव्य अध्ययन आरंभ करना।

अनुमान है कि उक्त अध्ययन के पूरा होने के बाद बस्तर क्षेत्र के विद्यमान संसाधनों के उपयोग का व्यापक कार्यक्रम और उपयोग के लिए चुने गए मानव निर्मित वनों का निर्माण संबंधी कार्य शुरू करना संभव होगा।

Extension of Kamla Balan Dam, Bihar

22. **Shri Ram Bhagat Paswan**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether many blocks of North Bihar have virtually become islands due to non-extension of Kamla Balan Dam (Bihar);

(b) whether Government are aware that the public have been requesting for the extension of the Kamla Balan Dam from Darjia to Agra ghat Tilkeshwar;

(c) whether Government propose to extend this dam and thus save lakhs of flood affected people ; and

(d) if so, the time by which work for its extension is proposed to be undertaken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) & (b). The area downstream of the existing Kamla Balan embankments constructed upto Darjia gets submerged due to the combined flood waters of the Kamla, Kosi and the Bagmati almost every year and there is demand from the people affected for the extension of the embankments below Darjia.

(c) & (d). The question of providing protection downstream of the existing embankment on the Kamla Balan has been engaging the attention of the Bihar State Government for quite

sometime. Scheme for the extension of Kamla Balan embankment by 40 Km. beyond Darjia and linking the same with the existing Kareh embankment near Phuhia is under consideration since 1972. The necessary hydrological data is still under collection by the State Government. However, a scheme prepared in 1975 for extension of the embankments on both sides of Kamla for a length of 16 Km. below Darjia is currently under study.

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्थान, मैसूर द्वारा विकसित कम लागत वाले प्रोटीन खाद्य तथा पेय पदार्थ

23. **श्री हरी सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्थान, मैसूर द्वारा हाल में विकसित कम लागत वाले प्रोटीनयुक्त खाद्य तथा पेय पदार्थों को सप्लाई करने हेतु खुले बाजार में लाने की स्थिति है ; और

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं को सप्लाई का ढंग तथा शर्तें क्या होंगी ?

कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान संस्थान, मैसूर ने सूचित किया है कि उन्होंने एक शक्तिदायक खाद्य मिश्रण तैयार किया है जिसमें 16 ग्राम प्रोटीन है और 100 ग्राम आहार में 400 कैलारी मिलती है। यह संस्थान कर्नाटक की राज्य सरकार के लिये प्रतिदिन एक मीटरी टन अहार तैयार कर रहा हैं। इस आहार का वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन किया जाना है। इस संस्थान ने प्रोटीन आइसोलेट टोंड दूध, मिल्टोन तैयार किया है जिसका इस समय बंगलौर, हैदराबाद और कोचीन की सरकारी डेरियों में उत्पादन किया जा रहा है। इन यूनिटों की क्षमता प्रतिदिन लगभग 5000 लिटर है। मिल्टोन दूध से सस्ता है। इसका विशेष पोषाहार कार्यक्रमों में प्रयोग किया जाता है और डेरियों द्वारा इसका विक्रय भी किया जाता है।

फरक्का नहर के कार्य के पूर्ण होने में विलम्ब

24. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरक्का नहर कार्य के पूरा होने में विलम्ब के कारणों की जांच कराने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या फरक्का कार्यों के अतिरिक्त भुगतान किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) से (घ). लोक सभा में 30 जनवरी, 1976 को सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा फरक्का बराज परियोजना पर अपनी 196 वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/प्रक्षेणों की रोशनी में प्रश्न में निर्दिष्ट मामलों की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

सूखाग्रस्त जिला

25. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में, राज्यवार, सूखाग्रस्त होने वाले जिलों की संख्या तथा नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 राज्यों के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से 74 जिले (56 मुख्य जिले तथा 18 जिलों में निकटस्थ इलाके) आते हैं। इन 74 जिलों में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम क्षेत्रों को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई **देखिए** संख्या एल टी–10372/76]

केरल में प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक

26. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक और कृषि पुर्नवित तथा विकास निगम द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों से केरल में प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों को दिवालियेपन का सामना करना पड़ सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारी उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा नियुक्त कमेटी की राय को ध्यान में रखते हुए कि केरल में नये स्थापित प्राथमिक भूमि बंधक बैंक सक्षम नहीं हो सकते हैं, रिजर्व बैंक ने इन बैंकों को पुर्नवित की सुविधायें देने के मामले में प्रतिबंध लगा दिए थे। इसी बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ अतिरिक्त सूचना एकत्रित की है और मामले पर विचार किया जा रहा है। केरल में इन नये स्थापित प्राथमिक भूमि बंधक बैंकों को उपयुक्त समझे जाने पर राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा अपने निजी संसाधनों से वित्त दिया जा सकता है।

मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा

27. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या **शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुस्लिम महिलाएं शिक्षा के मामले में पिछड़ी हुई हैं ; और

(ख) अधिक मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा की ओर आकर्षित करने के लिये क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति मन्त्र विभाग में उपमन्त्री (श्री डी०पी०यादव) : (क) और (ख) देश में महिलाओं का शैक्षणिक स्तर सामान्यतः पुरुषों की अपेक्षा कम है। केन्द्रीय सरकार इस समस्या को किसी एक समुदाय से सम्बन्धित नहीं समझती बल्कि इसका सम्बन्ध तो आर्थिक, समाजिक तथा शैक्षषिक दृष्टि से पिछले सभी वर्गों के शैक्षषिक स्तर को उठाने की जरूरत से मानती है। महिलाओं में शिक्षा को बढावा देने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। उनमें प्राइवेट अध्ययन तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों सहित सभी स्तरों पर गैर औपचारिक शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था तथा छात्रवृतियां और पूरी फीस माफी जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना; लड़कियों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था करना, ग्रामीण स्कूलों में अध्यापिकाओं को तैनात करना; पुस्तकें तथा लेखन सामग्री ; वर्दिया तथा मध्यान्ह भोजन आदि मुफ्त मुहैया करना शामिल है।

Research by I.C.A.R.

28. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the important researches made by the Indian Council of Agricultural Research during the last two years to improve varieties and to boost production of paddy, wheat, jowar, soyabean, groundnut, maize and arhar; and

(b) the measures taken to ensure maximum benefit thereof to farmers?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah NAWAZ Khan): (a) The important researches made by ICAR during the last two years through its Coordinated Research approach are:

(i) Development of several disease and pest resistant or tolerant, high yielding varieties or hybrids of these crops such as "*Paddy*" Vani. Pusa 3-30. Pusa 2-21. "*Wheat*" Arjun, Pratap, Raj 911, Janak, UP 215. Malavika (HD-4502). Shera (HD-1925) MACS 9 and Shailaja, "*maize*" Deccan 101 "*jowar*" CSH-5, CSV-2, CSV-3, CSV-4, CSV-5, CSV-6 and CSV-7, "*Soyabean*" Ankur, "*groundnut*" J-113. "*arhar*" Prabhat & T-21.

In addition, a number of high yielding varieties and hybirds of these crops with better resistance to the major diseases and pests and acceptable grain quality have been identified which are in the advanced stage of testing in Minikit demonstrations.

(ii) Development of suitable agro-technique such as optimum time of sowing; methods of preparation of fields, optimum seed rate and economic method of fertilizer application in the irrigated, rainfed and problem soils and standardisation of effective and economic methods of irrigations and plant protection schedules for boosting the yield per hectare;

(iii) Development of relay, multiple, mixed and inter-cropping techniques for maximum utilization of soil, water, sunlight and animal and human resources.

(b) The use of these varieties by the farmers is being popularised through demonstrations, free distribution of certain seeds in minikit programme, provision of subdsidy on certain crop varieties under the various central sector and centrally sponsored schemes in addition to State Plan Schemes.

कर्नाटक में लघु कृषक विकास एजेंसी और सीमान्तक कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेंसी

29 **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के किन-किन क्षेत्रों में लघु कृषक विकास एजेन्सियां और सीमांतिक कृषक एवं कृषि श्रमिक एजेन्सियां कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या इन एजेन्सियों के संचालन क्षेत्रों में वृद्धि की जा रही है ; और

(ग) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत कृषकों और श्रमिकों को दिये गए ऋणों के लिए उनसे वसूल किये जाने वाले ब्याज को ऊंची दर के भार को कम करने के लिए कोई उपाय विचाराधीन है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक राज्य को सात लघु किसान विकास एजेंसियां / सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसियां जिसमें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान आरम्भ की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं, बंटित की गई हैं । चौथी योजना के दौरान आरम्भ की गई पांच लघु किसान विकास एजेंसी / सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं में से बीजापुर

की परियोजना को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के साथ मिलाया जाएगा और मैसूर की परियोजना को कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलाया जाएगा । तथापि, राज्य सरकार को मैसूर परियोजना तब तक जारी रखने की अनुमति दी गई है जब तक कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम छोटे / सीमांत किसानों तथा कषि श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक और बड़ा कार्यक्रम आरम्भ करने के योग्य न हो जाए ।

चौथी योजना के दौरान बिहार, नार्थ कनारा तथा तुमकुर जिलों में शेष तीन परियोजनाओं के पांचवीं योजना के अंत तक जारी रहने की आशा है । इसके अतिरिक्त हसन, बेल्लारी, गुलबर्गा तथा शिमोगा जिलों में चार नई परियोजनाएं पांचवीं योजना के लिए अनुमोदित की गई हैं जिनमें से हसन तथा बेल्लारी पहले ही गठित की जा चुकी है। अन्य परियोजनाएं 1976-77 में आरम्भ की जाएंगी ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गई लघु किसान विकास एजेंसी / सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिक परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में पूरा जिला लिया गया । जहां तक पांचवीं योजना के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं का संबंध है पांच वर्षों की परियजोना अवधि के दौरान परिचालन के क्षेत्र के अन्तर्गत 50,000 लघु / सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिकों को लिए जाने का निर्णय किया जाएगा ।

(ग) विशिष्ट ब्याज-दर योजना के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज की दर वसूल की जाती है और यह योजना चुनी शाखाओं में चलाई जा रही है और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किए गये हैं। अन्य बातों के साथ साथ इस योजना के अन्तर्गत बहुत छोटे किसान आते हैं । इन योजनाओं के अन्तर्गत ब्याज की वर्तमान दर को घटाने के लिए अन्य किन्हीं उपायों का अवलोकन नहीं किया जा रहा है ।

आनन्दपुर में बाँध का निर्माण

30. **श्री कुमार मांझी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य में आनन्दपुर में वैतरणी नदी पर बांध के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है ; और

(ग) बांध के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ग) योजना आयोग ने आनन्दपुर बराज परियोजना को मई, 1972 में स्वीकृत किया था उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि वे अब आनन्दपुर में बराज के निर्माण को स्थगित। रखने का प्रस्ताव रखते हैं और उनका इरादा है कि प्रस्तावित बराज के अन्तर्गत नए क्षेत्र को सालन्दी परियोजना के जल का प्रयोग करके वर्तमान विद्याधरपुर बराज से एक सम्पर्क नहर द्वारा सिंचित किया जाए ।

संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) इस परियोजना को विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले की नदियों के तट बंध बनाना

31. **श्री टूना उरांव : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की सभी नदियों के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर तटबंध बना दिये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे महत्व के स्थान कौन कौन से हैं ;

(ग) अब तक उन पर कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या वर्षा ऋतु आरंभ होने से पूर्व उनके तटबंध बना लिए जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केनादार नाथ सिंह) (क) से (घ). उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी जिला बहुत सी नदियों द्वारा घिरा हुआ है जिनमें से मुख्य महानन्दा, तीस्ता, रैडाक तथा अन्य बृहत् सहायक नदियां हैं । उंची बाढ़ों के दौरान इन नदियों के तट बहुत से स्थानों में जलमग्न हो जाते हैं ।

पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इन नदियों के साथ नाजुक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए तटबंधों एवं कटाव-रोधी कार्यों के रूप में बहुत सी स्कीमों को क्रियान्वित किया है। उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा जिसको पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित किया है, अतिरिक्त कार्यों का आयोजित एवं क्रियान्वित किया जा रहा है ।

इस क्षेत्र में अनुकूल स्थानों तथा क्या उनमें से सभी को सुरक्षित कर दिया गया है अथवा बाढ़ों से पूर्व सुरक्षित करने की योजना है और अब तक ऐसे कार्यों पर किए गए व्यय के संबंध में ब्यौरा अभी तक राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया है । राज्य की 1976–77 की वार्षिक योजना में उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 150 लाख रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है जिसमें 75 लाख रुपये का प्रावधान जलपाईगुड़ी जिले में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए शामिल है ।

केन्द्रीय भण्डार निगम की भण्डारण क्षमता

32. **श्री धामनकर : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय भण्डार निगम की वर्तमान कुल भण्डारण क्षमता कितनी है तथा भारतीय खाद्य निगम इसमें से भण्डारण के लिए कितने स्थान की मांग है ;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डारण निगम विशेषकर खरीफ की भारी फसल तथा चावल की वसूली की उत्साहजनक प्रवृत्ति को देखते हुए अपनी वर्तमान क्षमता में से भारतीय खाद्य निगम की समूची भण्डारण आवश्यकता को पूरा कर सकेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय भण्डार निगम ने भण्डारण की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा क्या पर्याप्त तथा वैज्ञानिक व्यवस्था की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भण्डागार निगम के पास इस समय कुल भण्डारण क्षमता 17.23 लाख मीटरी टन है जिसमें से भारतीय खाद्य निगम लगभग 39 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रहा है।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने अपनी बहुत अधिक क्षमता का निर्माण करवाया है, इसके अलावा, निगम ने विभिन्न स्रोतों से किराये के गोदाम ले रखे हैं। फसल की अच्छी स्थिति से उत्पन्न भण्डारण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डागार निगम ने और भण्डारण क्षमता तैयार करने के लिये पग उठाए हैं। विभिन्न स्रोतों से और गोदाम किराये पर लिए जा रहे हैं। खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डागार निगम ने अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की है। केन्द्रीय भण्डागार निगम के निर्माण कार्यक्रम को तेज किया गया है ताकि भारतीय खाद्य निगम को अधिक से अधिक भण्डारण क्षमता सुलभ की जा सके।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रस्ताव

33. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुस्तकालय के स्तर का एक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव है जो सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशनों को संग्रह करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) तथा (ख) जी नहीं। देश में केवल एक ही राष्ट्रीय पुस्तकालय है जो कलकत्ता में स्थित है। तथापि, भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं का एक पुस्तकालय तथा केन्द्रीय हिन्दी पुस्तकालय, तुलसी सदन, नई दिल्ली में स्थित हैं। असमी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू में, क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय के लिए लगभग 44,000 पुस्तकें पहले से ही प्राप्त कर ली गई हैं। केन्द्रीय हिन्दी पुस्तकालय के लिए लगभग 7,000 पुस्तकें, पहले ही उपलब्ध कर ली गई हैं। इन दोनों पुस्तकालयों के लिए और अधिक पुस्तकें प्राप्त की जा रही हैं। उपस्कर, पुस्तकों तथा स्टाफ के वेतनों पर 3,50,000 रुपए की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। स्टील की अलमारियां, उपस्कर, पुस्तकें खरीदने तथा स्टाफ के लिए चालू तथा अगले वित्तीय वर्षों में अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था कर ली गई है। विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों को अब तक संस्वीकृत किया गया है। क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय, केन्द्रीय हिन्दी पुस्तकालय तथा केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय सहित एक केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित करने तथा इसे, पुस्तक वितरण अधिनियम के अन्तर्गत चौथा प्राप्तकर्त्ता पुस्तकालय घोषित करने का प्रस्ताव विचराधीन है।

Complaints about distribution of levy sugar

34. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaint that levy sugar is being sold in the black market at the rate prevalent in open market;

(b) whether Government have also received complaints that weaker sections, particularly the Harijans and Adivasis living in the rural suburban areas, do not get levy sugar;

(c) whether levy sugar dealers indulge in these malpractices in collusion with the officials of the Food department;

(d) if so, whether Government propose to sell sugar in open market on an experimental basis like cement and vegetable oil; and

(e) if so, the time by which it will be done?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Shah Nawaz Khan): (a) to (c) The monthly quotas of levy sugar are allotted to States for disrtibution to domestic consumers at the uniform retail price of Rs. 2·15 per Kg. The Scale of distribution is left to the discretion of the State Governments subject to the guidelines that it should not exceed 1 Kg. per head per month and should not be less than 1 Kg. per family per month and that adequate supplies of levy sugar are made available to the rural population. No complaints have been received about the weaker sections in rural areas not getting levy sugar. Some State Governments have, however, received complaints about sale of levy sugar in black-market and whenever such complaints are received, the State Government enquire into them and take appropriate action.

(d) & (e) No Sir. There is no such proposal.

भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण समस्या

35. **श्री नरसिंह नारायण पाँडे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12 फरवरी, 1976 के समाचार-पत्र "टाइम्स ग्राफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को अन्न भण्डारण समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिए सरकार ने क्या विभिन्न कार्यवाहियां की हैं?

कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) : खरीफ की अच्छी फसल होने के कारण अच्छी अधिप्राप्ति होने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम निकासी होने के परिणामस्वरूप उपलब्ध भण्डारण क्षमता पर कुछ दबाव पड़ा है।

(ख) सरकार को इस स्थिति की पूर्ण जानकारी है और पर्याप्त भण्डारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम तथा केन्द्रीय भण्डागार निगम द्वारा यथा-आवश्यक अतिरिक्त भण्डारण क्षमता तैयार की जा रही है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से भी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर ली जा रही है। ढके हुए स्थानों और प्लिंथों में भी खाद्यान्नों का भण्डारण किया जा रहा है। स्टैकों की ऊंचाई में पर्याप्त वृद्धि कर यथा-सम्भव अधिकतम हद तक मौजूदा भण्डारण क्षमता को भी इस्तेमाल किया जा रहा है।

शिक्षा की नई पद्धति

36. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने शिक्षा की 10+2+3 की पद्धति स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि नहीं, तो किन राज्य सरकारों ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है ;

(ग) उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने के क्या कारण दिए हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या विशेष कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) और (ख) निम्नलिखित राज्य पाठ्यक्रम की 10+2 पद्धति लागू कर चुके हैं :—

आन्ध्र प्रदेश
असम
दिल्ली और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन स्कूल
गुजरात
जम्मू और काश्मीर
कर्नाटक
केरल
महाराष्ट्र
मणिपुर
नागालैंड
मेघालय
सिक्किम
त्रिपुरा
उत्तर प्रदेश; और
पश्चिम बंगाल

अन्य राज्यों में मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के संकटग्रस्त कालेज

37. **श्री राज राज सिंह देव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ कालेज संकटग्रस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन कालेजों के नाम क्या हैं और उन कालेजों को गैर-सरकारी प्रबंधकों से लेने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, कुछ कालेजो ने विश्वविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया है । कुछ ऐसे भी कालेज हैं जो नियमों का पालन तो करते हैं किन्तु धन की कमी के कारण कठिनाई में हैं । इन दो श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले कालेजों के नाम इस प्रकार हैं :—

(i) राम लाल आनन्द कालेज, (ii) दयाल सिंह कालेज, (iii) पी० जी० डी० ए० वी० कालेज, (iV) राव तुला राम कालेज, (V) किरोड़ी मल कालेज और (Vi) श्याम लाल कालेज ।

यदि किसी कालेज के प्रबंधक ऐसे अधिग्रहण के लिए इच्छुक न हों तो दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय उस कालेज को अपने हाथ में ले। विश्वविद्यालय द्वारा राम लाल आनन्द कालेज को उसके प्रबंधकों से प्रार्थना प्राप्त होने पर पहले ही अधिग्रहण कर लिया गया है और दयाल सिंह कालेज के अधिग्रहण के लिए सिद्धांत रूप से निर्णय ले लिया गया है।

पी० जी० डी० ए० वी०, राव तुला राम और किरोड़ी मल कालेजों के अधिग्रहण का प्रश्न दिल्ली विश्वविद्यालय के विचाराधीन है जिसने इस मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास उसकी सलाह के लिए भेज दिया है। जहां तक श्याम लाल कालेज का सम्बन्ध है, उक्त कालेज के अध्यापकों ने विश्वविद्यालय से कालेज के शीघ्र अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया है।

राज्यों में सिंचाई योजनायें

38. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपातस्थिति के बाद प्रत्येक राज्य में कुल कितनी हैक्टेयर भूमि को सिंचाई योजनाओ के अन्तर्गत लाया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : आपातकालीन स्थिति के पश्चात् सिंचाई के अन्तर्गत लाए गए क्षेत्र के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, जून 1975 के पश्चात वर्ष 1975-76 के वर्ष के दौरान बृहत् मध्यम तथा लघु स्कीमों के माध्यम से, जिन्हें आपातकालीन स्थिति के तीन मास पूर्व विकास के लिए अनुमति दे दी गई थी, सृजित होने वाली सिंचाई शक्यता का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सिंचाई शक्यता (हजार हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24
2.	असम	21
3.	बिहार	95
4.	गुजरात	63
5.	हरियाणा	52
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	जम्मू और काश्मीर	7
8.	कर्नाटक	67
9.	केरल	24
10.	मध्य प्रदेश	84
11.	महाराष्ट्र	110
12.	मणिपुर	3

1	2	3
13.	मेघालय . . .	1
14.	नागालैंड . . .	1
15.	उड़ीसा . .	62
16.	पंजाब .	46
17.	राजस्थान	48
18.	सिक्किम .	—
19.	तमिलनाडु	17
20.	त्रिपुरा .	2
21.	उत्तर प्रदेश . .	460
22.	पश्चिम-बंगाल . .	56
	संघ राज्य क्षेत्र . .	2
	कुल : .	1247 अर्थात् 1.25 मिलियन हैक्टेयर

संघ राज्य क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण

39. श्री वीरभद्र सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में अनधिकृत निर्माणों में कुल कितने लोग रहते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनका पुनर्वास करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) संघराज्य क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माणों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग). दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर वास्तविक अनधिवासियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण विकसित की गई पुनर्वास कालोनियों में 25 वर्ग गज के वैकल्पिक प्लाट देता है । यह प्राधिकरण झुग्गी-झोंपडी उन्मूलन योजना का कार्यान्वयन करता है । चण्डीगढ़ में उन परिवारो को जो अप्रैल, 1971 से पूर्व सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से बसे हुए हैं "चण्डीगढ़ योजना 1975 में टेनमेंन्टस ट्रांजिट-स्थलों के लिए लाइसेंस देना" नामक योजना के अधीन टेनामेन्ट अलाट किए जाते हैं । सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से बसे शेष प्रत्येक अनधिवासी को 15 फुट × 20 फुट का ट्रांजिट-स्थल 10 रुपये प्रति मास के पट्टे पर दिया जाता है । पांडिचेरी सरकार का सार्वजनिक भूमि पर बसे अनधिवासियों को चालू पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान टेनामेन्ट और विकसित प्लाट अलाट करने का प्रस्ताव है ।

स्त्रियों के दर्जे के बारे में प्रतिवेदन की जाँच

40. **श्री वसन्त साठे** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्त्रियों के दर्जे सम्बन्धी समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की सरकार ने जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की विभिन्न सिफ़ारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के दहेज देने अथवा लेने पर रोक लगाने सम्बन्धी आदेश अभी तक जारी नहीं किये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) : रिपोर्ट की जांच की जा रही है। समिति की सिफारिशों पर अब तक, संलग्न विवरण पत्र में दिए अनुसार कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ). दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दहेज देना तथा लेना अपराध हैं। यह सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होता है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को और सख्त बनाने के लिए 6 राज्य सरकारों अर्थात् बिहार, हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कदम उठाए हैं। स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए भारत सरकार ने भी हाल में केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 को संशोधित किया है। राज्य सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया गया है तथा उनसे अनुरोध किया गया है कि यदि उन्होंने अपने कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसे उपबन्ध लागू नहीं किए हैं तो वे भी ऐसा करें।

विवरण

1. भारत में स्त्रियों की स्थिति से सम्बन्धित समिति की निम्नलिखित सिफ़ारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं :–

(1) महिलाओं की जानकारी को बढ़ाने के लिए महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी को फैलाने के लिए अभियान चलाना।

(2) सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों में उचित उपबन्ध करके सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज लेना या देना निषिद्ध करना।

(3) महिलाओं की समस्याओं से निपटने के लिए श्रम मंत्रालय में एक सैल बनाना।

(4) फैक्टरी अधिनियम के अधीन शिशु केन्द्रों की व्यवस्था किए जाने के लिए कार्मिकों की संख्या को 50 से घटा कर 30 करना। समिति ने अलबत्ता महिला कार्मिको की संख्या 20 कर दिये जाने की सिफारिश की थी।

(5) पुरुष और महिला कामगरो के लिए समान कार्य के लिए बराबर का वेतन सुनिश्चित किए जाने के लिए विधायी अधिनियमन करना ।

(6) आपसी मरजी से तलाक के लिये अन्य बातों के साथ-साथ उपबन्ध को शामिल करने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1950 का संशोधन तथा अत्याचार और परित्याग को भी तलाक के कारण बनाना ।

(7) क्षेत्र में स्थित उद्योगों और साधनों के साथ गहरा सम्बन्ध स्थापित करके महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमो का विकास करना ।

(8) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार महिलाओं के पोलीटेक्निकों के साथ उत्पादन केन्द्र संलग्न करना।

(9) अशिक्षित तथा अर्द्धशिक्षित महिला कामगरों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का विकास करना ।

(10) प्रौढ़ महिलाओं के लिए बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था ।

(11) शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर साधारण नीति के रूप में सह-शिक्षा को स्वीकार करना ।

(12) जहां कहीं लड़कियों के लिए अलग स्कूलों/कालिजो की व्यवस्था की जाए, वहां स्टाफ, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों, आदि के बारे में अपेक्षित मानदण्ड बनाए रखना ।

(13) 10वीं कक्षा के अन्त तक लड़कों और लड़कियों के लिए साधारण शिक्षा के समान पाठयक्रम ।

(14) 11वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठयक्रमों का व्यावसायिकीकरण ।

(15) ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी गन्दी बस्तियों में प्राथमिक ।माध्यमिक स्कूलों के यथासम्भव अत्यन्त निकट बालवाड़ियां खोलना और उनकी सख्या को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करना ।

(16) प्रत्येक बालक के घर से चल सकने लायक दूरी पर प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था करना ।

(17) स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया को अधिक लचीला बनाना ताकि लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी कर सकें ।

(18) सेकेन्डरी स्कूलों में लड़कियों के लिए रोजगार मुखी कार्य-अनुभव की व्यवस्था शुरू करना ।

(19) जो महिलाएं औपचारिक विधि से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकी हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना ।

(20) महिलाओं को बीमारियों के क्षेत्र में अनुसन्धान को बढ़ावा देना ।

(21) परिवार नियोजन से सम्बन्धित जन अभियानों का उद्देश्य जननक्षमता, उपापचए वंशानुगत रोगों तथा बच्चे के लड़की या लड़का होने से सम्बन्धित चालू सामाजिक मनोवृत्तियों को ठीक करना भी होना चाहिए ।

(22) अकेले अध्यापक वाले स्कूलों को यथासम्भव शीघ्र परिवर्तन किये जाने की व्यवस्था ।

(23) लड़कियों की अंशकालिक शिक्षा की पद्धति का विकास करना ।

(24) बहुप्रयोजन प्रविष्टि पद्धति को अपनाना ।

(25) उन लड़कियों के छोटे भाइयों और बहनों की देखभाल के लिए स्कूलों में सुविधाओं की व्यवस्था जो स्कूलों में पढ़ने के लिए जा सकते हैं ।

(26) सैकेण्डरी स्तर तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा ।

(27) मिले जुले स्कूलों के लिए मिले-जुले स्टाफ की व्यवस्था ।

(28) सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था, पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिये पर्याप्त प्रबन्ध तथा लड़कियों के लिए अधिक आवश्यकता एवं योग्यता के आधार पर छात्रवृत्तियों की व्यवस्था।

2. अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित सिफ़ारिशें क्रियान्वित की गई हैं :—

(1) स्त्री और पुरुष श्रमिकों के लिए मजदूरी की समानता; भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 सितम्बर, 1975 को एक अध्यादेश "समान वेतन, 1975" जारी किया गया ।

(2) समिति की सिफारिश के अनुसार प्रौढ़ महिलाओं को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए "प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता की योजना" नामक योजना स्वीकृत की गई ।

(3) सामाजिक और आर्थिक समस्याओं की जांच करने के लिए नियुक्त की गई महत्वपूर्ण समितियों, आयोगों अथवा प्रतिनिधिमण्डलों में महिलाओं को शामिल करना; इस बारे में भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1975 को समुचित आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(4) महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए सूचना प्रसारण के लिए अभियान आरम्भ करना; इस उद्देश्य के लिए सभी जन-संचार साधनों का उपयोग किया गया ।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी गन्दी बस्तियों में बालवाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करना ; इस वर्ष के दौरान समेकित बाल विकास

सेवा योजना स्वीकृत की गई जिसमें आंगनवाड़ियां स्थापित करना शामिल है जो इस उद्देश्य की पूर्ति करती हैं।

3. उपरोक्त पैरा 1 के उप-पैरा (7), (8), (9), (11), (12), (14), (16), (17), (18), (19), (20), (21), 22 से 28 में उल्लिखित सिफारिशें सरकार की उन नीतियों के अनुरूप हैं जो कार्यान्वित हैं।

4. सभी ट्रेड यूनियनों में महिला के प्रभाग बनाने तथा चुनाव के लिए प्रेषित महिलाओं के प्रतिशत के बारे में राजनीतिक दलों द्वारा एक निश्चित नीति अपनाने से सम्बन्धित समिति की सिफारिशें सरकार की कार्यवाही के क्षेत्र से बाहर हैं।

5. समिति की अन्य सिफारिशों पर राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों तथा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

आलू का उत्पादन

41. श्री वसन्त साठे : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अपर्याप्त शीतागार क्षमता की कमी के कारण देश में आलू की फसल के बड़े भाग के सड़ कर नष्ट हो जाने की सम्भावना है जिसके परिणामस्वरूप आलू को विवश बिक्री करनी पड़ेगी ;

(ख) यदि हां, तो किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने आलू का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कोई भावी अल्पावधि और दीर्घावधि पैकेज योजना तैयार की है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल)।

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, कृषकों को उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :-

(1) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लाभकारी मूल्य पर निर्यात योग्य आलू के खरीद केन्द्र खोले गये हैं।

(2) भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की, जहां कृषक आलू के मूल्यों में गिरावट होने की समस्या का सामना कर रहे थे, मंडियों में आलू की वाणिज्यिक खरीद करना प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) सरकार ने आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिये हैं और इस वर्ष आलू के निर्यात को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये गये हैं।

(ঘ) तीन वर्षों का उत्पादन नीचे दिया जा रहा है :—

वर्ष	हजार मीटरी टन में उत्पादन
1972-73 . . .	4451.0
1973-74 . . .	4861.1
1974-75 . . .	6171.1

वर्ष 1975-76 के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

सरसों के खेतों से 'आरजेमोन' के पौधों का उन्मूलन

42. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मालिकों से ऐसी अनेक शिकायतें मिली हैं कि सरसों के खेतों में जंगली पौधों का उन्मूलन न किए जाने के कारण सरसों के बीज में 'आरजेमोन' के बीज भी मिल जाते हैं; और

(ख) क्या सरसों के खेतों से 'आरजेम्पोन' का उन्मूलन करने के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए कोई प्रयास किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां।

(ख) खेतों में सरसों के बीजों के साथ 'आरजेमोन' के बीज मिल जाने के प्रश्न पर विचार किया गया है। विशेषज्ञों का मत है कि खेतों में सरसों के बीजों के साथ आर्जेमोन के बीज अपने आप नहीं मिल जाते क्योंकि आर्जेमोन सरसों की फ़सल के बहुत बाद पकता है। इसके अलावा आर्जेमोन के पौधों विशेषकर इसके फ़लों के कांटेदार होने के कारण सरसों की फ़सल के साथ, इसके फ़लों की कटाई होने की सम्भावना नहीं होती है। तथापि, राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आर्जेमोन मेक्सिकाना के उन्मूलन के लिए अभियान तेज कर दें और तोरिया तथा सरसों के उत्पादकों पर इस खर-पतवार का न केवल खेतों से बल्कि खेत के मेड़ों और समीप की परती भूमि आदि से भी पूरी तरह उन्मूलन कर देने की अनिवार्यता के बारे में बल दें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे जो 'कृषक दिवस' और 'कृषक मेले' आयोजित करते हैं, उनमें भी इस पहलू पर जोर दें।

नेहरू युवक केन्द्र

43. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975—76 में किन-किन स्थानों तथा किन-किन राज्यों में नेहरु युवक केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की गई ;

(ख) क्या उक्त सब केन्द्र खोल दिए गए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उनमें से ऐसे केन्द्रों के नाम क्या हैं जो अभी तक नहीं खोले गए हैं, उनको स्वीकृति किस तिथि को दी गई थी और विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) उनके कब तक खुल जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10373/76]

(ख) (ग) तथा) (घ) पंजाब में गुरदासपुर और फ़रीदकोट इन दो केन्द्रों ने अक्तूबर, 1975 से और दिल्ली में एक केन्द्र ने मार्च, 1976 से कार्य आरम्भ कर दिया है । 12 युवक समन्वयकों के चयन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और आशा है वे शीघ्र ही कार्यभार संभाल लेंगे। संबंधित राज्य सरकारों की सलाह से शेष केन्द्रों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। युवक समन्वयकों द्वारा अपना अपना कार्यभार संभालते ही केन्द्र अपना कार्य आरम्भ कर देंगे।

साहित्य अकादमी द्वारा नेपाली और कोंकणी भाषाओं की मान्यता

4a. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी द्वारा नेपाली और कोंकणी भाषाओं को आधुनिक साहित्य भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त भाषाओं को किस तिथि से मान्यता प्राप्त हुई थी ;

(ग) क्या सरकार ने इन भाषाओं के कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के लिए इस बीच कोई धनराशि उपलब्ध कराई है; यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है ;

(घ) क्या इन भाषाओं में उक्त कार्यक्रम और क्रियाकलापों को चलाने के लिए इस बीच इन भाषाओं के सलाहकार बोर्डों की स्थापना की गई है ; यदि हां, तो प्रत्येक बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या क्या हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इन बोर्डों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) साहित्य अकादमी की महा परिषद ने अपनी 26–2–75 को हुई बैठक में नेपाली और कोंकणी भाषाओं को भारत की स्वतंत्र आधुनिक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है।

(ग) भारत सरकार अकादमी के समग्र कार्यकलापों के लिए अनुदान देती है। अपने विभिन्न कार्यकलापों के लिए निधियां आवंटित करने की जिम्मेदारी अकादमी की है । 1975-76 के लिए अकादमी को संस्वीकृत कुल अनुदान 3.75 लाख रुपए (योजना) और 13.51 लाख रुपये (योजनेतर) है ।

(घ) अभी तक नहीं ।

(ङ) इन भाषाओं के लिए एक सलाहकार बोर्ड गठित करने के लिए अपनी निर्धारित पद्धति के अनुसार साहित्य अकादमी द्वारा पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

स्वायत्तशासी कालेज

45. श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों में स्वायत्त शासी कालेजों के विचार को स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कालेजों के नाम क्या हैं (वे किन किन विश्वविद्यालयों में स्थित हैं) जिन्हें अब तक स्वायत्तशासी कालेजों के रूप में मान्यता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग स्वायत्त कालेजों के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देता है। बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची, को रांची विश्वविद्यालय के अधिकारक्षेत्र में स्वायत्तता का स्तर दिया गया है । विश्वविद्यालयों ने स्वायत्तता का स्तर स्वीकृत करने हेतु ऐसे कोई अन्य कालेजों की भी सूची तैयार कर ली है । आयोग ने विश्वविद्यालयों को उस तरीके के बारे में सलाह दी है जिसके आधार पर स्वायत कालेजों से संबंधित प्रस्तावों की जांच की जानी है ।

विकलांगों की देखभाल के लिए ऐच्छिक संस्था

46. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार विकलांगों की देखभाल और सहायता के लिए स्थापित ऐच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता की मंजूरी देती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे किन-किन संघों/संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी हां ।

(ख) विकलांग व्यक्तियों संबंधित स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत सरकार स्वीकृत परियोजनाओं के लिए अनुमानित आवर्ती/गैर आवर्ती खर्च के 90 प्रतिशत तक अथवा शुद्ध कमी, इनमें से जो कम हो, दे सकती है । उपकरणों को खरीदने, भवन बनवाने, सम्मेलनों का आयोजन करने तथा स्टाफ को वेतनों और भत्तों की अदायगी करने के लिए भी अनुदान मंजूर किए जा सकते हैं ।

(ग) एक विवरण पत्र, जिसमें 1973, 1974 तथा 1975 के सम्बंध में जानकारी दी गई है, संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--10374/76]

सिंचित भूमि का क्षेत्र

47. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत देश में सिंचित भूमि का क्षेत्र बनाने के लिए कोई विवरण तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जुलाई, 1975 में प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम में पांचवींपंचवर्षीय योजना अर्थात 1975-76 से 1978-79 के अंतिम चार वर्षों के दौरान पांच मिलियन हेक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं का सृजन करना परिकल्पित है ।

(ख) पांच मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य सतत वृहत एवं मध्यम सिंचाई स्कीमों के क्रियान्वयन तथा इसके साथ-साथ नई स्कीमों को हाथ में लेकर प्राप्त करने का प्रस्ताव है । पांच मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2800 करोड़ रुपए का परिव्यय परिकल्पित है, राज्यवार ब्यौरा संलग्न है ।

(ग) सिंचाई राज्य विषय है और सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन का प्रबन्ध स्वयं राज्य द्वारा अपनी विकासात्मक योजनाओं में करना होता है । राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता, ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह विकास के किसी शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है । 1975-76 के दौरान 18 वृहत सिंचाई परियोजनाओं के लिए 56.65 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1975–76 से 1978–79 तक चार वर्षों में सृजित की जाने वाली शक्यता का लक्ष्य (हजार हेक्टेयर में)
1	2	3
1	आंध्र प्रदेश	526
2	असम	74
3	बिहार	487
4	गुजरात	336
5	हरियाणा	168
6	जम्मू और काश्मीर	45
7	कर्नाटक	189
8	केरल	145
9	मध्य प्रदेश	393
10	महाराष्ट्र	454
11	मणिपुर	22
12	उड़ीसा	220
13	पंजाब	111
14	राजस्थान	362
15	तमिलनाडु	13
16	उत्तर प्रदेश	1392
17	पश्चिम बंगाल	212
	कुल राज्य	5149
	संघ शासित क्षेत्र	3
	कुल योग	5152
	अर्थात	(5150)

मिदनापुर में पृथक् विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव

48. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार मिदनापुर में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के नाम पर पृथक् विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह विश्वविद्यालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित होगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख) मिदनापुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

शीत ऋतु में वर्षा से रबी की फसल को क्षति

49. श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष शीत ऋतु में अपर्याप्त वर्षा के कारण रबी की फसल पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रबी की फसल होने की सम्भावना है; और

(ग) उक्त फसल का कुल कितना भाग वसूल किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) 1975–76 में रबी फसलों की बुवाई अनुकूल नमी की स्थिति में की गई किन्तु नम्वम्बर, 1975 के शुरू से जनवरी, 1976 के मध्य तक लगभग 8–10 सप्ताह तक सूखी हवायें चलती रही। तथापि, जनवरी के दूसरे और फरवरी, 1976 के पहले पखवाड़े में हुई लाभदायक वर्षा तथा बिजली और सिंचाई के पानी की सुगम स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान संकेत ऐसे हैं कि इस वर्ष रबी की फसलें पिछले वर्ष से अधिक होंगी।

(ख) और (ग) 1975–76 की रबी फसलों के उत्पादन और उनसे की जाने वाली संभावित वसूली के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं।

Levy on Foodgrains

50. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the extent to which the procurement targets for Kharif crop have been achieved; and

(b) whether the farmers opposed the policy of fixing levy on foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Sihnde) : (a) According to the information available upto 3rd March, 1976, about 97% of the target of rice procurement fixed for the current Kharif marketing season 1975-76 has been achieved. No target has been fixed for procurement of coarse cereals during the current Kharif season.

(b) No reports to this effect have been received from any State.

Scheme to bring unirrigated land under Irrigation

51. **Shri Janeshwar Mishra :** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether any special scheme has been formulated during the emergency to bring unirrigated land under irrigation;

(b) the state-wise outlines of the scheme; and

(c) whether Government have fixed any target date to bring the entire unirrigated land under irrigation?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Kedar Nath Singh) : (a) 20-Point Economic Programme announced by the Prime Minister in July, 1975 envisages creation of additional irrigation facilities for 5 million hectares of land during the last 4 years of the Fifth Five Year Plan i.e. 1975-76 to 1978-79.

(b) The target of 5 million ha. is proposed to be achieved by the execution of ongoing major and medium irrigation schemes as well as by taking up new schemes. State-wise break-up of the target of 5 million ha. envisaging an outlay of Rs. 2800 crores is annexed.

(c) It has been assessed that in the ultimate stage of development about 50% of the cropped area in the country can be provided with irrigation facilities. The total irrigation potential has been estimated at 107 million ha. against which a potential of over 46 million ha. has so far been created. Major Medium and Minor irrigation schemes are being taken up in the Five Year Plans to create the remaining potential. Subject to the availability of funds the ultimate potential is likely to be achieved in about three decades.

Statement

Sl. No.	State/Union Territory	Target of potential to be created in four years from 1975-76 to 1978-79
		('000 ha.)
1.	Andhra Pradesh	526
2.	Assam	74
3.	Bihar	487
4.	Gujarat	336
5.	Haryana	168
6.	Jammu and Kashmir	45
7.	Karnataka	189
8.	Kerala	145
9.	Madhya Pradesh	393
10.	Maharashtra	454
11.	Manipur	22
12.	Orissa	220
13.	Punjab	111
14.	Rajasthan	362

Sl. No.	State Union Territory	Target of Potential to be created in four years from 1975-76 to 1978-79.
		('000 ha.)
15.	Tamil Nadu	13
16.	Uttar Pradesh	1392
17.	West Bengal	212
	Total States	5149
	Union Territories	3
	Grand Total	5152
	Say	(5150)

Training and Welfare of Handicapped

53. **Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) the number of handicapped, dumb and deaf in the country, State-wise and the nature of schemes going on for their training and welfare; and.

(b) whether the services of educated handicapped deaf and dumb persons are taken advantage of and if so, in what way?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri Arvind Netam): (a) The rough estimates suggest that the number of persons with various handicaps may be as follows:—

S. No.	Category	Number
1.	Blind	9 million
2.	Deaf	1½ to 2 million
3.	Orthopaedically Handicapped	4 to 5 million
4.	Mentally Retarded (Children)	2 million.

The national Sample Survey of India has undertaken enumeration of all categories persons on a sample basis in their 28th round. The final data are still being processed.

According to the information available with the Government, the country has 288 institutions for the handicapped. Most of these impart primary or secondary education coupled with some vocational training.

(b) Yes, Sir. In 1975, the Special Employment Exchanges placed 831 educated physically handicapped persons in employment.

Teachers and Staff in Central Schools

54. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) number of central schools in each State and the State-wise number of boys and girls getting education in these schools;

(b) number of male and female teachers and officers working in each of these States; and

(c) the differences in the pay scales of the employees and officers working in the central schools and those of the employees working in Education Departments of their respective States?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) to (c) A statement is attached. [Placed in the Library. *See* No. L.T. —10375/76]

Production and consumption of Groundnut

55. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether adverse effect on the export of groundnut due to the recent imposition of export duty theron is likely to result in decline in the production of groundnut; and

(b) the annual production, domestic consumption and requirements of groundnut at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) The export duty on groundnut has been imposed with the main object of reducing the wide price differential between the domestic and the international prices of groundnut and as such it is not likely to result in decline in the production of groundnut.

(b) No comprehensive and scientific survey of consumption of oilseeds, including groundnut has been conducted in the country and as such it is difficult to give a precise idea of the consumption requirements of groundnut. Groundnut is used for edible purposes, seed and converted into oil. Groundnut oil is used in the manufacture of vanaspati as also for direct edible purposes. The consumption pattern for various oilseeds/oils including groundnut and groundnut oil depends on a number of factors such as changes in prices, levels of incomes, growth of population, consumer preferences etc.

However, the all India estimates of production of groundnut for the last five years ending 1974-75 are as under:—

All India Estimates of Production of Groundnut

Year	Production ('000 tons)
1970-71	6111·1
1971-72	6180·5
1972-73	4091·6
1973-74	5932·0
1974-75	4990·5

Grant to Maharashtra for construction of Houses

56. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Maharashtra Government had asked for grants from Central Government for construction of houses in Adivasi and Harijan areas of Maharashtra after the proclamation of emergency; and

(b) if so, the amount of grant given ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): (a) & (b). The Government of Maharashtra had requested for grant of Central assistance of Rs. 5 crores for providing better quality roofing for the huts constructed for the landless workers in rural areas. The state Government have been informed that the Ministry of Works and Housing have no Scheme under which it could advance funds for the purpose.

Re-opening of Shishu Mandirs (Institutions)

57. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Education Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether Central Government have given any orders for closing down of certain independent educational institutions which are being run in a large number in different States and if so, the number of educational institutions closed after the proclamation of emergency till the end of February indicating the States where such institutions were closed; and

(b) whether Government propose to reopen those institutions such as Shishu Mandirs ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश में आदिवासियों का पुनर्वास

58. **श्री गंगा चरण दीक्षित :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थानीय आदिवासियों के पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश में आर० आर० ओ० यूनिट द्वारा शाहपुर परियोजना में कितनी भूमि को कृषि उपयोगी बनाया गया है ; और कृषि योग्य बनाई गई कुल भमि में से कितने क्षेत्र का उपयोग आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि योग्य बनाई जा सकने वाली भूमि के होते हुए भी आर० आर० ओ० यूनिट के भाग को शाहपुर से स्थानान्तरित किया गया था ;

(ग) क्या एकक की कर्मचारी संख्या कम करने के कारण भूमि को कृषि योग्य बनाने का कार्यक्रम भी धीमा पड़ गया है; और

(घ) क्या इससे स्थानीय जन जातीय परिवारों के पुनर्वास का कार्यक्रम प्रभावित नहीं होगा ।

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय आदिवासियों को कृषि में बसाने के लिए शाहपुर परियोजना में उद्धार के लिए अब तक कोई क्षेत्र नहीं दिया है ।

(ख) से (घ) उपलब्ध भूमि तथा शाहपुर क्षेत्र में नए प्रवासियों के पुनर्वास कार्यक्रम के आधार पर पुनर्वास भूमि-उद्धार संगठन की आधी यूनिट को आन्ध्र-प्रदेश भेजने का निर्णय किया गया तथा चालू वर्ष के दौरान इससे शाहपुर क्षेत्र में पुनर्वास के लिए भूमि-उद्धार में किसी तरह की कठिनाई उपलब्ध नहीं होगी। स्थानीय आदिवासी परिवारों के पुनर्वास के लिए भूमि-उद्धार के सम्बन्ध में अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह कहा गया है कि 4000 एकड़ भूमि खोजी जा चुकी है। इस भूमि पर उद्धार कार्य पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन द्वारा अपने वर्तमान कार्य की समाप्ति तथा बन की भूमि मिलते ही शुरू कर दिया जाएगा।

Cotton Disease in M.P.

59. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that cotton plants were ridden with disease in Madhya Pradesh particularly in East Nimar district of the State;

(b) if so, whether Government took some preventive steps to check this disease; and

(c) if so, the results thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a), (b) & (c). It has been reported that in November and December, 1975, cotton crop in an area of about 80,000 hectares out of the total area of 1·3 lakh hectares in East Nimar district of Madhya Pradesh was affected to a mild extent with physiological disorder manifested by the reddening of green leaves at fruiting stage. The Cotton Agronomist of Jawaharlal Nehru Krishi Vishw a Vidyalaya and the Assistant Cotton Breeder of the State Department of Agriculture carried out an on-the spot inspection of the affected crop and on their recommendation the farmers were advised to spray the crop with 2% Urea or with 2% Diammonium Phosphate and Murate of Potash. They were also advised to irrigate the crop wherever possible.

Milk Production Programme in M.P.

60. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have launched in Maharashtra Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Hayana and Rajasthan first phase of major programmes of dairy development such as the setting up of milk powder manufacturing plants and boosting milk production, but these programmes have not been launched in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) & (b). Under WFP Project 618 (Operation Flood) relating to milk marketing and dairy development, dairy development programmes were taken up in 10 participating States and Union territory of Delhi, forming milk sheds of the metropolitan cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras. Since Madhya Pradesh did not form a milk shed of any of these metropolitan cities, it was not taken up under this project. However, an integrated cattle-cum-dairy development project, with assistance from I.D.A. (an affiliate of the World Bank has been taken up in Madhya Pradesh at a total cost of Rs. 24·97 crores. The IDC also propose to take up dairy development programmes in Madhya Pradesh in the second phase of the project.

दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना

61. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन के स्कूलों में द्वितीय भाषा के रूप में पंजाबी पढ़ाना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत, जिसका दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमों के अनुसार VI से X तक की कक्षाओं में अनुसरण किया जाता है; दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूलों में पंजाबी की एक भाषा के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था है। उपरोक्त के अलावा, दिल्ली प्रशासन उन सहायता प्राप्त स्कूलों को, जिनमें या तो पंजाबी के जरिए शिक्षा दी जाती है अथवा पंजाबी को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, घाटे के 95 प्रतिशत तक अनुदान भी देता है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध चल रही जांच

62. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ऐसे कौन-कौन से अधिकारी हैं, जिनके विरुद्ध या तो विभागीय अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है; और

(ख) यह जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Expenditure incurred on refugees from Bangladesh

63. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Supply and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the total expenditure incurred by the Central Government through the State Government of West Bengal on the refugees who came to India from Bangladesh and the expenditure shared by the West Bengal Government out of it and the period during which it was incurred;

(b) whether the Central Government have yet to pay an amount of Rs. 27·50 crores to the West Bengal Government on this account or whether this account has been cleared between them ; and

(c) if not, the arrears outstanding ?

The Deputy Minister in the Ministry of Supply and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) an expenditure of Rs. 89·30 crores (including liabilities) was incurred by the Government of West Bengal upto May, 1974 against 'On Account' advance of Rs. 110·57 crores sanctioned to them by the Central Government in 1971-72 for expenditure on providing relief and shelter to Bangladesh refugees who had entered India on or after 25-3-1971. The entire expenditure was borne by the Government of India.

(b) and (c) The State Government are yet to refund the unspent balance of Rs. 21·27 crores (Rs. 110·57—Rs. 89·30). It has been decided that this amount should be recovered from the State Government over a period of 10 years.

Model Bye-laws for development of cities, towns and villages under a Master Plan

64. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state: whether in view of the increasing number of towns in the country, Government porpose to frame any model bye-laws on the basis of which all the municipalities and village Panchayats may frame laws and bye-laws to ensure that all the cities, towns, and villages are developed under a Master Plan ?

The Minister of Works and Housing and Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah): Town Planning and Municipal affairs fall under the purview of the State Governments. However, a Model Regional Town Planning and Development law and Model Zoning regulations for the guidance of the State Governments and the Municipalities have been prepared for enabling them to frame their bye-laws on a uniform basis. A number of guides and manuals on different aspects of urban and regional planning have also been made available to State Governments.

नदी के फालतू पानी का उपयोग

65. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार में लगभग स्थायी रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों, पालामऊ, गया, नवादा तथा मुंगेर जिलों में सिंचाई के उद्देश्य से सोन नदी पर कोई बांध बना कर, जिससे वर्षा ऋतु में गंगा नदी में पानी कम पहुंचेगा, वर्तमान नहर प्रणाली द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले पानी के अतिरिक्त सोन नदी के फालतू पानी को उपयोग में लाने का कोई प्रस्ताव है

(ख) क्या इस बाढ़ रोक एवं सिंचाई प्रणाली में पूंपून नदी भी शामिल की जा सकती है; और

(ग) यदि हां तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) सितम्बर, 1972 में बाणसागर परियोजना पर हुए अन्तर्राज्यीय समझौते के अनुसार, सोन नदी से बिहार के लिए 7.75 मिलियन एकड़ फुट, मध्य प्रदेश के लिए 5.25 मिलियन एकड़ फुट और उत्तर प्रदेश के लिए 1.25 मिलियन एकड़ फुट जल के आवंटन की सहमति हुई थी। बाणसागर में 1 मिलियन एकड़ फुट का जल संचय बिहार सरकार द्वारा समुपयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार की सिंचाई आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 0.25 मिलियन एकड़ फुट पानी गंगा से पम्प द्वारा लेकर पूरा किया जाएगा।

बिहार सरकार ने सोन जल के अपने भाग का समुपयोजन करने के लिए बहुत सी नयी स्कीमों नामशः औरंगा, अमानत, कन्हार, मईला आदि को तैयार किया है। इन कार्यों के पूर्ण होने पर गंगा के बाढ़ प्रवाहों में कमी आएगी।

वाराणसी में गंगा पर कच्चे घाट

66. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को वाराणसी में गंगा पर पांच कच्चे घाटों को भू-कटाव से बचाने के लिए कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार द्वारा वाराणसी में विशेष पांच कच्चे घाटों को गंगा के कटाव से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है। राज्य सरकार को बहरहाल, चालू वर्ष के दौरान बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए दी जाने वाली अग्रिम योजना सहायता में ही वाराणसी घाटों के सामने लांचिंग एपरोन सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए 5 लाख रुपये की राशि शामिल कर दी गई है जिसका राज्य सरकार दो पक्के घाटों नामशः पंचकोट और चेतसिंह पर समुपयोजन कर रही है।

प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम

67. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र बाल आपाती निधि की सहायता से राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने देश में प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम नवीकरण परियोजनायें आरम्भ की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें और प्रयोजन क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी हां ।

(ख) इस परियोजना का प्रयोजन ऐसी परिवर्तनशील पाठ्यचर्या का विकास करना है जो उन बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके जिनके स्कूल में कुछ ही वर्ष अध्ययन करने की संभावना है अथवा जो बच्चे बिल्कुल अध्ययन नहीं कर पाते हैं ।

उक्त नवीकृत पाठ्यचर्या को बच्चों के जीवन और उपलब्ध सामाजिक आर्थिक सुविधाओं के अनुरूप बनाया जायेगा । उक्त पाठ्यचर्या को, शिक्षको, समाज के नेताओं तथा अभिभावकों के सहयोग से बुनयादी स्तर पर विकसित किया जायेगा ।

आरम्भ में यह परियोजना प्रत्येक भाग लेने वाले राज्य के तीस प्रयोगात्मक स्कूलों के लोअर प्राथमिक स्तर तक ही सीमित रहेगी । पाठ्य पुस्तकें बहु-स्तरीय एवं शिक्षक सामग्री एवं दृश्य-श्रव्य सहायता सामग्री सहित नवीन अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित किया जायेगा और उस पर परीक्षण किया जायेगा । शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण देना परियोजना का अभिन्न अंग होगा । प्रारम्भ में परियोजना 15 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रयोगात्मक आधार पर प्रारम्भ की जायेगी ।

इस परियोजना की कारवाई की योजना राज्यों के परामर्श से तैयार कर ली गई है जोकि सम्बन्धित राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जायेगी ।

दिल्ली में घरेलू प्रयोग के लिए पानी सप्लाई की दर में वृद्धि

68. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में घरेलू प्रयोग के लिए पानी सप्लाई की दर में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा तथा कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम का 1 अप्रैल, 1976 से पानी की दर 17 पैसे प्रति किलोलीटर से बढ़ा कर 20 पैसे प्रति किलो लीटर कर देने का विचार है । उत्पादन की लागत में समग्र रूप से वृद्धि के कारण दर में यह बढ़ोतरी करनी पड़ी ।

दिल्ली में झुग्गी झोंपणियों का गिराया जाना

70. **श्री राजदेव सिंह : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में झुग्गी-झोंपड़ियों को गिराने के लिए एक से अधिक एजेंसियां हैं ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1975 से अब तक, एजेन्सी-वार, कितनी झुग्गियां गिराई गई हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता हैं कि गत वर्ष भारी वर्षा होने तथा इस वर्ष ठंढ के कारण इन क्षेत्रों में सर्दी लगने से कुछ मौते हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी मौतें हुई हैं तथा उनकी औसत आयु क्या है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) :(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में रक्त में डी० डी० टी० की मात्रा

71. **श्री राजदेव सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में सरकार को प्रस्तुत सिफारिशों में कहा गया है कि भारत में रक्त में अधिक मात्रा में पाई गई डी० डी०टी० पेय जल में छिड़की गई डी० डी० टी० के धोवन अथवा खाद्य फसलों पर प्रयुक्त डी० डी० टी० के कारण इतनी नहीं है जितनी खाद्यान्नों तथा दालों को भण्डारण के दौरान सुरक्षित रखने के लिये उसमें डी० डी० टी० मिलाने के कारण है ?

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित अतिरिक्त उपाय में देश में ऐसी लाइसेंसशुदा एजेंसियों का बनाया जाना शामिल है जो अनाज भण्डारण में कीटनाशक औषधि के रूप में डी० डी०टी० के स्थान पर अन्य विकल्पों का प्रयोग करेगी ; और

(ग) क्या इस विचार गोष्ठी में यह सुझाव दिया गया है कि टोक्सीकोलोजिकल अध्ययन के लिये प्रयोगशला सम्बन्धी सुविधाओं की कमी एक कारण है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). सरकार की भारतीय कृमिनाशी संघ द्वारा 31 अक्तूबर और 1 नवम्बर, 1975 को नई दिल्ली में आयोजित कृमिनाशी विष विज्ञान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। इस सेमिनार ने हमारे देश में लोगों की चर्बी में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के डी० डी० टी० पाए जाने पर चिन्ता प्रकट की है। उन्होंने इस बात पर भी चिन्ता प्रकट की है कि पेय जल में छिड़की गई डी० डी० टी० के धोवन अथवा खाद्य फसलों पर प्रयुक्त डी० डी० टी० के कारण डी० डी० टी० की मात्रा इतनी अधिक नहीं होती है, जितनी खाद्यान्नों तथा दालों के भण्डारण के दौरान सुरक्षित रखने के लिये उसमें डी० डी० टी० मिलाने के कारण होती है। इससे बचने के लिये सेमिनार ने खाद्य तथा अपमिश्रण अधिनियम में उचित संशोधन करने की सिफारिश की थी। इसने यह भी सिफारिश की थी कि किसानों एवं छोटे व्यापारियों और आम लोगों के घरों में अनाज के भंडारण में कृमि-

नाशी के विकल्पों के लिए देश में लाइसेंसशुदा एजेन्सियों का सृजन करने जैसे कुछ अतिरिक्त कदम उठाये जाने चाहिए ।

खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत खाने के अनाज में डी०डी०टी० को मिलाने की अनुमति नहीं है । कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत गठित रजिस्ट्रेशन समिति ने डी० डी० टी० के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्वीकृत करते हुए यह शर्त निर्धारित की है कि यह खाद्यान्नों में नहीं मिलाया जाना चाहिए । खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिए केवल धूमकों (फ्यूमिमेन्ट) की ही स्वीकृति दी गई है । यह भी उल्लेखनीय है कि मानव के रक्त/चर्बी में पाई गई डी० डी० टी० की मात्रा विभिन्न खाद्यान्नों के खाने से उनमें अवशिष्ट डी० डी० टी० के शरीर में जमा होने के कारण होती है । जहां तक लाइसेन्सशुदा एजेन्सियां बनाने का सम्बन्ध है, यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि वाणिज्यिक कृषि नियंत्रण आपरेटरों को लाइसेंस देने के लिये कीटनाशी अधिनियम में एक उपबंध जोड़ा जाये ।

(ग) जी हां । सेमिनार ने विष विज्ञान विषयक अध्ययन करने के लिये प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का सुझाव दिया है । 200 लाख रुपये के परिव्यय की केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला की स्थापना सम्बन्धी एक स्कीम पांचवीं योजना में शामिल की गई है । यह योजना शीघ्र स्वीकृत हो जायेगी और केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला की स्थापना होने पर विषय विज्ञान विषयक अध्ययन प्रारम्भ किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त, कृषि आदानों के किस्म नियंत्रण सम्बन्धी एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य स्तर पर 17 कीटनाशी प्रयोगशालाओं को स्थापना करने का भी विचार है ।

शिक्षा के पुनर्गठित कार्यक्रमों की क्रियान्विति

72. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के लिये 10+2+3 की नई पद्धति लागू करने से पूर्व पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की दिशा में गठित समिति ने क्या प्रगति की है,

(ख) क्या पुनर्गठित पाठ्यक्रम की क्रियान्विति के लिये कोई समय बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) विभिन्न स्कूल विषयों के पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु गठित समिति के सुझावों तथा मार्गदर्शी रूपरेखाओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने "10 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम कार्य रुपरेखा" नामक प्रकाशन निकाला है ।

कार्य की इस रूपरेखा के आधार पर परिषद् द्वारा विज्ञान भाषा समाज विज्ञान तथा मानविकी विषयों के क्षेत्रों में वास्तविक पाठ्यविवरण तैयार किए जा रहे हैं और आशा है कि ये 31 मार्च, 1976 तक तैयार हो जाएगें ।

परिषद् ने विभिन्न विषयों के लिए, विभिन्न सम्पादकीय बोर्डों का भी गठन किया है । ये बोर्ड समाज विज्ञान तथा मानविकी विषयों और विज्ञान तथा गणित और विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रमों

को अंतिम रूप देने, पाठ्यपुस्तकों और जहां कहीं आवश्यक होगा वहां अनुपूरक रीडर सामग्री तैयार करने में राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के शिक्षा विभागों की सहायता करेंगे ।

(ख) और (ग) : तीन वर्षों की अवधि में स्कूलों में इस पाठ्यक्रम को क्रमिक ढंग से लागू करने से सम्बन्ध में परिषद् का प्रस्ताव इस प्रकार है :—

(i) पहले वर्ष में परिषद्, I, III, VI, IX तथा XI की कक्षाओं के लिए समाज विज्ञान मानविकी विषयों तथा भाषा और I, III, VI, IX तथा XI की कक्षाओं के लिए विज्ञान तथा गणित की पाठ्यपुस्तकें तैयार करेगी ।

(ii) दूसरे वर्ष में परिषद् का विचार II, IV, VII, X और XII की कक्षाओं के लिए समाज विज्ञान, मानविकी विषयों और भाषा तथा II, IV, VII, X और XII की कक्षाओं के लिए विज्ञान और गणित में नया पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रपुस्तकें लागू करने का है ।

(iii) तीसरे वर्ष में V और VIII की कक्षाओं के लिए भाषा, समाज विज्ञान और मानविकी विषयों तथा विज्ञान और गणित में पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें लागू करने का प्रस्ताव है ।

कृषि का यन्त्रीकरण

73. श्री एम० कतामुत्तु :
श्री मान सिंह भौरा :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स ने कृषि का यंत्रीकरण रकने के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिये कहा है और ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) इंडियन सोसायटी आफ एग्रीकल्चरल इंजीयनियर्स ने कृषि का यंत्रीकरण करने के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिये कृषि और सिंचाई मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में ग्रेडिंग प्रणाली का लागू किया जाना

74. श्री रानेन सेन :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि अनेक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने वाले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ? और विश्वविद्यालयों ने इस प्रणाली का किस सीमा तक स्वागत किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरल हसन) : (क) और (ख) : विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों सहित 27 विश्वविद्यालय कुछ परीक्षाओं में ग्रेडिंग पद्धति को आरम्भ करने के लिये या तो सिद्धान्त रूप से सहमत हो गये हैं अथवा इसका निर्णय कर लिया है।

ग्रेडिंग पद्धति के उद्देश्य मूल्यांकन के अधिक समान सम्बन्धित तथा विश्वसनीय साधनों को लागू करना, शिक्षा विषयों में और शिक्षा विषयों के अन्दर अधिक तुलना को सुनिश्चित करना, छात्रों को अपनी अभिरुचि तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विषयों अथवा परीक्षापत्रों का चयन करने में अधिक आन्तरिक सामंजस्य लाना, और छात्रों के एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण को सुकर बनाना है।

ग्रेडिंग पद्धति की क्रियाविधियों और उद्देश्यों की सभी शाखाओं पर विचार विमर्श करने के लिए आयोग द्वारा हाल ही में दिल्ली, पंजाब, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों में चार क्षेत्रीय कर्मशालाओं का आयोजन किया गया था। उक्त कर्मशालाओं में भाग लेने वाले विश्वविद्यालय सामान्य रूप से इस बात पर सहमत थे कि जून–जुलाई 1976 के सत्र से आरम्भ में होने वाले दाखिलों में स्नातकोत्तर स्तर पर ग्रेडिंग पद्धति को अपनाया जाये। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि यदि शीघ्र सम्भव न हो तो जून-जुलाई, 1977 से आरम्भ होने वाले दाखिलों से अवर स्नातक की परीक्षाओं के सम्बन्ध में ग्रेडिंग पद्धति आरम्भ की जाये।

ढुलाई तथा भंडारण में खाद्यान्नों की हानि

75. श्री समर गुह : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 से 1975 के दौरान (एक) ढुलाई तथा (दो) भंडारण में खाद्यान्नों के बेकार होने अथवा नष्ट होने के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी हानियों को कम से कम करने के लिये कोई कदम उठाये गये है; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के हैं और उनके क्या परिणाम निकले।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): 1973–75 के दौरान मार्ग और भण्डारण में खाद्यान्नों की क्षति के बारे में अखिल भारतीय आधार पर कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, खाद्य निगम द्वारा सम्भाले जा रहे खाद्यान्नों तथा खाद्य पदार्थों के बारे में हुई ऐसी क्षति इस प्रकार है :—

वर्ष	क्षति की प्रतिशतता
1972–73	0.86
1973–74	0.81
1974–75	1.19

(ग) और (घ) : सरकार ने विभिन्न राज्यों में अन्न सुरक्षा अभियान शुरू किया है और इसका उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और खाद्यान्नों को सम्भालने और भण्डारण करने में लगी अन्य एजेंसियों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और प्रचार आदि के माध्यम से जानकारी देकर के भण्डारण

हानि को कम करना है। इस योजना के अधीन आसान ऋण के आधार पर किसानों आदि को छोटे साइज़ के सुधरे किस्म के भण्डारण ढ़ाचे उपलब्ध किए जाते हैं।

2. खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागार निगम जोकि सरकार की ओर से स्टाक रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के दो प्रमुख संगठन हैं, के गोदाम वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं और वे चूहे, नमी और पानी के टपकन से सुरक्षित होते हैं। सम्भाल करने के स्थान आदि पर स्टाक के परिरक्षण और स्टाक की उचित सम्भाल करने के लिए भी वैज्ञानिक तकनीकी अपनाई जा रही है। स्टाक के परिरक्षण के लिए गुण-नियंत्रण हेतु बड़े उपाय किये जा रहे हैं और कीड़ों चूहों तथा चिड़ियों पर नियंत्र रखने के लिये वैज्ञानिक विदियां अपनाई जाती हैं।

स्टाक के लाने-ले जाने के बारे में उचित व्यवस्था की जाती है ताकि व्यर्थ' संचलन अनावश्यक लदान और मार्ग में हानि को कम किया जा सके। लादने-उतारने के स्थान पर खाद्यान्नों के बोरों को सम्भालने में काफी सावधानी बरती जाती है।

यथा सम्भव खाद्यान्नों को ले जाते समय ढके वैगनों का प्रयोग किया जा रहा है। जब खुले वैगनों के ब्लाक रेक ब्लाक इस्तेमाल किए जाते हैं जब आवश्यक सावधानीं बरती जाती है। इन सभी उपायों से हानि को कम से कम स्तर पर लाने में निगम को सहायता मिली है।

भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न ले जाने वाले माल डिब्बे

76. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973—75 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्न को ले जाने वाले अनेक माल डिब्बे गुम या नदारद पाए गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और ऐसे माल डिब्बों में कुल कितना खाद्यान्न लदा हुआ था; और

(ग) उन्हें प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और ऐसे प्रयास का क्या परिणाम निकला ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : 1973 से 1975 के वर्षों के दौरान 'गुमशुदा' बताए गये 11.87 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों ले जा रहे कुल 51,638 वैगनों के प्रति खाद्यान्नों के 51,921 'असम्बद्धित' वैगनों का, जिनमें कुछ पिछले वर्ष (वर्षों) के वैगन भी शामिल हैं, पता लगा लिया गया था और उन्हें रेलवे तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 'गुमशुदा' वैगनों के साथ जोड़ दिया गया था। इन तीन वर्षों में, भारतीय खाद्य निगम के खाते पर रेलवे द्वारा ढोई गयी खाद्यान्नों की कुल मात्रा लगभग 259 लाख मीटरी टन थी।

खाद्यान्नों के वैगनों को कई बार रास्ते में ही कमी वाले राज्यों की जरूरी मांग को पूरा करने और रेलवे से सम्बन्धित कार्यचालन सम्बन्धी कारणों से दूसरी तरफ मोड़ दिया जाता है।

जब कभी मूल रूप से बुक किए गए स्थानों को भेजे गए वैगन उचित समय के अन्दर-अन्दर गन्तव्य स्टेशन (स्टेशनों) को नहीं पहुंचते है, गन्तव्य स्टेशन उन्हें 'गुमशुदा' दिखा देते है। परेषिती द्वारा रेलवे के पास मुआवजे के लिए दावा दायर कर दिया जाता है। दूसरी ओर, जब स्टेशन (स्टेशनों) / भारतीय खाद्य निगम के डिपों पर, जिनकों ये भेजे जाते है, ऐसे वैगन प्राप्त नहीं होते हैं, तब इनकों बुकिंग विवरण न होने के कारण 'सम्बधित वैगन दिखाया जाता है। इन वैगनों का बाद मे पता लगा लिया जाता है और इस प्रकार 'गुमशुदा' वैगनों का पता लगा जाता है। कभी-कभी, एक वैगन से माल उतार कर दूसरे वैगन में माल लादने और गेजव्वाइंटों के टूटने के कारण भी ऐसी कठिनाई पैदा हो जाती है। तथाकथित 'गुमशुदा' वैगनों का पता लगा लिया जाता है और इसलिए, उनको गुम हुआ नहीं समझा जा सकता है।

गंगाजल का दूषित होना

77. **श्री रानेन सेन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गंगा जल के बारे मे पश्चिम बंगाल सरकार के एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कारखानों आदि से लगभग 5.25 करोड़ गैलन दूषित जल के प्रतिदिन गंगा में मिलने से गंगा जल तेजी से अपेय होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और. .

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया): (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर (जिसे पहले सी० पी० एच० ई० आर०आई० कहते थे) ने कल्याणी तथा बिरलापुर के बीच की 100 किलो मीटर की दूरी पर हुगली मुहाने के जल की गुणवत्ता का अप्रैल 1972 से आधार लाइन परीक्षण आरम्भ किया। प्रथम वर्ष में एकत्र किये गये अधारभूत आंकड़ों, के बारे में एक अन्तरिम रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि लगभग 346 गन्दे पानी के नालों से कुल लगभग 7800 लाख गैलन प्रतिदिन गन्दा पानी हुगली में गिरता है। इस परीक्षित 100 किलोमीटर की दूरी में नदी के पानी के जीवाणु कोटि (कोली फार्म आर्गनाइज्म) के आंकड़े अनुलग्नक में दिए गए हैं। अनुलग्नक से यह ज्ञात होता है कि नदी के पानी की गुणवत्ता में गिरावट है।

(ग) जल-प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन जल प्रदूषण के निवारण व नियंत्रण के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड स्थापित किया गया है।

विवरण

सेम्पलिंग स्टेशन नं०	कल्याणी से सेम्पलिंग पाईंट की दूरी (किली मीटर)	काली फ़ॉर्म आर्गनइज़म एम०पी०एन० प्रति 1000 लाख
1	5	340
2.	10	2,240
3.	15	6,030
4.	20	13,730
5.	25	24,000
6.	30	4,670
7.	35	12,870
8.	40	उपलब्ध नहीं
9.	45	17,170
10.	50	20,070
11.	55	21,300
12.	60	41,330
13.	65	21,000
14.	70	22,100
15.	75	31,670
16.	80	6,030
17.	85	2,680
18.	90	2,700
19.	95	7,930
20.	100	1,780

*टिप्पणी : केवल ग्रह (ग्रब) नमूने के लिए किए गए थे तथा उनका परीक्षण किया गया था।

सामाजिक आर्थिक परियोजनाएं

78. श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) क्या गत तीन वित्तीय वर्षों में उक्त परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि का उपयोग विभिन्न सामाजिक, आर्थिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उन संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें यह धनराशि मंजूर की गई थी; और

(घ) उक्त संगठनों को इन परियोजनाओं के लिये यह राशि मंजूर करने का क्या आधार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क)

वर्ष	धनराशि (रुपये लाख की राशियों में)
1972–73	2.50
1973–74	2.20
1974–75	9.62

(ख) इन वर्षों के नीचे दिए अनुसार धनराशियों का उपयोग किया गया :—

वर्ष	धनराशि (रुपये लाख की राशियों में)
1972–73	1.14
1973–74	2.47
1974–75	9.61

(ग) एक विवरण पत्र, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–10376/76]

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण द्वारा सम्बन्धित राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सिफ़ारिशो पर तथा समुचित तकनीकी प्राथमिक प्राधिकरण अर्थात् लघु उद्योग सेवा संस्थानों, अखिल भारतीय हाथकर्घा बोर्ड, राज्य सरकारों के उद्योग विभागों तथा अखिल भारतीय हाथकर्घा बोर्ड, के डिजाइन केन्द्रों से; जैसा मामला हो तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक क्षमता के बारे में प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किए जाने के बाद पंजीकृत संगठनों को अनुदान मंजूर किए जाते हैं।

डेरी और मुर्गीपालन जैसी कृषि पर आधारित योजनाओं के मामले में कृषि और सिंचाई मंत्रालय के परामर्श से मानक योजनाएं तैयार की गई हैं।

सर्कस को प्रोत्साहन

79. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्कस तथा सर्कस कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई कदम उठाने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) सरकार प्रामाणिक सर्कस कम्पनियों को अपने प्रदर्शनों के लिए अपनी मंडलियों की गतिविधियों सामान आदि के लिए रेलवे रियायतें प्रदान करके मनोरंजनात्मक कार्यकलाप के रूप में सर्कस मंडलियों को प्रोत्साहन देती रही है। राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्र प्रशासनों को भी सलाह दी गई है कि वे मनोरंजन कर की अदायगी में छूट देकर सर्कस के खेलों के लिए नाम मात्र किराये पर भूमि देकर कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने में सहायता देकर खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का अस्थायी कोटा देकर सर्कस को प्रोत्साहित करें।

केरल द्वारा प्रस्तुत सिंचाई योजनाएं

80. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा मंजूरी के लिए भेजी गयी बहुत सी सिंचाई योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़ी है;

(ख) यदि हां; तो उन योजनाओं के नाम क्या हैं ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) से (ग) : केरल की 8 बृहत् और 5 मध्यम सिंचाई स्कीमें केन्द्रीय जल आयोग के पास जांच के लिए पड़ी हैं। इन स्कीमों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन पड़ी हुई 13 स्कीमों में से 8 स्कीमें कावेरी बेसिन में पड़ती हैं। चूंकि कावेरी जल के समुपयोजन और विकास के संबंध में मतभेद है इन पर स्वीकृति के लिए अगली कार्यवाही संबंधित राज्यों के मध्य कावेरी जल के संबंध में समझौता हो जाने के उपरान्त की जाएगी। बाकी 5 स्कीमें राज्य सरकार से सलाह के साथ आयोग में जांच की विभिन्न अवस्थाओं में है।

परियोजना का नाम

कावेरी बेसिन :

बृहत	1. केरल भवानी टेलरेस
	2. वाणासुर सागर
	3. तिरुनेल्ली
मध्यम	1. करापुझा
	2. नूलापुझा
	3. अट्टापट्टी
	4. मनजात
	5. थोन्डर

अन्य बेसिन

वृहत्
1. इद्रमालायर
2. वामनपुरम
3. काका दाबू
4. मुबात्तुपुझा
5. चिमोनी

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि तेल

81. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ़सल बीमा योजना कितने एकड़ कृषि भूमि पर लागू होती है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में योजना की क्रियान्विति के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) व (ख) सामान्य बीमा निगम चुने क्षेत्रों में चुनी फ़सलों के लिए प्रायोगिक आधार पर फ़सल बीमा योजना कार्यान्वित कर रहा है । वर्ष 1974 और 1975 में फ़सल बीमा योजना के कार्यान्वियन की राज्यवार प्रगति इसके अन्तर्गत लिया गया क्षेत्रफ़ल भी शामिल है की दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध 1 और 2 पर संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० ; 10377/76]

गोबर गैस सन्यन्त्र

82. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक समिति द्वारा देश में गोबर गैस संयंत्रों का रखरखाव अत्यन्त खराब और अपेक्षित रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, विभिन्न राज्यों में गोबर गैस संयत्र के सर्वेक्षण करने पर समिति ने यह पाया कि कुछ संयंत्रों को छोड़कर इनका रख रखाव अच्छा नहीं था । संयंत्रों की नियमित रूप से रंगाई न होने के कारण उनमें बुरी तरह से जंग लग गयी थी और गैस होल्डर काफ़ी कमजोर हो गये थे । तकनीकी सलाह परिवहन कठिनाइयों, या रख रखाव की सेवाओं के अभाव के कारण बहुत से संयंत्र बेकार पड़े हैं ।

(ख) समिति ने यह सिफ़ारिश की है कि राज्य सरकारें खादी, और ग्राम उद्योग आयोग और राज्य कृषि उद्योग विभाग गोबर गैस संयंत्र के लगाने और उसके रख रखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों को (सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों) प्रशिक्षण देने की व्यवस्था कर सकते हैं । ऐसे प्रशिक्षित कर्मचारी गोबर गैस संयंत्र के मालिकों को आवश्यक सहायता देने के लिए प्रखंड जिला के मुख्यालयों में रखे जा सकते हैं ।

गेहूं को खराब करने वाली महामारी

83. **श्री पी० गंगादेव :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति रोग वैज्ञानिकों ने गेहूं को खराब करने वाली महामारियों के बारे में कोई अध्ययन एवं अनुसंधान किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अध्ययन के प्रकाश में गेहुं को खराब करने वाली महामारी के बारे में पहले से बताया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, भारतीय कृषि अनुसंधान, संस्थान, नई दिल्ली तथा कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक गेहू के रतुआ महामारी पर अन्वेषण कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं गेहूं के रतुआ महामारी की सुनिश्चित भविष्य वाणी करना कठिन है । फ़िर भी, नयी तकनीकों द्वारा, भविष्य में पूर्व सूचना देने की विधि के विकास के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) गेहूं के कवक बीजाणु और तना रतुआ दक्षिणी पहाड़ियों में जीवित रहते हैं ।ये बीजाणु खासतौर पर आखिरी अक्तूबर या नवम्बर के दौरान बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों से उत्पन्न दक्षिणी हवाओं के साथ-साथ ऊंचाई पर बहने वाली हवाओं द्वारा ले जाये जाते हैं । ये बीजाणु चक्रवातों से होने वाली वर्षा के साथ भारत के मध्यवर्ती और दक्षिणी क्षेत्रों में नीचे बैठ जाते हैं । कभी-कभी ये बीजाणु हवा द्वारा भी निचली पहाड़ियों पर जमा होते रहते हैं । अगर, जमीन की सतह की स्थितियां अनुकूल हों तो संक्रमण का प्रकोप हो जाता है । इन खोज बीनों के आधार पर मध्यवर्ती और दक्षिण भारत में गेहूं के काला रतुआ महामारी के होने की सही तिथि की पूर्व सूचना देना कुछ हद तक संभव हुआ है । लेकिन यह बताना संभव नहीं है कि इस महामारी का आगे क्या रूप होगा । इस दिशा में किये जाने वाले परीक्षणों में प्रगति जारी है । जिन क्षेत्रों में गेहूं का पीला और भूरा रतुआ रोग पहले दिखाई देता है उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण और सर्तकता कार्यक्रम चलाया गया है ।

कन्दमूल की नई किस्म

84. **श्री पी० गंगादेव :** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ़ हार्टिकल्चर रिसर्च ने हाल ही में कन्दमूल की एक नई किस्म निकाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कन्दमूल डायोसकोर्स (ट्यूबर्स) से डायोसजेनिन निकलता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अनुसार नये कन्दमूल के प्रत्येक पौधे से औसतन 1 किलोग्राम ट्यूबर प्राप्त होता है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान) : (क) जी, हां, बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर ने कर्नाटक क्षेत्र में छोटे पैमाने पर उगाने के लिए डायसकोरिया फ्लोरिबन्डा की एक नयी किस्म जारी की है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में किये गये परीक्षणों में डायसकोरिया की नयी जारी की हुई किस्म से एक वर्ष बाद कन्दों की खुदाई करने पर प्रति पौधे से एक किलोग्राम ताजे कन्द प्राप्त हुए ।

विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को अवैध अनुदान

85. **श्री पी० गंगादेव** : : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को अवैध अनुदान दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालय तथा संस्थान कौन से हैं ; और

(ग) इस बारे में उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग अनुदान देता है ।

मूल्य नियन्त्रित रखने में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका

86. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य नियंत्रित रखने में भारतीय खाद्य निगम ने कोई सहायता की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) जी हां। भारतीय खाद्य निगम ने आन्तरिक अधिप्राप्ति तथा आयात कर खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक तैयार कर लिया है और उन्होंने सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शसित प्रदेशों को खाद्यान्नों की उपयुक्त मात्रा सप्लाई कर मूल्य-रेखा को बनाए रखने में मदद की है

कृषि उपकरणों का उत्पादन

87. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए० वी० ए० आर० डी० एसोसियेशन आफ़ वोलन्टरी एजसीज फ़ार रूरल डेवेलपमेंट) के पदाधिकारियो ने कृषि उपकरणों के उत्पादन के लिए एक कारखाने अथवा कृषि उपकरणों के जोड़ने के लिए एक वर्कशाप की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन कारखानों अथवा वर्कशापों से सम्बद्ध बड़े कारखानों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाह नवाज खान): (क) व (ख) अवार्ड एसोसियेशन आफ़ वालन्टरी एजेंसीज़ फ़ार रुरल डेवलपमेंट) के पदाधिकारियों ने कृषि संबंधी उपकरणों के लिए कोई फ़ैक्टरी अथवा कृषि संबंधी उपकरण जुटाने के लिए कर्मशाला स्थापित नहीं की है । तथापि, अवार्ड फ़ाउन्डेशन फ़ार रुरल डेवलपमेंट का गुडअर्थ फ़ार्म इक्यूपमेंट प्राइवेट लि० मुजफ्फ़रनगर, जो कृषि संबंधी उपकरणों का निर्माण करने तथा उन्हें जुटाने में लगा हुआ है, की इक्विटी में 30 प्रतिशत से कम भाग है ।

(ग) ऐसी कोई बड़ी फ़ैक्टरियां नहीं हैं जो इस यूनिट से सम्बध हों, लेकिन लैंडसबर्ग इंडिया प्राइवेट लि०, नई दिल्ली, गुडअर्थ इंजिन्स (प्रा०) लि० तथा यूनियन डीजल इंजिस तीन छोटी कृषि संबंधी उपकरण फ़क्टरियां हैं जो इसके साथ सम्बद्ध हैं । ये तीनों कम्पनियां मिल कर पूंजी संतुलन रखती हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ए० वी० ए० आर० ड० की भूमि का आवंटन

88. **श्री शशि भूषण :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एसोसियेशन आफ़ वोलेंटरी एजेंसी फ़ार रूरल डेवलपमेंट को कुछ भूमि आवंटित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा ए० वी० ए० आर० डी० को किन शर्तों पर भूमि आवंटित की गई है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तथा मध्य आय वर्ग के लोगों को भू-खण्डों का आवंटन

89. **श्री शशि भूषण :** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में 'ड्रा' द्वारा निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को विभिन्न आकार के भू-खण्ड आवंटित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि किस दर पर आवंटित की गई है ;

(ग) क्या सभी प्लाटधारियों को केवल 60 प्रतिशत क्षेत्र फ़ल में निर्माण करना होगा चाहे प्लाट का आकार कुछ भी हो; यदि हां तो इसका औचित्य क्या है ; और

(घ) क्या सरकार निम्न आय वर्ग में छोटे आकार के प्लाट धारियों (100 मीटर तक) को अधिक क्षेत्रफ़ल में निर्माण करने की अनुमति देने का विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) दरें इस प्रकार हैं :

क्रम संख्या	योजना का नाम	निम्न आय वर्ग अथवा मध्यम आय वर्ग	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	दर प्रति वर्गमीटर
1	घोंडा रिहायशी योजना .	निम्न आय वर्ग	36	60 रुपये
2	तदेव	तदेव	70	60 रुपये
3	शालीमार बाग .	तदेव	36	72 रुपये
4	प्रीतमपुरा	तदेव	70	84 रुपये
5	पश्चिमपुरी	तदेव	84	96 रुपये
6	बोडेला	मध्यम आय वर्ग	126	120 रुपये
7	तदेव	मध्यम आय वर्ग	167	150 रुपये

(ग) भवन उप-नियमों के अनुसार 250 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के प्लाटों में अधिक से अधिक निर्माण की अनुमति 60 प्रतिशत है ।

(घ) जी, नहीं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों का आवंटन

90. **श्री शशि भूषण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1975 और जनवरी, 1976 में निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों को 'ड्रा' द्वारा आवंटित किये गये प्लाटों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पट्टे की पूरी राशि ले ली है;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध व्यक्तियों को प्लाटों का कब्जा कब तक दे दिये जाने की सम्भावन है ; और

(ग) ये प्लाटधारी व्यक्ति निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर सकेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) अलाटियों द्वारा पूर्ण प्रिमियम दिए जाने के शीघ्र बाद प्लाटों का कब्जा दिया जाएगा ।

(ग) प्लाटधारी प्लाटों का कब्जा लेने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण से मकान के नक्शों की स्वीकृति प्राप्त करने पर ही निर्माण कार्य आरम्भ कर सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ की नस्लें

91. **श्री परिपूर्णानन्द पन्यूली** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को सप्लाई की गई आयातित भेड़ों की पोलवार्थ, मैरिनों तथा अन्य नस्लों की संख्या क्या है ;

(ख) इन भेड़ों के चरागाहों के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इन भेड़ों से प्राप्त कितने प्रतिशत ऊन की स्थानीय खपत की अनुमति दी गई है ; और

(घ) वर्ष 1976–77, 1977–78 और 1978-79 में देसी भेड़ों की नस्ल के सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) राज्य सरकार ने 108 पोलवार्थ, 1412 रेम्बुलेट, 1327 रूसी मेरिनों, 70 कोरिडेल तथा 70 बोर्डर लाइसेस्टर भेड़ आयात की हैं तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को सप्लाई की हैं।

(ख) इन 37 भेड़ों के चरागाहों के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में राज्य सरकार ने चराई क्षेत्र आरक्षित किए हैं।

(ग) ऊन की स्थानीय खपत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी राज्य सरकार फालतू ऊन (यदि उपलब्ध हो) की खरीद की व्यवस्था करती है।

(घ) राज्य सरकार का प्रस्ताव है कि 1976–77, 1977–78 और 1978–79 के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी किस्म के भेढ़े और संकर प्रजनन कार्यक्रम द्वारा देशी भेड़ों की नस्ल के सुधार के लिए उनके विवरण हेतु 2 विजातीय भेड़ प्रजनन फार्म तथा 5 भेड़ और ऊन विस्तार केन्द्र स्थापित किए जायें।

शिक्षकों के लिए त्रि-लाभ योजना

92. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षकों के लिये त्रि-लाभ योजना सभी राज्यों में लागू कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो योजना किस-किस राज्य में लागू नहीं की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

स्कूल शिक्षा : सामान्य रूप से शिक्षा और विशेष रूप से स्कूल शिक्षा राज्य का विषय है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से अथवा संशोधित रूप में सहायता प्राप्त स्कूलों में त्रिलाभ योजना कार्यान्वित कर रहे हैं। अन्य राज्य इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

जहां तक संघ शासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है, चण्डीगढ़, दिल्ली और गोआ, दमन तथा दीव ने इस योजना को कार्यान्वित कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में कोई प्राइवेट सहायता प्राप्त स्कूल नहीं है। अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में केवल एक सहायता प्राप्त स्कूल

है और इस स्कूल में यह योजना अभी तक लागू नहीं की गई है । यह योजना पांडिचेरी सरकार के विचाराधीन है । दादर और नागर हवेली और मिजोरम से सूचना की प्रतीक्षा है ।

विश्वविद्यालय शिक्षा :

निम्नलिखित विश्वविद्यालयों और समझे जाने वाले विश्वविद्यालयों में त्रि-लाभ योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है :—

विश्वविद्यालय :

1. गुरू नानक
2. सरदार पटेल
3. पंजाब राव कृषि विद्यापीठ
4. उत्कल
5. दक्षिण गुजरात
6. आंध्र विश्वविद्यालय वाल्टेयर
7. रेवा का ए० पी० सिंह विश्वविद्यालय

समझे जाने वाले विश्वविद्यालय :

8. जामिया मिलिया इस्लामिया
9. केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान

केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली के कालेजों सहित) और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित दो योजनाएं शुरू की हैं :—

(1) अंशदायी भविष्य निधि—उपदान

(2) सामान्य भविष्य निधि-व-पेंशन-व-उपदान

आयोग ने ये योजनाएं राज्य विश्वविद्यालयों को सम्बन्धित प्राधिकारियों के परामर्श से अपने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए अपनाने हेतु भेज दी है । लेकिन इन योजनाओं का कार्यान्वयन सम्बन्धित राज्य सरकारों पर निर्भर करता है ।

तकनीकी शिक्षा :

खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर और नई दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय खनन स्कूल, धनबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और चण्डीगढ़, भोपाल, कलकत्ता और मद्रास स्थित 4 तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में त्रि-लाभ योजना लागू कर दी गई है । अहमदाबाद, कलकत्ता और बंगलौर स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थानों में अंदायी भविष्य निधि-व-उपदान योजना शुरू कर दी गई है ।

देश के 15 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में से 11 कालेजों में जिन्हें केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाते हैं, अंशदायी भविष्य निधि-व-उपदान अथवा अंशदायी भविष्य निधि नियम हैं । शेष चार क्षेत्रीय कालेजों के मामले में शासी मण्डल ने अंशदायी भविष्य निधि अथवा मृत्यु-व-सेवानिवृत्ति योजना अनुमोदित कर दी है; किन्तु सरकार के अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।

बीज उत्पादन में प्रगति

93. श्री सरजू पाण्डे :
श्री मान सिंह भौरा :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आधारभूत तथा प्रमाणित बीजों के उत्पादन में हाल ही में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) तथा (ख) कृषकों की मांग पूरी करने के लिये श्रेष्ठ किस्मों के बीजों के उत्पादन और वितरण में काफी सुधार हुआ है । गत 2 वर्षों के दौरान देश में प्रायः आधारी एवं प्रमाणित बीजों की कमी नहीं हुई है । राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1973–74 में 311916 क्विन्टल प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया था और वर्ष 1975–76 में यह उत्पादन बढ़कर 768200 क्विन्टल हुआ । इसी अवधि के दौरान तराई विकास निगम के प्रमाणित बीजों का उत्पादन 221660 क्विन्टल से बढ़कर 296700 क्विन्टल हुआ और राष्ट्रीय बीज निगम आधारी बीजों का उत्पादन 56868 क्विन्टल से बढ़कर 66220 क्विन्टल हुआ ।

कपास के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से सहायता

94. श्री डी० डी० देसाई : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन देश के चुनीदा क्षेत्रों में कपास के विकास के लिये धन लगाने पर सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ समेकित कपास विकास परियोजना के संबंध में सलाह मशविरा किया है । इस परियोजना की कुल लागत 360 लाख डालर है, जिसमें 180 लाख डालर अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का हिस्सा है । यह परियोजना हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यों में शुरू की जाएगी । परियोजना के प्रमुख भाग इस प्रकार है :—

1. अधिक उपयुक्त और अधिक उत्पादनशील किस्मों के उत्पादन के लिए कपास अनुसंधान को बढ़ावा देना और इसके साथ साथ उन्नत कपास उत्पादन टैक्नालोजी के परीक्षण/प्रदर्शन के लिए किया गया अनुसंधान ।
2. उन्नत बीजों और अधिक सघन कीट तथा रोग नियंत्रण सेवा की व्यवस्था करना ।
3. ओटाई और बिनौले के परिसंस्करण की सुविधाओं का आधुनिकीकरण और प्रसार करना ।

4. कृषकों को आदानों पैकेज की वित्त व्यवस्था हेतु अल्पकालीन ऋण के लिए परिक्रामी धनराशि की व्यवस्था करना ।

5. कपास उत्पादकों, परिसंस्करण कर्ताओं, विस्तार और अनुसंधान के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

6. सघन कपास विकास सेवा ।

भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यवाही

95. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में भूमि सुधार संबंधी योजनाओं का शीघ्रता से निष्पादन करने के लिये सरकार द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए यह निर्णय जनवरी, 1976 से कहां तक लागू किया गया है; और

(ख) क्या सरकार समय-समय पर इसकी जांच करती है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : जोत के अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन की नवीनतम स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—10378/76] भूमि सुधार के उपायों की प्रगति, विशेष रूप से जोत की अधिकतम सीमा और आवास स्थलों के वितरण के साथ साथ काश्तकारों को वास भूमि के स्वामित्व के अधिकार देने संबंधी प्रगति पर निगाह रखी जा रही है । 5 और 6 मार्च को हुए मंत्रियों के सम्मेलन में इस स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई और भूमि सुधारों को तीव्र और अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए बहुत से उपायों के संबंध में सुझाव दिए गए ।

केरल को चावल का नियतन

96. **श्री सी० जनार्दनन् :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस फ़सल में खरीफ की वसूली सबसे अधिक हुई;

(ख) यदि हां, तो कितनी वसूली हुई; और

(ग) अधिक वसूली को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार केरल के चावल के कोटे में वृद्धि करेगी जैसी कि उस राज्य ने मांग की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 2 मार्च, 1976 तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 1975–76 के दौरान खरीफ़ अनाजों की अधिप्राप्ति लगभग 42.2 लाख मीटरी टन हुई है जिसमें 44.7 लाख मीटरी टन चावल और 2.5 लाख मीटरी टन मोटे अनाज थे ।

(ग) केन्द्रीय पूल में चावल की समग्र उपलब्धता, कमी वाले अन्य राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, बाज़ार में उपलब्धता और बफ़र स्टाक तैयार करने की आवश्यकता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर केरल को उनकी सरकारी वितरण प्रणाली की उपयुक्त जरूरतें पूरी करने के लिए यथासम्भव अधिक से अधिक चावल का आबंटन किया जा रहा है। केरल के लिए चावल का आबंटन फ़रवरी, 1976 से 45,000 मीटरी टन से बढ़ाकर 54,000 मीटरी टन कर दिया गया है।

बीजों का निर्यात

97. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम बीजों के निर्यात हेतु कोई कार्यवाही कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण पूर्व एशिया को बीजों का निर्यात करने की अच्छी सम्भावनाएं हैं?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) तथा (ख). दक्षिणी-पूर्वीय ऐशियाई देशों को बीजों का निर्यात करने की गुंजाइश है। पिछले चार वर्षों के दौरान उन देशों को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों के निर्यात की मात्रा निम्न प्रकार से है :—

1972–73	42.50 लाख रुपये
1973–74	35.40 लाख रुपये
1974–75	28.25 लाख रुपये
1975–76 (जनवरी, 1976 तक)	33.50 लाख रुपये

दक्षिण-पूर्वीय ऐशियाई देशों के किसी एक देश में निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट

98. **श्री रामसहाय पाण्डे :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं, जौ तथा अन्य खाद्यान्नों के मूल्यों में गत छः महीनों के दौरान काफ़ी गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत गिरावट आई है?

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–10379/76]

वन्य-जीवों का लोप

99. **श्री हरी सिंह : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निकट भविष्य में एशियायी सिंह, ब्राउन हिरण, काश्मीरी बारहसिंगा, जंगली भैंस जैसी दुर्लभ पशु जाति का लोप होने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो इनको बचाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभु दास पटेल) : (क) एशियायी सिंह, ब्राउन ऐन्टलर्ड हरिण या थामिन हिरण, कश्मीरी बारहसिंगा या हंगुल' और जंगली भैंस लोप होने वाले नहीं हैं, परन्तु ये जातियां खतरे में हैं, जिनकी विशेष सुरक्षा के लिये उपाय करने की आवश्यकता है ।

(ख) इन जातियों की सुरक्षा के लिये सरकार निम्नलिखित कदम उठा रही है :—

(1) **एशियायी सिंह** : ये सिंह गुजरात के गिर जंगल में पाये जाते हैं । सके लिये 1265 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आश्रयस्थल के रूप में घोषित किया गया है और गुजरात सरकार ने गिर आश्रय स्थल की सुरक्षा, वन्य-प्राणियों को बढ़ाने और सिंह के लिये लाभदायक परिस्थिति के सृजन करने की दृष्टि से मानव के हस्त-क्षेप को कम करने के लिये 45 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं । भारत सरकार ने पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान इस परियोजना के लिये 11,13,500 रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है ।

(2) **ब्रोन ऐन्टलर्ड हिरण या थामिन हिरण** :- यह जाति केवल मणिपुर के लोगताक झील के किनारे पर केइबुल लामजाओं आश्रय-स्थल में पाई जाती है । इस आश्रय स्थल पर मणिपुर सरकार तथा भारत सरकार विशेष ध्यान दे रही है । भारत सरकार ने आश्रय स्थल के उचित रख-रखाव और इस जाति के लोप होने से इसकी सुरक्षा करने के लिए 6.46 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है ।

(3) **कश्मीरी बारहसिंगा या हंगुल** :—यह जाति केवल कश्मीर की घाटी के उत्तरी भाग और आसपास की कुछ घाटियों में पाई जाती है । भारतीय वन्य-प्राणि बोर्ड के ग्यारहवें अधिवेशन द्वारा की गई सिफ़ारिश के अनुसार राज्य सरकार खतरे में पड़ी हुई इस जाति के संरक्षण के लिए अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए आश्रय स्थलों की स्थापना की सम्भाव्यता का पता लगा रही है ।

(4) **जंगली भैंस** :— यह जाति असम के ब्रह्मपुत्र के मैदानों, उड़ीसा के भागों और मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पाई जाती है । मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में इस जाति की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय सहायता की एक योजना तैयार की है ।

शिक्षा की नई पद्धति

100. **श्री डी० डी० देसाई : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा की 10+2+3 पद्धति पर विचार करने के लिये वर्धा में विद्यार्थियों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में पद्धति का विरोध किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अतिरिक्त, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को इस पर कोई पत्र व्यवहार प्राप्त नहीं हुआ है।

आगरा के किले से मूल्यवान पत्थरों की चोरी

101. **श्री हरी सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1976 में प्रकाशित समाचारपत्रों में आगरा के किले में हाल के भीतर स्थित शाहजहां की बालकनी, शाहजहां की जेल तथा जसमीने मीनार में जड़े मूल्यवान. पत्थरों के चोरी होने के समाचार छपे थे; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में आगरा के किले से चोरियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) और (ख). आगरा में स्मारकों के मूल्यवान पत्थरों की चोरी के बारे में समाचार-पत्रों की रिपोर्टों के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। जांच पड़ताल करने के बाद ये रिपोर्ट निराधार पाई गयी हैं। लेखा रखने के लिये ब्यौरेवार इन स्मारकों के जड़ाऊ-स्थानों का फ़ोटो लिया जा रहा है और मध्यम बहुमूल्य पत्थरों को फ़िर से स्थापित कराने का काम कुछ समय से प्रगति पर है। निगरानी और पहरे के वर्तमान प्रबन्ध कड़े कर दिये गये हैं।

विशेष पुस्तक कार्यक्रम

102. **श्री हरी सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न शैक्षिक तथा साहित्यिक विषयों पर अच्छे स्तर की 600 पुस्तकों का सृजन करने का एक विशेष पुस्तक कार्यक्रम प्रायोजित किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे पुस्तकें कौन-कौनसी हैं और वे किन-किन भाषाओं में लिखी जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० ी० यादव) : (क) तथा (ख). ऐसा कोई विशेष पुस्तक कार्यक्रम नहीं है जिसके अंतर्गत अच्छे स्तर

की केवल 600 पुस्तकों का ही निर्माण किया जाना है। तथापि, भारत सरकार ने, उच्च शिक्षा के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाये जाने को सुकर बनाने की दृष्टि से 1968–69 में, भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के सृजन का एक बृहत् कार्यक्रम आरंभ किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के उपयोग के लिए विभिन्न शैक्षिक तथा साहित्यिक विषयों पर अच्छे स्तर की पुस्तकों के सृजन के लिए, सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् जैसी केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा बहुत सी योजनाएं आरंभ की गई हैं।

पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में वसूली लक्ष्य

103. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में निर्धारित वसूली-लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). चालू खरीफ विपणन मौसम (1975–76) में अभी भी अधिप्राप्ति-कार्य चल रहा है और अक्तूबर, 1976 के अंत तक जारी रहेगा। इसलिए इस समय लक्ष्य पूरा न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा

104. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का बांध परियोजना के कर्मचारियों को परियोजना का कार्य पूरा होने से पहले यह आश्वासन दिया था कि परियोजना का कार्य समाप्त होने के पश्चात् किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या अब फरक्का बांध परियोजना के सभी कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन कर्मचारियों तथा उनके रोजगार की सुरक्षा के लिए सरकार क्या वैकल्पिक प्रयत्न कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फरक्का बराज परियोजना में फालतू होने वाले स्टाफ के लिए वकल्पिक काम ढूंढने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस मामले में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों इत्यादि के साथ यह मामला उठाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार से भी परियोजना के कर्मचारियों, विशेषकर कम वेतन वाले कर्मचारियों को अपने अधीन

रोजगार देने के लिए अनुरोध किया जा चुका है। परियोजना के फालतू होने की संभावना वाले स्टाफ को रोजगार देने के लिए कलकत्ता में रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत एक विशेष एकक की स्थापना की गई है। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप अब तक 900 से अधिक कर्मचारियों तथा कार्मिकों को वैकल्पिक नौकरियां देने की व्यवस्था की जा चुकी है।

विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अनुदान

105. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सभी गैर केन्द्रीय सरकारी विश्वविद्यालयों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान समान हैं; और

(ख) वर्ष 1974–75 में और दिसम्बर, 1975 तक भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों को वास्तव में कितनी राशि दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य विश्व-विद्यालयों को विकास अनुदान देता है। विश्वविद्यालयों के विकास कार्यक्रमों के लिए, सहायता की निर्धारित पद्धति के अनुसार विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश पर अनुदान आवंटित किये जाते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों को प्रदत्त सहायता की मात्रा समान नहीं होती तथा यह मात्रा निरीक्षण समिति की सिफारिशों पर आधारित होती है जो कि कार्यक्रमों और आवंटनों की सिफारिश करने से पूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय की प्रगति के स्तर, शैक्षिक स्तर (मानदंड), क्षेत्र की आवश्यकताओं, विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों, इसके दाखिले, विभागों की संख्या, अध्यापन स्टाफ की संख्या पर विचार करती है। कुछ योजनाओं को छोड़कर विकास अनुदान तदनुरूपी आधार पर दिये जाते है, अनुरूपी भाग राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) राज्य विश्वविद्यालयों को दिये गये विकास अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–10380/76]

केरल के महलापुरम जिले में कोको के लिए बीज उद्यान

106. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के महलापुरम जिले में चूंगाथरा स्थित जिला कृषि फार्म में कोको के लिये एक बीज उद्यान स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त मंजूरी सम्भवतः कब दे दी जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : (क) से (ग). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में कोको के बीज उद्यानों की स्थापना की योजना को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में लाग करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। गत मई में हुई

बैठक में योजना आयोग से योजना के विषय में बातचीत की गई थी और इसमें तैयार किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर संशोधन करना उचित समझा गया। योजना में तदनुरूप संशोधन किया गया और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जा रही है। किन्तु अंतिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

केरल में संस्कृत विद्यापीठ

107. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब होने की आशा है; और

(ग) अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग). पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये संस्कृत विद्यापीठों को स्थापित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

तमिलनाडु में वीरानाम परियोजनाएं

108. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम् :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल का उपयोग करने के लिये वीरानाम परियोजनाओं की जांच करने हेतु एक तीन-सदस्यीय तकनीकी पेनल नियुक्त किया है;

(ख) क्या इस परियोजना का ठेका किसी गैर-सरकारी फर्म को दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृष्णा जल के उपयोग के बारे में समझौता

109. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम:** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु को कृष्णा नदी से पानी सप्लाई करने के बारे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि और सिचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री केदार नाथ सिंह) : (क) और (ख). महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारें मद्रास शहर की जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृष्णा जल के अपने भाग में से प्रत्येक 5 टी०एम०सी० जल देने के लिए सहमत हो गई हैं। संबंधित ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

आधुनिक अरबी का अध्ययन

110. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आधुनिक अरबी का अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या कालीकट तथा अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आधुनिक अरबी पढ़ाने की व्यवस्था किये जाने की स्थिति में उनके मंत्रालय ने उन्हें कोई सहायता देने का वचन दिया है; और

(ग) क्या उन्हें अरबी भाषा जानने वाले व्यक्तियों के लिए मध्य पूर्व के देशों में नौकरी के अनेक अवसर मिलने की जानकारी है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अरबी भाषा का श्रेण्य रूप सभी अरबी देशों में प्रचलित है। फिर भी विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों के अपने-अपने विशिष्ट रूप बन गये हैं। इस प्रकार आधुनिक अरबी भाषा को श्रेण्य भाषा से अलग भाषा कहना कठिन है।

अधिकांश स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में अरबी पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं और अब आधुनिक अरबी साहित्य का शिक्षण लागू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कुछ राज्य सरकारों ने यह सूचित किया है कि स्कूल स्तर पर आधुनिक अरबी के अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम को आधुनिक रूप देने तथा पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के लिए कदम उठा लिये गये हैं ताकि संबंधित क्षेत्रों की इस विषय से सम्बन्धित मांग पूरी की जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अरबी के अध्ययन के पाठ्यक्रमों को आधुनिक रूप देने तथा उनमें सुधार करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध कालेजों की सहायता के लिए कुछ कदम उठाये हैं। आयोग विश्वविद्यालयों को आधुनिक अरबी के शिक्षण हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता देता है और अंशकालिक तथा उच्च अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग की छात्रवृत्तियों और शिक्षावृत्तियों की योजना से भी अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन मिलता है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आधुनिक अरबी के अध्ययन के लिए कालीकट विश्वविद्यालय के विकास संबंधी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है तथा एक अतिरिक्त शिक्षक के लिए स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, वह पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीदने हेतु धनराशि देने के लिए भी सहमत हैं। इसी प्रकार की सुविधाएं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय को भी दी जा रही हैं।

(ग) जी हां।

विष्णु शुगर मिल्स गोपालगंज के लिए गये चीनी के नमूने

111. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी तथा वनस्पति निदेशालय द्वारा चीनी के सही ग्रेडिंग की जांच करने के लिये चीनी कारखानों से चीनी के नमूने लिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973–74 और 1975–76 के बीच विष्णु शुगर मिल्स लिमिटेड गोपालगंज (बिहार) से चीनी के कितने नमूने लिये गये हैं और कितने मामलों में गलत ग्रेडिंग का पता चला और यदि उन पर अभियोग की कार्यवाही शुरू की गई तो उन मामलों की क्या स्थिति है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) विष्णु शुगर मिल लिमिटेड के स्टाक से 1973–74 से 1975–76 तक की अवधि के दौरान छः बार चीनी के कुल 52 नमूने लिये गये थे और 10 मामले ओवरग्रेडिंग के पाये गये थे ।

राष्ट्रीय सर्करा संस्था, कानपुर की पुष्टि टैस्ट रिपोर्ट के अनुसार इनमें से चीनी के 8 नमूने ओवरग्रेड पाये गये थे । 3 मामले जिनमें चीनी के 8 ओवर ग्रेड मामले हैं, राज्य सरकार को फैक्टरी के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने के लिये भेजे गये थे । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एक मामले पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, गोपालगज के न्यायालय में मुकद्दमा चल रहा है और अन्य दो मामले जिला मजिस्ट्रेट, गोपालगंज को फैक्ट्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिये भेज दिये गये हैं ।

शर्करा तथा बनस्पति निदेशालय में चीनी के दो नमूनों का विश्लेषण किया गया था जोकि ओवर ग्रेड के पाये गये थे, ये नमूने राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर को उनके पुष्टि विश्लेषण और रिपोर्ट के लिये भेजे गये हैं ।

Ganga Erosion in Bihar

112. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether thousands of acres of fertile land is submerged and thousands of families are uprooted every year due to erosion of Ganga river in Khagaria. Naugachhia and Katihar divisions of Bihar;

(b) if so, whether Government are formulating any scheme to save the fertile land and villages of Bihar from being eroded by the Ganga river; and

(c) whether the Bihar Government have drawn the attention of Central Government to this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture & Irrigation (Shri Kedar Nath Singh): (a) Floods in the Ganga submerge marginal lands on its banks in the unprotected reaches. Some areas also get affected every year due to erosion, the area and magnitude of erosion varying from year to year.

(b) & (c). Bihar Government has prepared a Master Plan for flood control for Bihar State in 1974 in which a provision of about Rs. 55 crores has been made for the construction of embankments on the river Ganga for protecting an area of about 6·5 lakh hectares and protection of towns located at its banks. This Master Plan is based on the outline plan prepared by the Ganga Flood Control Commission.

A provision of Rs. 7·5 crores has been made in the Master Plan for anti-erosion works along the Ganga river. This Master Plan i currently under examination by the State Technical Advisory Committee and the Flood Control Board.

The State Government have formulated a detailed scheme based on the recommendations of an expert committee set up by the Central Government for the protection of areas on the banks of Ganga in the vicinity of Mansi estimated to cost Rs. 3 crores. Some of the works included in the scheme were completed before the floods of 1975 and the river is reported to have behaved satisfactorily.

Sale of 'Maize HI Starch' seeds in Bihar

113. **Shri G. P. Yadav**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether 'maize Hi-starch' seeds were distributed on cash payment among the farmers in various districts in Bihar State by the National Seeds Corporation and the acreage of land for which these seeds were sold;

(b) whether only 25 per cent of the above seeds sprouted; and

(c) if so, action. Government propose to take against the concerned employees of the National Seeds Corperation and for compensating the affected farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) National Seeds Corporation distributed in Bihar State, through different agencies, maize Hi-starch seeds sufficient to cover 1,61.750 acres.

(b) & (c). A Joint Fact Finding Committee consisting of nominees of National Seeds Corporation and of the Agricultural Production Commissioner. Bihar has been formed to go into complaint of poor germination. The exact percentage of germination will be known on completion of the enquiry by this Committee. Further action will be taken on receipt of report of the Committee.

Support Price to Agricultural Produce

114. **Shri G. P. Yadav**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state whether Government propose to announce 'Support price' to encourage farmers to achieve maximum production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): Procurement prices are fixed every year for paddy. wheat. jowar, bajra, maize and ragi, the policy of the government is to provide support at these prices. Minimum support prices are fixed for cotton and jute and minimum prices payable by sugar factories are fixed for sugarrcae.

Kharif Procurement

115. **Shri Ramavatar Shastri:**
Shri D. Debi

Will the Mnister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state the State-wise details of the Kharif procurement ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): A statement is attached. [Placed in the Library. *See* No. L.T.—10381/76].

वर्ष 1975 के दौरान राज्यों को चावल और गेहूं का आवंटन

11?. **श्री सी० एच० मुहम्मद कोया** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 के दौरान 'सेन्ट्रल पूल' से विभिन्न राज्यों को राज्यवार चावल और गेहूं का कितनी कितनी मात्रा में आवंटन किया गया ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : 1975 के दौरान संघ शासित प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से आवंटित की गई चावल और गेहूं की मात्रायें

बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10382/76]।

केन्द्रीय फार्म विभाग का विकेन्द्रीकरण

118. **श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्रीय फार्म विभाग ने अपने कार्य का विकेन्द्रीकरण करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या विकेन्द्रीकरण से सरकार के खर्च में वृद्धि होगी ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) फिलहाल, भारत सरकार फार्म स्टोर, कलकत्ता विभिन्न विभागों/संगठनों के काम में आने वाले फार्मों का स्टाक रखता है तथा उनका वितरण करता है। सारे देश में, फैले ये मांग-कर्ता विभागों/संगठनों को फार्मों की शीघ्र सप्लाई करने के लिये, भारत सरकार फार्म स्टोर, कलकत्ता के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय भण्डार खोले जा रहे हैं।

(ख) भारत सरकार फार्म स्टोर, कलकत्ता के कर्मचारियों ने कुछ अभ्यावेदन भेजे हैं।

(ग) तथा (घ). मांगकर्ताओं को फार्मों का शीघ्रातिशीघ्र वितरण करने के सारे खर्च में थोड़ी सी बढ़ोत्तरी हो सकती है।

निर्माण—आवास-गृह निर्माण सहकारी समिति लि० के सदस्यों को प्लाटों का आवंटन करने के लिए अनुमति

119. **श्री वीर भद्र सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दस वर्ष से भी पहले यमुना पुल के उस पार शाहदरा क्षेत्र में अनेक गृह निर्माण सहकारी समितियों को भूमि आवंटित की गई थी

(ख) क्या उनमें से समितियों ने अपने सदस्यो को विशेष रूप से निर्माण-आवास मंत्रालय गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को प्लाट आवंटित करने के लिये उनको अनुमति देने हेतु सरकार से अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें अपने सदस्यों को प्लाट आवंटित करने के लिये अनुमति दे दी है।

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) शाहदरा क्षेत्र में 42 सहकारी गृह निर्माण समितियों को अविकसित भूमि आवंटित की जा चुकी है।

(ख) जी, हां।

(ग) केवल एक समिति, जिसका नाम सैनी सहकारी गृह निर्माण समिति है, को अपने सदस्यों को प्लाट आवंटन करने की अनुमति दी गई है।

Price of Urea

120. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether the Central Government had reduced the price of Urea chemical fertilizers by Rs. 150 per tonne last year;

(b) whether the urea content is high in the "Grow more", a compound chemical fertilizer;

(c) whether the value of a 50-kilo bag of the "grow more" compound fertilizer was Rs. 153/- last year and the per bag price of the "grow more" compound fertilizer has been fixed at Rs. 164 for the present rabi crop; and

(d) if so, the justification for increasing the price of this fertilizer ?

The Deputy Minister in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Prabhudas Patel): (a) Yes, Sir. The retail price of urea was reduced by Rs. 150/- per tonne w.e.f. 18th July, 1975.

(b) The two compound fertilisers *viz.* 28-28-0 and 14-35-14 under the brand name "GROMOR" are manufactured by M/s Coromondel Fertiliser Ltd. Out of 28 units of 'N' in their product 28-28-0 9 to 10 units of Nitrogen are in Ammoniacal form and 19 to 18 units in Amide (urea) form. The product 14-35-14 contains all the 14 units of 'N' in Ammoniacal form and none in Amide (urea) form.

(c) The retail prices per bag of 50 kg. (gross) for the two products as fixed by M/s Coromondel Fertiliser Ltd. from time to time are indicated as under:—

	28-28-0	14-35-14
Effective from 7-4-75	164·00	164·00
Effective from 28-6-75	159·00	159·00
Effective from 5-1-76	151·50	146·50

(d) In view of (c) above the question of justification does not arise as the prices have been reduced.

Sale Price of Imported Wheat

121. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) the quantity of wheat imported during the last six months;

(b) the price at which this is being distributed at fair price shops;

(c) whether wheat is selling in the country at Rs. 100 to Rs. 120 per quintal; and

(d) if so, the price at which the imported wheat will be sold and the loss Government are ncurring on this account. ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Anna-Saheb P. Shinde): (a) A quantity of about 33·65 lakh tonnes of wheat was imported during September, 1975 to February, 1976.

(b) wheat is issued to the State Governments/Union Territories for their public distribution system at the Central issue price of Rs. 125/- per quintal throughout the country. The issue price of wheat from Fair Price Shop is fixed by respective State Governments/Union Territory administrations and varies from State to State.

(c) The open market prices of wheat in the country differ not only from State to State but also from Mandi to Mandi in the same State and also from variety to variety. The Wholesale prices of Maxican variety of wheat of Fair Average Quality as on 28th February, 1976 in the major wheat growing States were ranging between Rs. 105 to Rs. 137 per quintal.

(d) All wheat whether indigenous or imported is issued at the Central issue price of Rs. 125 per quintal to the State Governments/Union Territories for the public distribution system. To the extent the average pooled economic cost of wheat exceeds the issue price of Rs. 125, the difference is borne by the Government, in the form of subsidy.

Demand for Nan Produced by Modern Bakeries

122. **Shri Hari Singh**: Will the Minister of **Agriculture and Irrigation** be pleased to state:

(a) whether there is a sharp fall in the demand for the 'Modern Nan', a product of the Modern Bakeries, New Delhi;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to draw up any new scheme to increase its consumption and if so, the features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Production of Nan in an automatic plant is the first of its kind in the country. The project itself is a pilot and development project to produce cheap products on a mass scale. The Nan produced at present is apparently not acceptable to the consumer in its present form and there is need for improvement in its quality.

(c) Modern Bakeries are conducting a thorough review including further research and modifications in the production process etc. to develop a product acceptable to the consumer.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

पाइप लाइन जांच आयोग (टकरू आयोग) द्वारा दिया गया प्रतिवेदन तथा इसके बारे में विवरण

पैट्रोलियम मन्त्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) पाइप लाइन जांच आयोग (टकरू आयोग), जो भारतीय तेल निगम की गोहाटी-सिलीगुड़ी और हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धी कतिपय मामलों की जांच करने के लिये अगस्त, 1970 में नियुक्त किया गया था, द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत पाइप लाइन जांच आयोग (अगस्त, 1975) का प्रतिवेदन।

(3) पाइप लाइन जांच आयोग के प्रतिवेदन में दिये गये निष्कर्ष तथा महत्वपूर्ण टिप्पणियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10347/76]

संविधान के अनुच्छेद 123(2) (क) के अधीन जारी किये गये अध्यादेश

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्ध के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये निम्न-लिखित अध्यादेशों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 1976 को प्रख्यापित नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) संशोधन अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 1) ।

(दो) राष्ट्रपति द्वारा 1 मार्च, 1976 को प्रख्यापित संघ लेखे का विभागीकरण (कर्मचारियो का स्थानान्तरण) अध्यादेश, 1976 (1976 का संख्या 2) ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10348/76]

आर्थिक सर्वेक्षण 1975–76

वित्त मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं आर्थिक सर्वेक्षण 1975–76 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10349/76]

नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) नियम 1976

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा 3 के अन्तर्गत नगर-भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 85(ङ) में प्रकाशित हुये थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10350/76]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर तथा धनकर नियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क (नामों का प्रकाशन) नियम, 1975, जो दिनांक 19 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 27(ङ) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 183, जो दिनांक 7 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) सा० सां० नि० 74(ङ), 76(ङ) और 77(ङ), जो 12 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० सां० नि० 106(ङ), जो दिनांक 1 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(2) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 4क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 75(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10354/76]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 164 में प्रकाशित हुए थे) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10355/76] ।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 23 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 34(ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या 1 एल० टी० 10351/76] ।

(5) धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 46 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धन-कर (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 147(ङ) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10352/76] ।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निगम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 162, जो दिनांक 7 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 163, जो दिनांक 7 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० सां० नि० 68(ङ), जो दिनांक 9 फरवरी, 1976 के भारत के राज-पत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10353/76] ।

मध्य रेलवे की थाना-बम्बई वी० टी० स्थानीय सवारी गाड़ी के एक डिब्बे में आग लगने के बारे में एक विवरण

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं मध्य रेलवे के सिऑन और मांटुंगा स्टेशनों के बीच 12 फरवरी, 1976 को टी–84 अप थाना-बम्बई वी० टी० स्थानीय सवारी गाड़ी के एक डिब्बे में आग लगने के बारे में एक विवरण, की प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 10356/76] ।

राष्ट्रीय बीज निगम कर्मचारी संघ द्वारा प्रधान मन्त्री को दिये गये ज्ञापन पर गाडगिल समिति का प्रतिवेदन, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 1976 तथा बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(14) राष्ट्रीय बीज निगम कर्मचारी संघ द्वारा 30 जनवरी, 1971 को प्रधान मंत्री को दिये गये ज्ञापन में उठायी गयी बातों पर गाडगिल समिति के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी. 10357/76] ।

(15) भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 41 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 143 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10358/76] ।

(16) बीज अधिनियम, 1966 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 52(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 30 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 29 अप्रैल, 1975 की अधिसूचना संख्या सा सां० नि० 211(ङ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है । [ग्रंथालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 10359/76] ।

भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1976

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा (7) की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (चौथा संशोधन), नियम,

1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण), जो दिनांक 27 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 98 (ङ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 10360/76]।

उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियन्त्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश 1976 तथा राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम, जयपुर का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं श्री प्रभुदास पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत उर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 49(ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10361/76]।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10362/76]।

पाँडिचेरी में राष्ट्रपति शासन बढ़ाये जाने सम्बन्धी राष्ट्रपति का आदेश

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 की धारा 51 के अन्तर्गत जारी किये गये राष्ट्रपति के दिनांक 5 मार्च, 1976 के आदेश की एक प्रति, जिसके द्वारा पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन 28 मार्च, 1976 से एक वर्ष की और अवधि के लिये बढ़ाया गया है और जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 174(ङ) में प्रकाशित हुआ था। सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10363/76]।

मद्रास नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1976

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा 3 मार्च, 1976 को प्रख्यापित मद्रास नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1976 (1976 का तामिलनाडु अध्यादेश संख्या 5) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10364/76]।

भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर का वर्ष 1974–75 का प्रतिवेदन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे तथा जवाहरलालनेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वर्ष 1973–74 के प्रमाणित लेखे

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10365/76]

(2) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10366/76]

(3) जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय नई दिल्ली के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय मैं रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10367/76]

अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER ON URGENT PUBLIC IMPORTANCE

संसद् के सत्र के ठीक पहले डाक-सेवा, तार और टेलीफोन की दरों में वृद्धि

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : Before coming to the Subject matter, I would lik to say that copy of the statement by the Minister has not been circulated among the Members. We can put supplementary questions only after going through the statement.

अध्यक्ष महोदय : पहले की तरह वक्तव्य नोटिस आफिस में रखा गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इसकी प्रतियां प्रश्नकाल के दौरान बांटी जा सकती थीं।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में ऐसा ही किया जाएगा :

Shri Ramavatar Shastri : Sir, I call the attention the Minister of Communications to the following matter as urgent public importarce and I request that he may make a statement thereon:—

"Increase in the rates of postal services, telegrams and telephones on the eve of Parliament session"

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : पिछले कुछ वर्षों की डाक तार विभाग की बजटीय स्थिति का पुनरीक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि विभाग का सम्पूर्ण देशी (सरप्लस) बजट उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। वर्ष 1971–72 के दौरान 37.14 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था जोकि वर्ष 1974-75 में घट कर मात्र 2.33 करोड़ रुपए रह गया। चालू वर्ष 1975-76 के दौरान विभाग को 20 करोड़ रुपयों से भी अधिक का अनुमानित घाटा होने की संभावना है।

स्वतंत्र रुप से डाक सेवाओं की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर यह देखा गया है कि 1970–71 के दौरान इस शाखा को एक करोड़ रुपयों से थोड़ा सा ही कम घाटा उठाना पड़ा था लेकिन घाटे की यह राशि उत्तरोत्तर बढ़ती गई और ऐसा अनुमान है कि 1975-76 के दौरान घाटे की यह रकम बढ़कर लगभग 66 करोड़ रुपए हो जाएगी। 1970-71 से डाक सेवाओं पर कुल घाटे की रकम संचित होते होते 138 करोड़ रुपए हो गई है। अगले वर्ष का परिकलित घाटा 75 करोड़ रुपए और बढ़ गया होता।

डाक शाखा एक अत्यधिक श्रम प्रधान शाखा है और इसके खर्च का लगभग 80% अंश कर्मचारी वर्ग पर व्यय होता है। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन-मानों में संशोधन करने तथा जेसी एम विभागीय परिषद् में मई, 1974 में हुए समझौते के फलस्वरुप पदोन्नति की सरणियों (एवेन्यू) में कुछ सुधार हो जाने के कारण वेतन बिल अत्यधिक बढ़ गया है। इसके अलावा महंगाई भत्ते की 14 किस्तें मंजूर करने से इस भत्ते की रकम भी काफी बढ़ गई है। 1973-74 में विभाग के वेतन बिल की रकम 203 करोड़ रुपए थी। 1975-76 में यह रकम बढ़कर 321 करोड़ रुपए हो गई। इस प्रकार दो वर्षों के दौरान इस रकम में करीब 120 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

कर्मचारियों पर होने वाले खर्चे को कम करने के लिए डाक तार विभाग विभिन्न उपाय करता रहा है। इस समय वह कार्य विधियों में संशोधन करने तथा उन्हें सरल बनाने के काम में लगा हुआ है ताकि डाकघरों रेल डाक सेवा कार्यालयों और दुर संचार कार्यालयों के काम काज से संबंधित विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए कर्मचारियों का जो समय लगता है उसमें कमी हो सके। सरकार ने हाल ही में आर्थिक बचत के लिए जो उपाय करने का फैसला किया है, उन्हें पूरी निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। कर्मचारियों के पदों की मंजूरी के लिए निर्धारित मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। आकस्मिक व्यय समयोपरि भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि पर होने वाले खर्च पर नियंत्रण रखा जा रहा है और इस पर न्यूनतम सीमा तक बंदिश लगाई जा रही है, जिससे विभाग की कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव न पड़े। आशा की जाती है कि इन उपायों से कार्य की गति में तेजी आएगी, कार्य-कुशलता बढ़ेगी और खर्च भी कम होगा। किन्तु इन उपायों से ही अनुमानित घाटे की पूर्ति नहीं हो सकती।

डाक सेवाओं की एक एक सेवा के लागत निर्धारण से यह मालूम होता है कि लगभग सभी सेवाएं घाटे पर चल रही हैं, जिसका प्रमुख कारण है—कर्मचारी वर्ग पर बढ़ा हुआ खर्च, जिसके संबंध में पहले उल्लेख किया जा चुका है। वर्तमान समय में दूरसंचार की सुविधाएं विकास के बहुत निचले स्तर पर हैं। हमारे देश में 100 की जनसंख्या

[श्री शंकर दयाल शर्मा]

पर केवल 0.3 टेलीफोन दिए गए हैं। इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमरीका में 62.75 टेलीफोन, स्वीडन में 55.95 टेलीफोन जापान में 35.9 टेलीफोन और यूनाइटेड किंगडम में 35.39 टेलीफोन दिए हैं। देश के तेजी से आर्थिक विकास के लिए दूरसंचार एक अनिवार्य आधारिक संरचना है। देश में निर्मित दूरसंचार उपस्कर के निर्यात के माध्यम से यह अच्छी खासी मात्रा में विदेश मुद्रा अर्जित करने का क्षेत्र भी प्रस्तुत करता है। इसलिये पांचवीं योजना के शेष 3 वर्षों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने के लिये विभाग ने व्यापक योजना बनाई है। इस बात का पक्का इंतजाम करने के लिये मौजूदा उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिले, यह नितान्त आवश्यक है कि दूर संचार प्रणाली का विस्तार किया जाय और उसमें सुधार लाया जाय। इस के लिये अधिक आधुनिक और परिष्कृत उपस्कर में काफी पूंजी लगाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिये डाक-तार के पूंजी बजट में डाक तार के राजस्व के अलावा बाहर से काफी मात्रा में राजस्व की व्यवस्था करने की जरूरत है।

विभाग के सम्पूर्ण बजट को सन्तुलित करने के लिये दूर संचार शाखा के बेशी का उपयोग किया जा रहा है। फलस्वरूप, आन्तरिक साधनों में जिनका उपयोग दूर संचार के विकास में किया जा सकता था, बड़ी तेजी से कमी हो रही है। 1975–76 के अन्त तक इस समय समय तक निर्मित पूंजीगत रिजर्व निधि पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तथ्यत: अनुमानित घाटे की पूर्ति के लिये इस वर्ष 11 सामान्य राजस्व के लिये 11 करोड़ रुपये उधार लेने पड़े। कर्मचारी-वर्ग पर होने वाले खर्च में बढ़ोत्तरी के अलावा जो दूर संचार उपस्कर आयात किए जा रहे हैं और जो देश में हीं बनाये जा रहे हैं दोनों के मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में सरकार ने यह आवश्यक समझा है कि डाक सेवाओं और दूर संचार सेवाओं में से कुछ सेवाओं के लिये दर-सूची (टैरिफ) में संशोधन कर दिया जाय।

1 मार्च, 1976 से जो संशोधित दर-सूची लागू की गई है, वह विभाग के सम्पूर्ण खर्च को पूर्ति के लिए तथा पूंजीगत लागत के लिये थोड़ा बेशी (सरप्लस) अर्जित करने के निमित्त कम से कम है। वस्तुत: सरकार ने ऐसे कुछ सेवाओं के प्रभार बहुत अधिक बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, जिनका उपयोग आम आदमी करता है। उदाहरण के लिए, मनीआर्डर सेवा पर सालाना 11.5 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था। मनीआर्डर कमीशन में संशोधन करने से इस घाटे को केवल 4.5 करोड़ रुपये की ही पूर्ति हो सकेगी, यह सेवा फिर भी 7 करोड़ रुपये के घाटे पर चलेगी।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन दरों में संशोधन करनेके लिये केन्द्रीय सरकार भारतीय डाकघर अधिनियम और भारतीय तार अधिनियम दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम है। केवल पोस्ट कार्ड पत्र कार्ड पत्र, पुस्तक और नमूना पैकेट, रजिस्टर्ड समाचार पत्र और पार्सल जैसी कुछ डाक सेवायें हो ऐसी हैं जिनकी दर-सूची में संशोधन करने के लिये संसद् की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। आप देखेंगे कि इन सेवाओं की दर-सूची में संशोधन नहीं किया जा रहा है।

विभाग की गिरती हुई वित्तीय स्थिति पर, जितनी जल्दी सम्भव हो, काबू पाने के लिये सरकार पिछले काफी अर्से से दर-सूची में संशोधन करने की आवश्यकता पर बड़ी गम्भीरता से विचार करती आ रही है। सरकार बहुत पहले ही दरों में संशोधन कर देती किन्तु कुछ प्रशास-

निक कारणों से ऐसा करना केवल 1 मार्च, 1976 से ही सम्भव हो सका। प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण था, और इसीलिये सरकार ने 1 मार्च, 1976 से दरों में संशोधन करने का फैसला किया और वह संसद् की होने वाली बैठक में लोक-सभा के पटल पर यह संशोधन रखती है।

Shri Ramavatar Shastri : The statement given by the hon. Minister is lengthy and unsatisfactory. Attempt has been made to hit crores of countrymen by increasing the rates of postal services, telephones and telegrams on the eve of Parliament Session. This increase is most unjustified before Parliament Session.

Rates of telegrams, telephones and registration have been increased. It is not justified to burden the common man by charging enhanced rates of telephone, telegram and other postal services and this is not the way to implement the 20 point programme. Reactionary and fascist forces can take advantage of the decision of the government which is anti-people.

I want to know as why this increase was announced just before Parliament Session ?

Secondly, can it encourage the people for implementing 20 point programme ?

The Post and Telegraph Department is a service Department and the Government should bear if there is some loss in its operation, could not the Government increase the income by printing advertisements on post cards, envelopes and money orders forms.

Telephones are not only used by the rich but in the cities these are used by the middle class people and common people. How does the Telephone service operate is very well known to the people. The hon. Mnister mentioned about checking extravagent expenditure but what steps the Government is taking to check the corruption.

I want the hon. Minister to clarify these 3—4 points.

Dr. Shanker Dayal Sharma: It has been our endeavour that the common people may not be hit by this step. You would observe that the articles of use by common people like post cards, inland letters and envelopes have not been touched. We cannot meet the entire gap by raising the registration charges. Our total loss at present rates was going to be Rs. 75 crores. With these proposals we have been able to meet a loss of only Rs. 19 crores and Rs. 70 Lakhs. Had we not increased these rates we would not be able to open new post offices in the villages. In 2 years time there has been an increase of 120 crores of rupees in our wage bill. There is no scope to reduce it. The ratio of telephones in our country is 3 per cent whereas in other countries it is 67—68 per cent. We open new exchanges on popular demand and it involves incurring of expenditure on it. We are not interested to put the burden on the poor people. This is done only when there is no other way left. We have to expand the I.T.I. and have to provide it with more components. We cannot wait for long.

The telegraph system is running at a loss even after raising the rates of telegrams. How many telephone calls a common man does. A man who makes more telephone calls is not a common man.

As regards waiting for some more time, it is submitted that it involves 10 crores rupees per month. Our proposal is to bring about one and a quarter lakh villages within the net-work of dak distribution in the country. We have tried to do all this with a minimum of expenditure But there was no way left for us to enhance the rates.

Shri Ramavatar Shastri : Could not you wait......

Dr. Shankar Dayal Sharma : It involves a crore of rupees every three days.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : यह अत्यन्त गम्भीर मामला है कि बजट सत्र के अवसर पर तथा भारतीय डाक अधिनियम और भारतीय तार अधिनियम का अधिलंघन करते हुए संसद् की स्वीकृति के बिना डाक तार की दरें बढ़ाई गई हैं।

लोकतंत्र तथा संसद् की शक्तियों पर बहुत से आघात किये गये हैं। यह आघात दो वर्ष से चल रहे हैं। पहले ऐसी कार्यवाही विरोधी दलों द्वारा राज्य विधान सभाओं को भंग करने की

[श्री भोगेन्द्र झा]

मांग द्वारा की गयी। अब यह कार्यवाही सत्ताधारी दल द्वारा की गई है। यह दोनों शक्तियां प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद् पर आघात कर रही हैं मंत्री महोदय ने कहा है कि यह कार्यवाही बहुत पहले की जानी थी परन्तु किन्हीं प्रशासनिक कारणों से ऐसा नहीं किया जा सका। यहां सरकार ने करोड़ों की हानि उठा कर इतनी प्रतीक्षा की है वहां कुछ सप्ताह की और प्रतीक्षा की जा सकती थी। यह कार्यवाही पिछले वर्ष भी की जा सकती थी। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये तर्क संगत नहीं है।

मंत्री महोदय को इस कार्यवाही के लिये संसद् से क्षमा मांगनी चाहिए और जितनी शीघ्र ऐसा किया जा सके उतना अच्छा है।

मंत्री महोदय के वक्तव्य में कुछ मितव्ययता के कदमों को बताया गया है। मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह प्रकट नहीं होता कि बचत के अभियान से कितना धन बचेगा।

मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि उत्पादन में विशेषतः टेलीफोन के उद्योग में कितनी वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हम अपने उपकरणों का निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमायें। परन्तु क्या इसके लिए यह आवश्यक है कि आम लोगों पर कर लगाया जाये। क्या बैंकों से धन नहीं लिया जा सकता क्योंकि ऐसा करना पूंजी नियोजन है व्यय नहीं। प्रधान मंत्री द्वारा अनेक बार आम जनता की सहायता करने की नीति घोषित की जा चुकी है। मैं समझता हूं कि इस भार से छोटे लोगों को मुक्त रखा जाना चाहिए। धनी वर्गों पर अधिक भार डाला जा सकता है। यह कार्यवाही पहले क्यों नहीं की जा सकी अथवा इसे कुछ और सप्ताह तक रोका क्यों नहीं जा सकता था। मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ प्रशासनिक कारणों से ऐसा नहीं किया जा सका। परन्तु संसद् की प्रभुसत्ता का क्या बना? इसका कोई स्पष्टीकरण उनके पास नहीं है कि इसे कुछ सप्ताह और क्यों न रोका जा सका? बचत कार्यों से शुद्ध बचत कितनी हुई है?

डा० शंकर दयाल शर्मा : इस कार्यवाही के पहले न किये जा सकने का कारण यह है कि पिछले वर्ष हमारे पास 2.33 करोड़ रुपये की बचत थी। मंहगाई भत्ते का निर्णय भी बाद में लिया गया था।

जहां तक संसद् की प्रभुसत्ता का प्रश्न है मेरा निवेदन है कि संसद् ने ही निर्णय किया है कि यह कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा की जाये। अतः हम ने कार्यवाही पूर्णतः कानूनी ढंग से की है।

मनी आर्डरों के बारे में कहा गया है कि धनी लोग बैंकों का उपयोग करते हैं। हमें धनी लोगों से मनी आर्डर नहीं मिलते।

हमें 11 करोड़ रुपये की हानि हुई जिसकी पूर्ति करने की चेष्टा की गई है।

जहां तक विभिन्न बचत कार्यों का प्रश्न है उनसे कितनी बचत होती है यह बाद में पता चलेगा। छटनी का कोई प्रश्न ही नहीं है।

इस कार्य की गुरुता का अनुमान आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि विभाग में 6 लाख से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। विभागेतर कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है।

ये 6 लाख कर्मचारी ही नहीं हमारी जनता भी है। हमें उनके हितों का भी ध्यान रखना है। हमें यह भी देखना है कि बोझ उन्हीं व्यक्तियों पर डाला जाये जो इसे सहन कर सकते हैं। गरीब लोगों को बचाने की हमने चेष्टा की है और विलम्ब करने का अर्थ था 10 करोड़ रुपये की हानि।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि टेलीफोन उद्योग में वित्तीय संस्थाओं से धन लेकर क्यों नहीं लगाया जा सका और जनता पर यह बोझ क्यों डाला गया है ?

डा० शंकर दयाल शर्मा : टेलीफोन उद्योग में लगाई जाने वाली पूंजी इतनी अधिक नहीं बैठती। हमें मुख्यत: उपकरणों के लिए धन देना है।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

(1) कार्यवाही सारांश

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति की 23 जून, 1975, 18 फरवरी और 1 मार्च, 1976 को हुई बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

(2) प्रथम प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बास्सीन संरचना में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* DISCOVERY OF OIL BY O.N.G.C. BASSEIN STRUCTURE

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : अत्यन्त हर्ष के साथ आज मैं यह वक्तव्य देना चाहता हू। सौराष्ट्र तट से कोनकन लाइन तक फैले हुए लगभग 100,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किये गये अपतटीय अन्वेषण के लिए हमारे प्रयत्नों के बारे में माननीय सदस्य जानते ही हैं। 20,000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में फले हुए डीपर कोन्टीनेन्टल शेल्फ प्रोजेक्ट नाम की एक विशेष प्रायोजना, जहां कि भूकम्पीय सर्वेक्षणों को दो माह के अत्यन्त अल्प समय में पूरा किया गया है, के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। डीपर कोन्टीनेन्टल शेल्फ प्रोजक्ट क्षेत्र में किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों की जांच तथा मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके प्रारम्भिक परिणाम उत्साहवर्धक हैं। डीपर कोन्टीनन्टल शैल्फ प्रोजक्ट क्षेत्र में अन्वेषी व्यधन कार्य भी सम्भवत: वर्ष के अन्तर्गत प्रारम्भ किये जायेंगे।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये इस महत्वपूर्ण कार्य के अतिरिक्त अपतटीय क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अच्छी किस्म के तेल की एक और खोज कर लिये जाने

[श्री के० डी० मालवीय]

की मैं घोषणा करना चाहता हूं। पहले किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों के आधार पर पश्चिमी तट से दूर अनेक स्वतंत्र संरचनाओं पर रेखांकन कार्य किया गया था। इस प्रकार की एक संरचना वास्सीन के पश्चिम में लगभग 70 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। इस संरचना तथा कुछ अन्य संरचनाओं के बारे में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के भूगर्भ-वैज्ञानिकों द्वारा दी गई आशाजनक व्याख्याओं के संदर्भ में फरवरी, 1976 के प्रथम सप्ताह में दो दिन के एक अधिवेशन में अपतटीय अन्वेषी व्यधन के लिए एक कार्यक्रम पर विचार विमर्श हुआ। इन विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में वास्सीन संरचना तथा दिव के दक्षिण में 90 किलो मीटर की दूरी पर दूसरी संरचना पर साथ-साथ व्यधन का एक कार्यक्रम आरम्भ किया। 11 फरवरी, 1976 को वास्सीन संरचना पर खुदाई प्रारम्भ की गयी तथा कुएं की 2300 मीटर की गहराई तक खुदाई की जानी थी। लगभग 1714 मीटर तक खुदाई करने के पश्चात् तेल एवं गैस से मुक्त एक 71 मीटर की मोटाई की चूने के पत्थर की पर्त पायी गयी। प्रारम्भिक परीक्षण कार्य केवल अल्प अवधि में हुआ किन्तु इससे अच्छे उत्पादन होने के संकेत मिले। प्रायोजित गहराई तक कुएं के खोदे जाने तथा आवश्यक उत्पादन परीक्षण के पूर्ण हो जाने के बाद ही इस संरचना के सम्भाव्य उत्पादन के और अधिक सही अनुमान लगाये जा सकेंगे। तथापि मैं यह निश्चय पूर्वक कहूंगा कि यह खोज अत्यन्त महत्वपूर्ण है तथा जो तेल मिला है वह बहुत अच्छी किस्म का है। व्यधन कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा आगामी कुछ दिनों में इस कार्य के पूर्ण हो जाने की आशा है। वास्सीन संरचना से तथा आस-पास के क्षेत्रों से संभाव्य उत्पादन के बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करने के लिए अविलम्ब अन्वेषण प्रारम्भ करने तथा मूल्यांकन व्यधन के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। अक्तूबर, 1976 तक अन्वेषी तथा मूल्यांकन व्यधन पूर्ण हो जायेगा। इस नई खोज से तेल में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर हम एक और कदम आगे बढ़ जायेंगे।

नागालैंड बजट—1976–77

NAGALAND BUDGET- 1976-77

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : महोदय, सदन को मालूम है कि नागालैंड राज्य में 22 मार्च, 1975 से राष्ट्रपति का शासन है और संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुसार राज्य विधान मण्डल की शक्तियों का प्रयोग संसद् द्वारा या संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत किया जा सकता है। तदनुसार महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सदन में नागालैंड सरकार का 1 अप्रैल, 1976 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती हूं। व्याख्यात्मक ज्ञापन और अनुदानों की मांगें भी माननीय सदस्यों में वितरित की जा रही हैं।

संशोधित अनुमान, 1975–76

नागालैंड सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के बजट में जो इस सदन को प्रस्तुत किया गया था और इस सदन द्वारा मंजूर किया गया था, पहले 45.22 करोड़ रुपए की राजस्व-प्राप्तियों का अनुमान लगाया गया था, जिनमें केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदानों का 39.10 करोड़ रुपया शामिल है। अब अनुमान है कि चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार के सहायता अनुदानों सहित 44.32 करोड़ रुपए

की राजस्व-प्राप्तियां होंगी। राजस्व खाते का व्यय, जिसका मूल अनुमान 41.32 करोड़ रुपए था, अब 41.02 करोड़ रुपए होगा जिसके परिणामस्वरूप राजस्व खाते में 3.30 करोड़ रुपए बच रहेंगे जबकि चालू वर्ष के मूल बजट में 3.90 करोड़ रुपए के अधिशेष का अनुमान था। समेकित निधि के पूंजी खाते और लोक खाते के लेनदेनो में अब 5.70 करोड़ के घाटे का अनुमान है जबकि इसके बारे में मूल अनुमान 6.91 करोड़ रुपए का था। इस प्रकार, कुल मिलाकर चालू वर्ष में 2.40 करोड़ रुपए का घाटा होगा। इसकी पूर्ति रोकड़ बाकी से इतनी ही रकम निकाल कर की जाएगी।

बजट अनुमान, 1976-77

अनुमान है कि राजस्व खाते में 50.12 करोड रु० की प्राप्तियां होंगी, जिनमें केन्द्रीय सरकार का 42.83 करोड़ रुपयों का सहायता अनुदान शामिल है। राजस्व खाते में 44.47 करोड रु० का खर्च होने का अनुमान है, जिससे 5.65 करोड़ रु० का अधिशेष रहेगा। अनुमान है कि पूंजी खाते से 13.74 करोड़ रु० का भुगतान होगा जब कि बाजार उधारों और केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले उधारों सहित 6.45 करोड़ रु० की प्राप्तियों का अनुमान है। इस प्रकार पूंजी खाते में 7.29 करोड़ रु० का घाटा होगा। लोक खाते में 1.34 करोड़ रु० का अधिशेष रहेगा। और इस प्रकार वर्ष के अन्त में कुल मिलाकर 30 लाख रुपये का घाटा रहेगा। हो सकता है कि इस घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वर्ष के दौरान अतिरिक्त साधन जुटाने पड़ें।

1976-77 में आयोजना परिव्यय

राज्य सरकार के 1975-76 के बजट में 15.24 करोड़ रु० के आयोजना परिव्यय की परिकल्पना की गई थी। सब से हाल के अनुमानों के आधार पर, चालू वित्तीय वर्ष में आयोजना पर 15.36 करोड़ रु० का परिव्यय होने की संभावना है। 1976-77 के बजट में राज्य के आयोजना परिव्यय के संबंध में इससे अर्थात अधिक 17.70 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया है जिसमें 7.94 करोड़ रु० राजस्व खाते का और 9.76 करोड़ रुपये पूंजी खाते का है। 1976-77 में परिकल्पित आयोजना परिव्यय का क्षेत्रवार विभाजन व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध में दिया गया है जो अन्य बजट पत्रों के साथ वितरित किया जा रहा है। इसके अलावा 1976-77 के अनुमानों में केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित अयोजनागत स्कीमों पर खर्च के लिये 3.67 करोड़ रुपय की रकम रखी गई है जिसमें 2.11 करोड़ रुपया राजस्व खाते का और 1.56 करोड रुपया पूंजी खाते का है। इसमें 84 लाख रुपया उत्तर पूर्वी परिषद की स्कीमों के लिये है। 1976-77 के अनुमानो में सीमा सड़क संगठन के माध्यम से सड़कों के सुधार के लिये 1.96 करोड़ रु० की व्यवस्था भी है।

यहां मैं नागालैंड में आयोजनागत स्कीमों की प्रगति की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत कर रही हूं। नागालैंड में अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये गहन कृषि प्रणाली सुव्यवस्थित तरीके से लागू की गई है। खेती में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं का पिछले कुछ वर्षों से इस्तेमाल किया जाने लगा है। अनुमान है कि अधिक उपज वाली किस्मो के कार्यक्रम और जल्दी परिणाम देने वाली ऐसी अन्य स्कीमों पर अधिक जोर दिय जाने के कारण खाद्य का उत्पादन पांचवी आयोजना में निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक होगा। इन सबके बावजूद

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

राज्य को शहरो में रहने वाले लोगों और सुरक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिये कुछ वर्षों तक अनाज का आयात करते रहना पड़ेगा। कुछ दिनो पहले नागालैंड में कृषि अनुसंधान लगभग नहीं के बराबर था लेकिन यह एक शुभ लक्षण है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिये अपने अनुसंधान कम्पलेक्स के अंग के रूप नागालैंड में कुछ अनुसंधान केन्द्र और स्टेशन स्थापित किये है।

राज्य में सुअर पालन, मुर्गी पालन, और पशु पालन विकास के सघन कार्यक्रम शुरु किये गए हैं। इसके साथ साथ राज्य के अन्दरुनी क्षेत्रों के लिये पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया है। छोटे और सीमान्त कृषक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 जिलों में सघन सुअर पालन विकास कार्यक्रम और एक दुग्ध उत्पादन स्कीम शुरु की गई है।

वाणिज्यिक और कृषि दोनों प्रकार के वृक्षो के लगाने के काम में प्रगति हो रही है। कागज के कारखाने में उत्पादन के शुरू होने पर उसे कच्चे माल की सप्लाई की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये बांस और लुगदी वाले अन्य किस्मों के वृक्षों वाले 70 वर्ग मील के वन क्षेत्र की खरीद के लिये 1976–77 के परिव्यय में 2.50 करोड रुपये रखे गये हैं।

सहकारिता विभाग कमजोर समितियों को मजबूत बनाने का काम गम्भीरता से कर रहा है ताकि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनता और कमजोर वर्गों की जरुरतो को को पूरा किया जा सके। इन उपायों से युवकों और विद्यार्थियों को भी लाभ हो रहा है।

जहां तक औद्योगिक उपक्रमों का संबंध है, दीमापुर के चीनी के कारखाने के काम में पिछले वर्ष की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। शराब के कारखाने की परियोजना के अप्रैल, 1976 में चालू हो जाने की सम्भावना है और आशा है कि तुली में स्थित कागज और लुगदी के कारखाने में 1977 के अन्त में उत्पादन शुरू हो जायेगा। प्लाईवुड कारखाने के कामों में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है।

नागालैंड अधिकांशतः बड़े दुर्गम पहाड़ी मार्गों वाला राज्य है इसलिये सड़क संचार को सबसे अधिक महत्व दिया गया है जिसके लिये आयोजना परिव्यय में सबसे अधिक राशि रखी गई है। पिछले बचे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों को पूरा करने और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों को एक दूसरे के साथ मिलाने पर अधिक जोर दिया गया है।

विद्युत विकास के अन्तर्गत कोहिमा के निकट स्थित 1500 किलोवाट की स्थापित क्षमता वाली डीज़ुजा पन बिजली स्कीम के कुछ महीनों में चालू हो जाने वाली की संभावना है। गांवों में बिजली लगाने के काम में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है।

सामाजिक सेवा के क्षेत्र के अन्तर्गत, गांवों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने को प्राथमिकता दी गई है। जलपूर्ति स्कीमों के मामलों में कोशिश यह है कि यथासम्भव अधिक से अधिक स्कीमों, विशेषतः ग्रामीण जल पूर्ति की स्कीमों को पूरा किया जाये।

बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

नागालैंड के लोगों ने प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का हार्दिक स्वागत किया है।

किसानों को ऋण देने के लिये नागालैंड राज्य सहकारी बैंक की शाखायें ग्रामीण इलाकों में खोली गई हैं और विपणन समितियों से कहा गया है कि वे किसानों से उनकी उपज के फालतू अनाज की खरीद करें। न्यूनतम कृषि मजबूरी को 4 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये दैनिक कर दिया गया है। राज्य में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये योजनायें बनाई गई है और प्रबंध किये गये हैं।

जहां तक छात्र वर्ग का संबंध है उन्हें पर्याप्त छात्रवृत्तियां और वजीफे दिये जा रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं को कन्ट्रोल की कीमतों पर सप्लाई करने के लिये छात्रावासों में सहकारी समितियों का गठन किया गया है। सरकार इन सहकारी समितियों के लिये चावल, चीनी, आटे, कपड़े, नमक आदि की व्यवस्था स्वंय करती है। पाठ्य पुस्तकों को छापने और सस्ती कीमतों पर छात्रों को उपलब्ध करने के लिये भी प्रबन्ध किये गये है।

सरकार कीमतों के बारे में सतर्क है और उसने वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिये कदम उठाये हैं।

कानून और व्यवस्था

अन्त में मैं नागालैंड की मौजूदा स्थिति का जिक्र कर रही हूं। जैसा कि सदन को मालूम है, नागालैंड विधान सभा में बहुत बड़ी संख्या में विधायकों द्वारा दल-बदल करने के बाद और किसी राजनीतिक दल को स्थायी सरकार बनाने में असमर्थ होने पर संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा लेना पड़ा और 22 मार्च, 1975 से नागालैंड में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा। स्थिति के अस्थिर बने रहने पर, राज्यपाल की सिफारिश स्वीकार कर ली गई और 20 मई, 1975 को विधान-सभा भंग कर दी गई थी।

यह संतोष की बात है कि अब नागालैंड में संघर्ष और विरोध के बादल छंटते दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नागालैंड के राज्यपाल और छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत हुई थी और इनके बीच एक समझौते पर शिलङ् में 11 नवम्बर, 1975 को हस्ताक्षर किये गये। छिपे नागाओं ने स्वेच्छापूर्वक बिना किसी शर्त के इस समझौते के अधीन भारत के संविधान को स्वीकार करने और अपने हथियारों को पेश करने व जमा कराने की सहमति प्रकट की। भारत सरकार ने छिपे नागाओं को अन्य बातों पर उनके सुझाव जानने के लिए जिन पर वह बाद में बातचीत करना चाहेंगे, समय देना स्वीकार किया है। 11 नवम्बर, 1975 को शिलङ् में हुए समझौते को लागू करने में सन्तोषजनक रीति से प्रगति हो रही है।

पाँडिचेरी बजट–1976–77

PONDICHERRY BUDGET—1976-77

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है कि पांडिचेरी में 28 मार्च, 1974 से राष्ट्रपति का शासन है। तदनुसार महोदय, मैं आपकी अनुमति से संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 की धारा 27 के अनुसार पहली अप्रैल, 1976 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में प्रस्तुत करती हूं। व्याख्यात्मक ज्ञापन और वर्ष 1976–77 की अनुदानों की मांगें भी माननीय सदस्यों में वितरित की जा रही हैं।

वर्ष 1975–76 के संशोधित अनुमान

2. चालू वित्तीय वर्ष में संघ राज्य क्षेत्र के बजट में राजस्व खाते में 15.34 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान किया गया था जिसमें भारत सरकार का 5.39 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। बिजली शुल्क की दरों में संशोधन किये जाने तथा काफी अधिक मात्रा में राजस्व का संग्रह किये जाने की वजह से यह अनुमान किया गया है कि चालू वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की रकम बढ़कर 15.99 करोड़ रुपए हो जाएगी जिसमें भारत सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान की 5.27 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है। राजस्व व्यय में जिसके बारे में पहले यह अनुमान था कि यह केवल 15.34 करोड़ रुपये होगा, 1.68 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। यह वृद्धि मुख्यतः अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मंजूर किये जाने, संशोधित वेतन मानों के अनुसार वेतन की बकाया रकमों की अदायगी करने, भूतपूर्व फ्रांसीसी सरकार से पेंशन प्राप्त करने वालों को पेंशनों की पहली जनवरी, 1973 से बढ़ा दिये जाने के कारण पेंशनो की बकाया रकमों की अदायगी करने और तमिलनाडु द्वारा संघ राज्य क्षेत्र को दी जाने वाली बिजली पर उनके द्वारा लगाये गये अधिभार की अदायगी करने की वजह से हुई है। अनुमान है कि पूंजी खाते में प्राप्तियों और भुगतान दोनो में 27.53 लाख रुपये से ज्यादा की रकम की प्राप्ति और भुगतान होगा।

बजट अनुमान 1976–77

3. अनुमान है कि अगले वर्ष 10.44 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति की अपेक्षा 18.32 करोड़ रुपए की रकम खर्च होगी। 7.88 करोड़ रुपए का यह घाटा भारत सरकार से सहायता अनुदान लेकर पूरा किया जाएगा। अनुमान है कि उधार दिये गये रकमों की जो वसूलियां की जाएंगी उनसे पूंजी खाते में 43 लाख रुपए की प्राप्ति होगी जबकि इस खाते से 4.12 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा जिसमें केन्द्रीय सरकार को वापस की जाने वाली 92 लाख रुपए की वह रकम भी शामिल है जो उधार के तौर पर ली गई थी। इस खाते में 3.69 करोड़ रुपए का घाटा भारत सरकार से उधार लेकर पूरा किया जाएगा।

आयोजना परिव्यय

4. वर्ष 1975–76 के लिए बजट में, 5.14 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय की परिकल्पना की गई थी। अब संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाये जाने के कारण चालू वर्ष के लिए यह रकम बढा कर 5.25 करोड़ रुपए कर दी गई है। वर्ष 1976–77 के बजट में उससे भी बड़ी रकम अर्थात् 6.97 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमान किया गया है। इस परिव्यय का क्षेत्रवार ब्योरा व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबन्ध में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 1976–77 के अनुमानों में केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत स्कीमों के लिए 45.60 लाख रुपए की भी व्यवस्था है।

20–सूत्री आर्थिक कार्यक्रम

5. प्रधान मंत्री द्वारा घोषित 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अनुसरण में, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने ठोस नीतियां अपनाई हैं तथा कारवाई शुरू कर दी है जिससे उसके उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम को ध्यान में रख कर संघ राज्य क्षेत्र का बजट बड़ी बारीकी से तथा सभी पहलुओं पर पूरी तरह विचार कर तैयार किया गया है और आयोजना पक्ष के अन्तर्गत तो

इसका कार्यक्रम का विशेष ध्यान रखा गया है। सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों पर 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए फिर से विचार किया गया है जिससे निर्धारित लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त किया जा सके। 1976–77 के लिए 6.97 करोड़ रुपए के आयोजना परिव्यय में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए 41.66 लाख रुपए और जो योजनाएं विशेष रूप से तथा सीधे 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आती हैं उनके लिए 119.72 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

संघ राज्य क्षेत्र ते 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए हैं। भूमि सुधार के क्षेत्र में, अनुमान लगाया गया है कि अधिकतम सीमा अधिनियम को लागू करने के परिणामस्वरूप लगभग 1000 हैक्टेयर जमीन फ़ालतू उपलब्ध हो जाएगी। भूमिहीनों और समाज के कमजोर वर्गों के लोगो को मकानों के लिए जमीन वितरित करने का काम एक वृहत् कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है और अब तक मकान बनाने के लिए 4226 जगह दी जा चुकी हैं जिसमें से 3380 जगह अनुसूचित जातियों के लोगों को दी गई है। मीन उद्योग के क्षेत्र में मछुओं के लिए एक आवास स्कीम शुरू की गई है।

कृषि श्रमिकों, छोटे और सामांतिक किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों से कर्जों की वसूली पर ऋण स्थगन संबंधी आवश्यक विनियम पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अनिवार्य वस्तुओं के वितरण के मामले में सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी वितरण प्रणाली शुरू की जा चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों को भी इस प्रयोजन के लिए शहरी क्षेत्रों के समान ही माना जा चुका है हाल ही में खोली गई उचित दर की सभी 63 दुकान सहकारी समितियों को दे दी गई हैं जिससे यह समितियां सरकारी वितरण की स्कीम को कार्यान्वित करने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकें। कपड़े का वितरण जो पहले 15 दुकानो द्वारा किया जाता था अब 82 दुकानो द्वारा किया जा रहा है। इसकी मात्रा भी 40 गांठ प्रति मास से बढाकर 60 गांठ प्रति मास कर दी गई हैं और अब इनमें धोतियों और साड़ियों को भी शामिल कर दिया गया है। इसका जनता द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप सभी वस्तुओं को कीमतों में तेजी से गिरावट आई है और खाद्य पदार्थों की कीमतें तो स्पष्ट रूप से गिरी हैं।

1976–77 के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिग प्रोग्राम के परिव्यय में काफ़ी वृद्धि कर दी गई है। 1975–76 में भी, संघ राज्य क्षेत्र में, निर्धारित लक्ष्य से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था।

लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन में, पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि लघु उद्योगों से भिन्न क्षेत्रों में, पहले की 9 प्रतिशत औसत वृद्धि की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हथकरघा क्षेत्र में 42 प्रतिशत बुनकरों को पहले ही सहकारी समितियों के अन्तर्गत लिया जा चुका है तथा बाकी बुनकरों को भी सहकारी समितियों में शामिल करने के लिए इस अभियान को जारी रखा जाएगा। हथकरघा विकास की एक व्यापक परियोजना को अगले वर्ष क्रियान्वित किया जाएगा। निर्यात-प्रधान उत्पादन के दो एककों की भी स्थापना की जाएगी।

सभी हाई स्कूलों और कालेजों को पुस्तक बैंक स्कीम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। मिडिल स्कूलों को 1976–77 में इस योजना में शामिल कर लिया जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें कंट्रोल की दरों पर उपलब्ध की जाने लगी हैं।

6. संघ राज्य क्षेत्र जिन अन्य स्कीमों को क्रियान्वित कर रहा है वे बड़ी तेजी से प्रगति कर रही हैं और कई नई स्कीमें भी शुरू की जा रही हैं। कृषि क्षेत्र में ऐसी नीति अपनाई जा रही है जिससे उत्तरोत्तर अधिक क्षेत्र में वाणिज्यिक फ़सलों की खेती की जा सके और उसका खाद्यान्न की पैदावार पर भी कोई बुरा असर न पड़े। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों के उत्पादन करने के कार्यक्रम और स्कीमों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरको से भिन्न खाद के संसाधनों के विकास, पौधों की हिफ़ाजत और लघु सिचाई के लिए पर्याप्त राशि का व्यवस्था की गई है। संघ राज्य क्षेत्र में अनाज का उत्पादन 1,20,000 मेट्रिक टन के लक्ष्य से 15,000 मेट्रिक टन बढ गया है। पशुपालन के क्षेत्र में एक गहन कुकुट पालन विकास परियोजना और संकर ओसर के पालन पोषण के लिए सीमांत किसानों को सहायता करने की स्कीम शामिल की गई है।

अर्ध-शहरी उद्योगों की स्थापना करने और नए उद्यमकर्ताओं के लिए पैकेज सहायता स्कीम लागू करने से औद्योगिक क्षेत्र में नई स्फूर्ति आ जाएगी। इन स्कीमों को यथासंभव संस्थागत वित्त प्राप्त कर क्रियान्वित किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई स्कीमें और अधिक क्षेत्रों में शुरू की गई हैं और इन स्कीमों और अधिक सुविधाओं को शामिल किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क अदालती सहायता देने की एक स्कीम पहले ही शुरू कर दी गई है।

7. आयोजना-भिन्न स्कीमों तथा संस्थागत वित्तीय सहायता से क्रियान्वित की गई स्कीमों के व्यय को यदि छोड़ दिया जाए, तो भी अकेले आयोजना परिव्यय ही प्रति व्यक्ति विकासात्मक व्यय 1975–76 में लगभग 111.00 रुपये बैठता है। वर्ष 1976–77 में यह व्यय लगभग 147.00 रुपए होगा। इस तरह 1976–77 के बजट में विकासात्मक कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए अधिक रकम रखी गई है।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1975–76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1975-76

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वर्ष 1975–76 की निम्नलिखित अनुपूरक मांगे प्रस्तुत करती हूं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय :		
2	कृषि . .	16,54,11,000	..
3	मीन उद्योग	35,43,000	1,16,00,000

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
4	पशुपालन और डेरी विकास	3,94,90,000	..
6	खाद्य विभाग .	72,72,80,000	139,61,81,000
7	वाणिज्य मंत्रालय . . .		
12	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,000	2,000
	संचार मंत्रालय :		
13	संचार मंत्रालय . .	25,25,000	
15	डाक तार-कार्यचालन व्यय .	46,30,35,000	..
17	डाक तार पर पूंजी परिव्यय .		20,00,00,000
	रक्षा मंत्रालय :		
18	रक्षा मंत्रालय . . .	6,51,000	7,70,000
19	रक्षा सेवाएं-सेना . . .	26 47,28,000	..
21	रक्षा सेवाएं—वायु सेना . .	23,32,91,000	..
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय :		
25	शिक्षा .	9,41,00,000	..
	ऊर्जा मंत्रालय :		
27	ऊर्जा मंत्रालय	5,93,000	..
28	विद्युत् विकास . . .	..	6,16,30,000
29	कोयला और लिग्नाइट . . .	77,11,000	31,18,91,000
	विदेश मंत्रालय :		
30	विदेश मंत्रालय . . .	4,95,25,000	..
	वित्त मंत्रालय :		
31	वित्त मंत्रालय . . .	90,69,000	..
33	संघ उत्पाद शुल्क . . .	7,87,97,000	..
34	आय पर कर, संपदा शुल्क, धन कर और दान कर	6,66,74,000	..
35	स्टाम्प	7,27,94,000	..
36	लेखा परीक्षा	1,98,06,000	..
37	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल .	8,80,68,000	3,32,17,000
38	पेंशनें	3,00,00,000	..

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
39	अफीम और एल्कालाइड फैक्टरियां . .	3,10,60,000	
40	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	34,20,57,000	..
41	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय .	52,14,44,000	293,75,58,000
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय		
43	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	3,62,000	..
44	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	15,10,24,000	7,33,69,000
45	परिवार नियोजन	15,13,27,000	
	गृह मंत्रालय :		
46	गृह मंत्रालय .	15,96,000	
47	मंत्रिमंडल .	23,36,000	
48	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग	96,47,000	..
49	पुलिस .	20,09,91,000	35,00,000
50	जनगणना . .	10,00,000	..
51	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय .	25,65,65,000	3,31,21,000
52	दिल्ली	12,25,70,000	6,80,63,000
53	चंडीगढ़ . . .	1,88,52,000	27,50,000
54	अंडमान और निकोवार द्वीप समूह .	3,31,34,000	37,20,000
56	दादरा और नागर हवेली	19,37,000	
57	लक्षद्वीप .	42,94,000	..
	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय :		
58	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय . .	38,13,000	..
59	उद्योग . . .	3,88,07,000	41,38,84,000
60	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग .	..	1,32,32,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	7,54,000	
64	प्रसारण	7,41,79,000	..
	श्रम मंत्रालय :		
66	श्रम और रोजगार मंत्रालय . .	2,21,10,000	..

1	2	3	
	पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय :	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
69	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय .	9,85,000	..
70	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग . .	2,46,89,000	11,50,01,000
71	रसायन और उर्वरक उद्योग	1,37,000	18,00,01,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय :		
75	नौवहन और परिवहन मंत्रालय .	15,60,000	..
76	सड़कें . . .	8,65,44,000	..
77	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन . .	3,01,89,000	20,07,11,000
	इस्पात और खान मंत्रालय :		
79	इस्पात विभाग . . .	29,69,000	79,04,00,000
81	खानें और खनिज . . .	5,12,74,000	25,48,00,000
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय :		
83	पूर्ति और निपटान .	40,00,000	..
84	पुनर्वास विभाग . .	2,30,52,000	88,34,000
	पर्यटन और नागर विमानम मंत्रालय :		
86	मौसम विज्ञान . . .	1,40,63,000	..
87	विमानन	4,04,37,000	..
88	पर्यटन	11,00,000	..
	निर्माण और आवास मंत्रालय :		
89	निर्माण और आवास मंत्रालय .	7,46,000	..
90	लोक निर्माण . . .	1,45,62,000	1,00,00,000
92	आवास और शहरी विकास . .	2,82,86,000	3,31,67,00(
93	लेखन सामग्री और मुद्रण .	4,43,02,000	
	परमाणु ऊर्जा विभाग :		
95	परमाणु ऊर्जा अनुसन्धान विकास और औद्योगिक परियोजनाएं . . .	1,38,00,000	..
96	न्युक्लीय विद्युत् स्कीमें . . .	5,97,00,000	1,26,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग :		
101	भारतीय सर्वेक्षण . . .	1,50,00,000	..

1	2	3	
	संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग :	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
105	राज्य सभा	7,80,000	..
107	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय . .	30,000	..

भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक

INDIAN LIGHTHOUSES (AMENDMENT) BILL

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, 1927 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, 1927 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

श्री इराज्मु द-सैकेरा (मारमागोआ) : विधेयक के उद्देश्य तथा कारण बताने वाले कथन तथा संविधान के अनुच्छेद 117(1) से स्पष्ट है कि यह वित्त विधेयक है अतः इसे राष्ट्रपति की सिफारिशों के साथ सभा में लाया जाना चाहिये था।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : इसमें केवल शुल्क लगाने का प्रस्ताव है और कर नहीं। अतः यह अनुच्छेद 110(1) के अंतर्गत नहीं आता। इस विधेयक द्वारा शुल्क की सीमा बढ़ाई जा रही है।

श्री इराज्मु-द-सैकेरा : संविधानिक उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि जिस भी मामले में नागरिकों को सरकार को धन देना पड़ता है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सभा में लाया जाये। मंत्री महोदय के इस वक्तव्य में स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि यह शुल्क पहले से लागू था, केवल इस की दर बढ़ाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद 117(2) में सेवा के लिये शुल्कों आदि को पृथक रखा गया है।

श्री इराज्मु-द-सैकेरा : : यह सेवा के लिये शुल्क नहीं है।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : : प्रकाश स्तम्भ नौवहन को सेवा प्रदान करते हैं। यह जहाजों पर शुल्क है न कि प्रकाश स्तम्भ के लिये टैक्स।

अध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर चर्चा शुरू की जाये :

श्री एच० एम० त्रिवेदी : भारत में प्रकाश स्तम्भों को चलाने और उन के अनुरक्षण की जिम्मेदारी नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में लाइट हाउस तथा लाइट शिप विभाग की है। नौवहन संचालन सेवा के विकास तथा सुधार पर होने वाला पूंजी व्यय सरकार से प्राप्त ऋणों से पूरा किया जाता है। प्रतिवर्ष होने वाले प्राप्त राजस्व में से व्यय करने के पश्चात् जो धन शेष बचता है उससे उन ऋणों का भुगतान किया जाता है और जितने ऋण की अदायगी नहीं की जा सकती उसे केन्द्रीय सहायता समझ लिया जाता है। चौथी योजना के अन्त तक ऐसी सरकारी सहायता 2.93 करोड़ रुपए दी गई।

पांचवीं योजना के दौरान 12 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। प्रकाश प्रभारों को वर्तमान दरों पर वसूल करने और सामान्य अनुरक्षण व्यय के आधार पर 50 लाख रुपए प्राप्त होंगे। इस प्रकार 11.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को करनी होगी। सेवाएं प्रदान करने में लागत बढ़ जाने के कारण यही उचित समझा गया है कि प्रकाश प्रभार की दरों में कुछ वृद्धि की जाये।

भारतीय प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, 1927 ने केन्द्रीय सरकार को भारत से किसी भी पत्तन से जाने वाले अथवा आने वाले जहाज पर प्रकाश प्रभार लगाने तथा वसूल करने की शक्ति प्रदान है। 1959 में संशोधित अधिनियम की धारा 10 (एक) के अनुसार ऐसे प्रभारों की अधिकतम दर 50 पैसे प्रति पंजीकृत टन है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अधिकतम दर को बढ़ा कर डढ़ रुपया प्रति टन करना है।

इस विधेयक का अन्य उद्देश्य इस अधिनियम के अन्तर्गत जहाजों को विभाग द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में शुल्क वसूल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम, 1878 का निरसन करना तथा मर्चेन्ट शिपिंग अधिनियम, 1958 को कानूनी रूप देना है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किये गये नियमों को सभा पटल पर रखा जायेगा।

Shri Mohammed Ismail (Barrackpore): The Light House Act was enacted in 1927. It was not felt necessary to amend it. In fact smuggling is taking place at a big scale. The smugglers get indications from light houses while the ship is 30 miles from the port. The smuggled goods are transferred to boats of smugglers and other ships. The Government should clearly state that this legislation is being brought to check smuggling. The Government is bringing piecemeal legislations whereas what is needed is a comprehensive legislation amalgamating the provisions of Sea Customs Act and Marine Shipping Act.

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch to meet again at fourteen of the clock.

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर तीन मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

भारतीय प्रकाश स्तम्भ संशोधन विधेयक—जारी

INDIAN LIGHTHOUSES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Shri Mohammed Ismail: Piecemeal legislation is not a solution to the problem of smuggling. The Government should bring a comprehensive bill whereby the amendments may be made in customs Act & Merchant Shipping Act. Only then the smuggling can be checked.

I had been a member of the National Shipping Board. It was the practice to make recruitment through Employment and Medical Departments. Somehow that process was changed and the companies started to recruit persons from their own lists and also to promote persons to higher posts from their own lists. Consequently such elements were also enrolled who helped the activities of the smugglers. The hon. Minister may please give special attention towards this.

Merchants Shipping Act does not provide that the employers or Shipowners would keep a register for them. They take their own men even in excess of the required number. The employers and shipowners keep the smugglers in their activities. The hon. Minister may look into it.

A committee in respect of Merchants Shipping Act was constituted to consider its amendment. The committee that was formed in 1967 has given its recommendation now. It is not known that how much time the Ministry would take in this regard. The Government want other people to be active but the Ministries remain inactive.

In case the wages and the service conditions of the light house employees are not improved these persons would be used for smuggling purposes.

Shri Hari Singh (Khurja): Indian Light House (Amendment) Bill is most important piece of legislation.

It is proposed to raise the charges from 50 paise per ton to one rupee and fifty paise per ton. Taking into view the increase in prices this increase is nominal and Merchants Ships would bear it. For the provision of modern equipments there is much need for revenue. This is, therefore, an appropriate legislation.

We have about 300 light houses in our ocean which has a very wide area and there is need to improve it and increase the number of lighthouses.

An hon Member has alleged that light houses do not help in checking smuggling. But the actual position is on the contrary.

With these words I support this Bill.

श्री एच० एम० त्रिवेदी : यह एक छोटा-सा विधेयक है और इसका उद्देश्य प्रकाश शुल्क की अधिकतम सीमा बढ़ाना है। वस्तुत: इसका इण्डियन मर्चेंट शिपिंग एक्ट तथा सीमा शुल्क अधिनियम के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यहां केवल इन दोनों अधिनियमों के संशोधन का संकेत दिया है।

एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि व्यय की पूर्ति के लिये वर्तमान राजस्व पर्याप्त नहीं है। वर्ष 1976–77 में प्रकाश स्तम्भों पर होने वाला अनुमानित आय लगभग 1.53 करोड़ रुपये होगी जबकि व्यय 2.10 करोड़ रुपये होगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा में विचारार्थ रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

स्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डवार चर्चा की जायेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

Tae motion was adopted

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खण्ड 5

श्री इराज्मु-द-सैकेरा (मारमागोआ): मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं । मेरा प्रस्ताव है कि प्रस्तावित शुल्क को 1.50 रुपए के स्थान पर 5 रुपए रखा जाये । सरकार को बहुत से नये प्रकाश स्तम्भ स्थापित करने हैं और वर्तमान प्रकाश स्तम्भों का सुधार भी करना है । मेरा सुझाव है कि ऊंची सीमा निर्धारित करके उसमें से जितना धन आवश्यक हो लगा सकते हैं ।

मुझे खेद है कि सरकार ने यात्री जहाजों को प्रकाश स्तम्भ के शुल्कों से मुक्त नहीं रखा है ।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मुझे खेद है कि मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । अमरीका, कनेडा आदि कई देश ऐसे हैं जिनमें प्रकाश स्तम्भ शुल्क नहीं लगाया जाता । भारत, ब्रिटेन तथा स्वीडन आदि कुछ ही देश हैं जिन्होंने ऐसा शुल्क लगाया है । इस शुल्क के स्तर को ध्यान से लगाना होगा ।

मूल अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन सरकार को एक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति नियुक्त करनी होती है । अधिनियम में यह भी उपबन्ध है कि दरों में परिवर्तन के लिये समिति से परामर्श किया जाये । सरकार ने समिति गठित की थी तथा उसकी सिफारिशों के अनुरूप ही यह विधेयक लाया गया है ।

मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि देश म प्रकाश स्तम्भों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है । परन्तु एक बार जो प्रकाश स्तम्भ बन जाते हैं दीर्घ समय तक चलते हैं ।

मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 2 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 से 9 और खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adoped.

खण्ड 5 से 9 और खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 5 to 9 and Clause 1 were added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

Enacting Formula

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

"Twenty-sixth" (26 वां) के स्थान पर

"Twenty-seventh" "(27 वां) प्रतिस्थापित किया जाये ।

(1)

(श्री एच० एम० त्रिवेदी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Farmula, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Title was added to the Bill.

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

भाण्डागारण निगम (संशोधन) विधेयक

WARE HOUSING CORPORATION (AMENDMENT) BILL

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

भण्डागारण अधिनियम की धारा 4(1) में उपबन्ध है कि केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 20 करोड़ रुपए होगी। सम्पूर्ण प्राधिकृत पूंजी अधिसूचित है, जारी कर दी गई तथा पूर्णतः अभिदत्त है। क्योंकि निगम को पांचवीं योजना के दौरान अतिरिक्त भाण्डागारण क्षमता बनानी थी और सरकार तथा अन्य एजेंसियां केन्द्रीय भाण्डागारण निगम की साम्य पूंजी में भाग नहीं ले सकी। सरकार आवश्यकतानुसार शेयर पूंजी बढ़ा सके इसलिये यह अधिकार लिये जा रहे हैं। राज्य भाण्डागारण निगमों को अपनी शेयर पूंजी बढ़ाने के लिये सक्षम बनाने हेतु अधिनियम की धारा 19(1) में उपबन्ध करने के लिये यह संशोधन किया जा रहा है ताकि किसी राज्य भाण्डागारण नियम के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार उस राज्य सरकार से सलाह करके अपने निर्णय के अनुसार पूंजी की अधिकतम सीमा बढ़ा सके।

अधिनियम की धारा 6 में इस समय दो निधियों की व्यवस्था है; एक केन्द्रीय भाण्डागारण निधि तथा दूसरी सामान्य निधि। कर्मचारियों के प्रशिक्षण अथवा प्रचार तथा भाण्डागारण के संवर्द्धन एवं कृषि उत्पादों और अधिसूचित वस्तुओं के भाण्डागारण के उद्देश्य के लिये प्रचार पर होने वाले व्यय और भाण्डागारण निधि के प्रशासन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है। इसलिए अधिनियम की धारा 16(2) का संशोधन किया जा रहा है ताकि इन मदों पर होने वाला व्यय केन्द्रीय भाण्डागारण निधि के नाम डाल दिया जाये।

धारा 27(2) में यह उपबन्ध है कि भाण्डागारण निगम केवल रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक से ही ऋण ले सकता है। भाण्डागारण कार्यक्रम के वित्त पोषण हेतु बजट प्रावधानों की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए तथा गैर बजट संसाधनों से वित्तीय सहायता लेने हेतु निगम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस धारा का संशोधन किया जा रहा है ताकि निगम राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सके।

एक नयी धारा 31क जोड़ी जा रही है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि निगम सरकार को विवरणिकाएं, आंकड़े, लेखे तथा सम्पत्ति या गतिविधियों के बारे में अपेक्षित सूचना देगा।

धारा 41(3) में उपबन्ध है कि सरकार द्वारा तैयार नियमों को संसद् के सत्र में 30 दिन के भीतर सभा पटल पर रखा जायेगा।

मुझे उम्मीद है कि सभी वर्ग इस विधेयक का स्वागत करेंगे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन साथ ही मैं इस विधेयक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

भाण्डागारण निगम ने गत दस वर्षों में यह दावा किया है कि वह कृषि उत्पादों के भंडारण के लिये गैर सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों को सुविधा देती है। लेकिन निगम यह सुविधा प्रदान करने के लिये निगम निजी व्यक्तियों से किराये पर गोदाम लेती है। भंडारण सुविधा की मांग को देखते हुये निगम की भंडारण क्षमता अपर्याप्त है।

पांचवीं योजना में 65 करोड़ रुपये के प्रावधान के बावजूद निगम की प्रगति असन्तोषजनक रही। कई स्थानों पर भंडारण गोदाम खेतों से कहीं दूर है। कई बार ऐसा होता है कि सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाता और ऐसा भी समय आता है कि जब सुविधायें उपलब्ध नहीं होती। क्या भंडारण गोदामों की आवश्यकता का पूरा सर्वेक्षण किया गया था ?

[श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर]

हालांकि भांडागारण निगम वस्तुओं की सुरक्षा की गारन्टी देती है फिर भी कोई बात चोरी चकारी की घटनायें हुई हैं। अपराधियों को कोई सजा नहीं दी गई। ऐसी घटनाओं की रोकथाम की जानी चाहिये ताकि लोगों के पैसे बरबाद न हों। जहां जहां किराये के गोदाम हैं, वहां यह जांच की जानी चाहिये कि क्या निगम के अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों से पक्षपात करके गोदामों को किराये पर लिया है

सरकार ने भंडारण सुविधाओं के मामले में गाडगिल आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग की सिफारिशों में कहा गया है कि इस निगम को एक ऐसी भंडारण ऐजेन्सी के रूप में काम करना चाहिये जिसमें किसान अपने उत्पादों को रख सकें। फिर भी, वस्तुतः ये सुविधायें निर्धन किसानों की बजाय अमीर किसानों को उपलब्ध है। गोदामों में चोरियां होती रहती हैं पर कहा जाता है कि चूहों, कीड़े मकोड़ों आदि ने खाद्यान्न खराब कर दिया है। निगम चोरी की घटनाओं को रोकने में सफल नहीं हुआ है। निगम के कार्यकरण पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये।

केन्द्रीय भांडागारण निगम के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के नवें प्रतिवेदन में कहा गया है कि राज्य भांडागारण निगम अकुशल है तथा घाटे में चल रहे हैं और इनका कार्य सन्तोषजनक नहीं है।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि वर्तमान भंडारण सुविधाओं के विस्तार से पूर्व निगम के दुरुपयोग को रोकने के लिए कार्यवाही करना जरूरी है। निगमों को किसानों के लाभ के लिए बनाया जाए और उन्हें भंडारण सुविधाएं प्रदान की जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़े बड़े किसान लाभ कमाते रहेंगे। छोटे किसानों को ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि उत्पाद बेचने में उन्हें कठिनाई न हो। जब तक कदाचार दूर न किए जाएं तब तक कोई भी विस्तार कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता।

Shri M. C. Daga (Pali): The total investment on Central Warehousing Corporation amounts to Rs. 34·16 crores but the return on it is not even one percent.

Have the Government ever tried to find out on what items this expenditure is being incurred. In the year 1974, 2,76,758 rupees were spent on telephones whereas this year 3,57,331 rupees were spent. Expenses on Staff Car have also gone up. Apart from the miscellaneous expenditure 19 lakh rupees are being spent on administration. The items which Government do not want to disclose, they put it under the micscellaneous head. There is also no coordination in the different agencies which satisfy the storage needs. It would have been better if marginal farmers and agriculturists are made directors under this warehousing Corporation Act. They must have at least on a representative on the Board proposed to be set up under this legislation

Government have itself stated that sufficient amount should be spent on advertisement but the annual reports of the Corporation show that the expenditure on Staff Cars is much more than on publicity. These reports suppress the real facts and it has not been stated as to wha is the amount of claims against the Corporation.

In this Bill, there is a provision to recruit persons of over-age in this Corporation. It is not known why young people are not recruited. Government should not keep the minimum age at the present level by depriving the young persons with initiative and drive to enter the services of the Corporation. The entire law in respect of Ware-Housing Corporation should be changed, the expenditure on the Corporation should be reduced and the farmers should be given adequate representation in it.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर): इस विधेयक का स्वागत है। जब यह अधिनियम पास किया गया था उस समय यह पता नहीं था कि खाद्यान्न इत्यादि की वसूली की जानी है। वर्ष 1971–72 के दौरान में जब खाद्यान्न व्यापार को सरकार ने अपने हाथों में लिया तब भाण्डागारों का अभाव था। बड़े

बड़े मिल मालिक, चोर बाजारी करने वाले तथा थोक व्यापारी मनमाने किराये लेकर निगम को गोदाम देते रहे। इसमें सरकार की ग़लती थी कि उसने योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया। यदि सरकार की योजना इसी प्रकार रही तो हमें करोड़ों रुपये का घाटा होता रहेगा और यह पैसा तस्करों और चोर बाजारी करने वालों की जेबों में चला जाएगा।

विधेयक में भंडारण क्षमता को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

गोदामों में चोरी की गई कई घटनाओं का पता लगा है। जब भी कभी निरीक्षण किया जाता है तब गोदाम खाली मिलते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि समुचित सुरक्षा प्रबन्ध किए जाने चाहिएं।

चाहे सरकार कोई भी अच्छी नीति क्यों न अपना ले, भारतीय खाद्य निगम सरकारी योजनाओं को असफल बनाता है। कई बार इसने थोक व्यापार को असफल बनाने का प्रयत्न किया है। आपात स्थिति के दौरान इस बात की आवश्यकता है कि भारतीय खाद्य निगम के कार्यक्रम में सुधार किया जाए और मजदूरों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए।

भाण्डागारों में स्टाकों का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किए गए है। नियम में यह व्यवस्था की गई है कि निरीक्षक वर्ष में एक बार गोदामों का निरीक्षण करेगा। यह पर्याप्त नहीं हैं। अचानक छापे मार कर निरीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसी कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए कि साल में एक ही बार निरीक्षण हो। जब भी किसी गड़बड़ी की सूचना मिले, तुरन्त निरीक्षण किया जाना चाहिए। जो बड़े बड़े अधिकारी और नौकरशाह सरकारी कार्यक्रमों को असफल बनाना चाहते हैं, उन्हें नौकरी से हटा दिया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा क्षमता की समस्या का हल नहीं हो सकता।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh): I support the Bill but I want to give certain suggestions. May I know whether Government have made any survey regarding the need of warehouses in the Country ? There can be no two opinions on the fact that there should be adequate storage capacity specially in those regions where Government is procuring foodgrains on a very large scale. To day, even the private accommodation is being hired to store the foodgrains procured by the Government. Officials are in hand and gloves with the private traders. These traders use to rent out their own godowns by charging a high rent.

It is difficult to understand why foodgrains stored in Government godowns gets rotten in spite of such a large army of officials to look after the whole affair. I think that officials are not working with honesty and integrity. Officials should make checking periodically of godowns.

It is astonishing that while unemployment is on the increase this Corporation is ready even to recruit old people. A provision should be made to prescribe the minimum age for recruitment of young persons.

More godowns should be set up in rural areas. Farmers should be advanced loans to construct small godowns near to their fields. Apex Federation should give loans to Cooperatives for constructing godowns.

The officials of Warehousing Corporation should undertake more inspections and stringent actions should be taken against those persons who indulge in corrupt practices.

श्री इराज्मु-द-सेक्वेरा (मारमागोआ) : जब भांडागारण निगम बनाया गया था तब सरकार ने यह घोषणा की थी कि यह निगम न केवल सरकारी खाद्यान्नों के भंडारण के लिए सुविधा देगा बल्कि किसानों को उनके खेतों के निकट गोदामों की सुविधा देगा और उन्हें खाद्यान्नों पर ऋण भी देगा। लेकिन निगम के आंकड़ों से पता चलता है कि यह उद्देश्य बिल्कुल भुला दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है।

[श्री इराज्मु-द-सैकेरा]

निगम के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि भंडारण तथा देश में खाद्यान्न की कुल आवश्यकता के बीच अन्तर के बावजूद भी निगम काफी लाभ कमाता रहा है ।

योजना आयोग द्वारा पर्याप्त राशि के आवंटन न करने के कारण, भांडागारण निगम गैर सरकारी व्यक्तियों से दीर्घावधि करार करने का विचार कर रहा है जिसके अनुसार ये व्यक्ति निश्चित स्थानों पर निर्धारित नमूनों के मुताबिक भांडागारण गोदाम बना कर निगम को पट्टे पर देंगे । यदि निगम अधिक भंडारण निगम बनाने में असमर्थ था, तो सरकार ने उसे अधिक माल गोदाम में रखने के लिए क्यों कहा ? सरकार ने ऐसी प्रणाली क्यों नहीं अपनाई जिसके अनुसार सरकार गैर सरकारी लोगों को निर्धारित नमूनों के अनुरूप गोदाम बनाने के लिए कहे ? यह सर्वविदित है कि आज गैर सरकारी क्षेत्र सरकार की तुलना में कम लागत पर भाण्डागारण सुविधाएं दे सकती हैं । हमें अधिक से अधिक गोदामों की आवश्यकता है और सरकार को इस कार्य में पूरी असफलता हुई है । जब तक सरकार खेतों के निकट भाण्डागार नहीं बनाती, हमारे कृषि उत्पादों के मूल्यों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और जब तक सरकार कम समय में पर्याप्त भंडार नहीं कर लेती, तो मौनसून बदलने पर हमारी योजना में विघ्न पड़ना निश्चित है । समय आ गया है कि हम भंडारण समस्या की ओर ध्यान दें क्योंकि पर्याप्त भंडारण क्षमता और पर्याप्त भंडार होने से ही देश उन्नति कर सकता है ।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur): The amending Bill is quite appropriate and necessary. It is true that there is an acute need for expanding storage capacity, but of the on the hand these is no coordination between the warehousing Corporations and marketing agencies that work for proper storage of foodgrains.

The warehousing Corporation has failed to achieve the objective of making direct procurement from the farmers and streamlining the procedure for marketing of their produce. The warehousing Corporation only collects the entire goods of private trades and then hires, godowns to store them. Their economy is also not sound. A Committee, therefore, should be set up to look into whole affairs and to give definite guidelines to warehousing Corporation and Marketing Co-operatives with a view to bring coordination in the field of storage of foodgrains.

There is a good scope of making buffer stock in this year. But it is also true that Food Corporation of India is going to face the difficulty in regard to storage capacity. There is a great need of expanding storage capacity of the warehouses but no purpose would be served if the Corporation fails to achieve its basic objective. It is, therefore, suggested that a Committee of officials as well as non-officials should seriously examine the problem of storage of foodgrains, the working method of corporation and there bad economics.

श्री अण्ण साहिब पी० शिन्दे : विधेयक का सदस्यों द्वारा समर्थन करने पर मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

मैं श्री मिर्धा की इस बात से सहमत हूं कि विभिन्न भंडारण एजिन्सयों के बीच समन्वय की काफी आवश्यकता है । परन्तु यह कहना भी सही नहीं है कि इनके बीच समन्वय नहीं है । एजेंसियों के बीच समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय भंडारण समिति है जिसमें खाद्य मन्त्रालय, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, रेलवे, योजना आयोग तथा एन० सी० डी० सी० के प्रतिनिधि शामिल हैं । ग्रामीण सहकारी समितियां न केवल कृषि उत्पादों का भंडार करती हैं बल्कि कृषि सहायक सामग्री का भी भंडार करती हैं । कुछ समितियां उचित मूल्य पर वस्तुएं बेचने का भी काम करती हैं । मैं राज्य भांडागारण निगम तथा केन्द्रीय भांडागारण निगम के बीच अन्तर को स्पष्ट करना चाहता हूं ।

जहां तक केन्द्रीय भाण्डागारण निगम का सम्बन्ध है, यह क्षेत्रों को ध्यान में रख कर अपने भाण्डागारों की स्थापना करता है ताकि यदि अनाज या किसी अन्य वस्तु को लाना ले जाना हो तो ये स्थान अखिल

भारतीय महत्व के हों। जहां तक राज्य भाण्डागारण निगमों का सम्बन्ध है, वे राज्य की स्थिति, व्यावहारिकता, उपलब्ध परिवहन साधनों और संचार साधनों को ध्यान में रख कर भाण्डागार स्थापित करते हैं। वे मुख्यत: अपने भाण्डागार अपने राज्यों में जिला या डिवीजनल मुख्यालयों में स्थापित करते हैं। अत: जबकि केन्द्रीय भाण्डागारण निगम अखिल भारतीय महत्व के केन्द्रों पर भंडारण की सुविधाएं प्रदान करता है वहां राज्य निगम राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों पर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जहां तक खाद्य निगम का सम्बन्ध है, इसका कार्य राज्य निगम और केन्द्रीय निगम की तुलना में भिन्न है यद्यपि इसके कुछ कार्य परस्पर व्यापी हैं। खाद्य निगम मूलत: एक वसूली अधिकरण है और यह अभिकरण खाद्यान्नों के आयात तथा खाद्यान्नों की आन्तरिक वसूली करने के बाद राज्य सरकारों को इसका वितरण करता है तथा अधिक खाद्यान्नों वाले राज्यों से अनाज कमी वाले राज्यों में ले जाता है। खाद्य निगम को यह भी देखना होता है कि मार्किट में फसल आने पर वसूली कार्य आरम्भ करके उसे कमी वाले राज्यों में भेजे। उसका काम यह भी देखना है कि कमी वाले राज्य कौन कौन से हैं। खाद्य निगम के भाण्डागार वसूली अथवा वितरण और कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से बनाये जाते हैं। केन्द्रीय भाण्डागारण निगम का कार्य कुछ अलग है क्योंकि इसका काम केवल अनाज के भंडारण की सुविधाएं ही प्रदान करना नहीं है। इसका काम कृषि उत्पादों, बीज, खाद, कृषि उपकरणों और अधिसूचित वस्तुओं के भण्डारण के लिए भाण्डागार चलाना है। अत: ये सभी संगठन देश की स्थिति के अनुकूल हैं परन्तु इनमें प्रभावी समन्वय होना चाहिये। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अनावश्यक खर्चा न हो।

कहा गया है कि भण्डारण की समुचित सुविधा न होने के कारण भारत सरकार खाद्यान्नों की वसूली नहीं कर रही है। यह सही है कि आज भण्डारण की सुविधा पर्याप्त नहीं है। वस्तुत: हमें बहुत अधिक भाण्डागारों की आवश्यकता है क्योंकि हमें इस बार उत्पादन अधिक होने की आशा है। इस वर्ष हमने पहले की अपेक्षा अधिक खाद्यान्न की वसूली की है।

यदि उत्पाद की किस्म बढ़िया है तो हम उसका मूल्य वसूली मूल्य से नीचे नहीं जाने देंगे। परन्तु हम सड़ा हुआ गेहूं उसी मूल्य पर कैसे खरीद सकते हैं। इसे 95 रुपये या 100 रु० प्रतिक्विंटल पर ही खरीदा जा सकता है। फिर भी हमारी नीति किसानों को सहायता और उनको प्रोत्साहन देने की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके उत्पादों को वसूली मूल्य पर वसूल किया जा सके। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि खाद्यान्नों के मूल्य वसूली मूल्य से कम न होने पायें।

कहा गया है कि सरकार पर्याप्त खरीद नहीं कर रही। वस्तुत: इस वर्ष से पहले सरकार ने कभी इतना अधिक क्रय नहीं किया है। हमारी वर्तमान भण्डारण क्षमता लगभग 90 लाख मीटरी टन है। केन्द्रीय और राज्य भाण्डागारण निगम दोनों ही परस्पर सहायता करने और अपने कार्यकलापों में तालमेल बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं।

यह प्रश्न किया गया है कि केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के निवेश पर लाभ पर्याप्त नहीं है। यह सच है कि लगी राशि पर अधिक लाभ कमाया जा सकता है। परन्तु तथ्य यह है कि हमारे संगठन लाभ कमाने वाले नहीं हैं। यदि हम भण्डारण प्रचार को बढ़ाने का निश्चय करते हैं तो गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी संगठन भी प्रभार बढ़ा देंगे। यह आम शिकायत है कि उत्पादक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में भारी अन्तर है और इसे कम किया जाना चाहिये। अत: मार्किट मूल्य और भण्डारण लागत में कमी की जानी चाहिये। अत: एक उत्तरदायी एजेंसी के नाते केन्द्रीय भाण्डागारण निगम, भण्डारण और प्रोत्साहन

[श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे]

सम्बन्धी पहलू को नजरअन्दाज करके देश को हानि पहुंचा कर अधिक लाभ कमाने में विश्वास नहीं रखता ।

दूसरे शेयर पूंजी 20 करोड़ रुपये की है । हमने केन्द्रीय सरकार से 12 करोड़ रुपये का ऋण लिया है । 8 करोड़ रुपये राज्य भाण्डागारण निगम को दिये गये हैं । दुर्भाग्यवश वहां से हमें पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा । इस मामले पर सावधानी से विचार किया जायेगा । इस निवेश पर केन्द्रीय भाण्डागारण निगम ने भारत सरकार को लगभग 11 करोड़ रुपये करों तथा लाभांश के रूप में दिये हैं । यह कोई कम उपलब्धि नहीं है । जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, कहा गया है कि क्या प्रशासनिक व्यय न्यायोचित है । फोटाग्राफ और प्रतिवेदनों पर होने वाले व्यय के बारे में कहा गया है । मेरे विचार में केवल वही व्यय किया जाता है जो आवश्यक होता है ।

सरकारी क्षेत्र के संगठनों में अधिक कार्यकुशलता लाने की आवश्यकता है । जो कोई भी सरकारी हित को नुकसान पहुंचाने अथवा कदाचार बरतने का प्रयत्न करे, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिये । इस समय 45 कर्मचारियों के विरुद्ध जांच चल रही है । यह सही नहीं है कि निगम कुछ नहीं कर रहा है ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि बोर्ड में छोटे किसानों के प्रतिनिधि क्यों नहीं लिये जाते ? हम इसकी जांच करेंगे कि क्या यह सम्भव है । यह एक केन्द्रीय संगठन है जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियां के प्रतिनिधि होते हैं । सहकारी समितियां या सहकारी विपणन भाण्डारण समितियों में छोटे किसानों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है । केन्द्रीय भाण्डागारण निगम को केन्द्रीय सरकार और इन एजेंसियों और केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय रखना होता है ।

जहां तक उठाईगिरी का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऐसे मामलों में कड़ाई से पेश आना होगा । जहां तक हानि का प्रश्न है, देश में बाहर एक गलत धारणा बन गयी है कि भारत में आधुनिक भण्डार सुविधायें नहीं हैं । गत दशक में भण्डारण सुविधाओं में काफी सुधार हुआ है । खाद्य निगम और केन्द्रीय भाण्डागारण निगम ने भण्डारण सुविधाओं में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । हमने सील रोधक तथा कीट रोधक आधुनिक भाण्डागार बनाये हैं । अतः भण्डारण से होने वाली हानि एक प्रतिशत से भी कम है । यह स्थिति विश्व के अधिकांश विकसित देशों में विद्यमान स्थिति के अनुसार है ।

यह आरोप लगाया गया है कि किराये पर स्थान लेते समय निजी या गैर-सरकारी पार्टियों के साथ पक्षपात किया गया है । आम तौर पर इस सम्बन्ध में चालू प्रक्रिया अपनाई जाती है । वस्तुतः किसी गैर-सरकारी पार्टी से भण्डारण की सुविधा प्राप्त करना बहुत कठिन है । इसलिये ऐसी किसी गैर-सरकारी पार्टी के साथ पक्षपात दिखाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

सरकार भण्डारण सुविधाओं का विस्तार करना चाहती है और इसीलिये हम शेयर पूंजी बढ़ाना चाहते हैं । इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य सरकार को यह शक्ति प्रदान करना है कि वह आवश्यकतानुसार निगम की शेयरपूंजी बढ़ा सके । सरकार को शेयरपूंजी बढ़ाने के लिये सदन के समक्ष बार बार नहीं आना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 10, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 10, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 10, Clause 1, Enacting Formula and Title were added to the Bill.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये" ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

HIGH COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करेंगे ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह महसूस किया जा रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार करने की आवश्यकता है । वर्तमान विधेयक को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार करने सम्बन्धी निर्णयों को लागू करने की दृष्टि से पेश किया गया है ।

[श्री एच० आर० गोखले]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का संशोधन करने वाले वर्तमान विधेयक में न्यायाधीशों के लिये परिवार पेंशन योजना जैसी कि केन्द्रीय सरकारी अधिकारियो के लिये स्वीकृत है, की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये स्वीकृत सेवा निवृत्ति पर उपदान की सुविधा भी न्यायाधीशों को देने का उपबन्ध किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये किराया मुक्त आवास का उपबन्ध किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिये 300 रुपये मासिक वाहन भत्ते और 300 रुपये मासिक व्ययिक भत्ते की व्यवस्था का भी उपबन्ध है।

इसके अतिरिक्त, न्यायाधीशों की पेंशन में लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम वार्षिक पेंशन 22,400 रुपये से बढ़ा कर 28,000 रुपये करने का विचार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन 16000 से बढ़ा कर 22,400 रुपये कर दी जायेगी। न्यूनतम पेंशन भी 6,000 रुपये से बढ़ा कर 8,000 करने का विचार है।

सेवा निवृत्त हुये न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा सुविधायें दिये जाने का प्रस्ताव है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह विचित्र बात है कि इस समय जब श्रमिक वर्ग की वास्तविक मजूरी और बोनस आदि समाप्त किये गये हैं हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार करने जा रहे हैं।

इस देश के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका को देश के संवैधानिक ढांचे में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। हम समझते हैं कि यह विधेयक वर्षों पहले लाया जाना चाहिये था?

इस देश के न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक सी चली आ रही हैं। सेवा की शर्तें इतनी अच्छी नहीं हैं कि हम न्यायपीठ के लिये मेहनती और कुशल व्यक्तियों को आकर्षित कर सकें। अतः हमारे न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में संशोधन करने की मांग उचित ही है।

आय कर निकाल कर शुद्ध वृद्धि 150 रुपये अथवा 200 रुपये बैठती है जोकि अपर्याप्त है। सेवा निवृत्ति के पश्चात् लाभों तथा सुविधाओं में वृद्धि की गई है। परन्तु यह अपर्याप्त है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जीवन-व्यय में वृद्धि एवं आय कर को ध्यान में रख कर वास्तविक लाभ बतायें। हमें आशा है कि न्यायाधीश अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार होना चाहिये ताकि श्रेष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति इस ओर आकर्षित हों। ऐसे गौण लाभ नहीं दिये जाने चाहियें जैसे कि इस विधेयक में दिये जा रहे हैं।

हमें प्रसन्नता है कि भारतीय न्यायाधीशों ने इस देश के लोगों के मानवीय अधिकारों और मानवीय गरिमा को बनाये रखने का प्रयास किया है। पिछले कुछ समय से कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्य की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है और इसे सत्ताधारी दल ने अपनी विफलताओं का शिकार बनाया है।

न्यायाधीशों की वरीयता का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। न्यायाधीशों को कार्यावधि की सुरक्षा पर भी अनेक प्रकार का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति अग्रवाल की वरीयता केवल इसलिये समाप्त कर दी गई है क्योंकि उन्होंने एक प्रसिद्ध पत्रकार की नजरबन्दी रद्द कर दी थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वरीयता की अवहेलना करते हुये उनसे कनिष्ठ न्यायाधीशों की पदोन्नति की गई है। इसका न केवल न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर असर पड़ेगा बल्कि आत्म सम्मान वाले व्यक्तियों को न्यायाधीश का पद ग्रहण करने से भी रोकेगा। इस प्रकार के व्यवहार से जनता का विश्वास न्यायपालिका की स्वतन्त्रता मे उठ जायेगा। खेद की बात है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारी को राज्यपाल द्वारा कार्यमुक्त किया गया जब कि इस बारे में राज्यपाल का क्षेत्राधिकार कोई नहीं है। उच्च न्यायाधीश ने इस मामले पर विरोध करने में भी असमर्थता व्यक्त की है।

न्यायाधीशों को मामलों का निपटारा देश के कानूनों के अनुसार करने देना चाहिये। न्यायाधीशों में निर्भीकता होनी चाहिये। ताकि वह अपना कर्तव्य निष्पक्षता पूर्वक निभा सकें। सरकार जानबूझकर न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप कर रही है तथा न्यायाधीशों को धमकी दे रही है कि सरकार कोई ऐसा निर्णय सहन नहीं करेगी जो उसके मत के अनुसार न हो।

सरकार को कार्यपालिका का कर्तव्य निभाना चाहिये तथा न्यायपालिका को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने देना चाहिये। न्यायाधीशों को प्रलोभन नहीं दिये जाने चाहियें। 1967 से 1970 तक केन्द्रीय सरकार ने 36 सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को नौकरी दी। सेवा निवृत्ति के बाद अपर्याप्त लाभों के कारण यदि न्यायाधीश लालच में आकर नौकरी कर लेते हैं, तो उन्हें दोषी नही ठहराया जा सकता। यदि सरकार आयोगों की अध्यक्षता के लिये 36 अधिकारी चाहती है तो वह वर्तमान न्यायाधीशों को इस कार्य के लिये नियुक्त कर सकती है। यह कार्य सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नहीं सौंपना चाहिये।

मैं न्यायाधीशों को अपील करता हूं कि वे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता की रक्षा करें तथा संविधान और जनता के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री एच० एम० मुखर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि न्यायपालिका के कार्यों में राज्यपाल कैसे हस्तक्षेप कर सकता है जब कि मामला उसके क्षेत्राधिकार का नहीं है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार का है। दिल्ली के समान कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया है।

मैं श्री चटर्जी के मत का समर्थन करता हूं कि न्यायाधीशों को अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता रहनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस बारे में न्यायाधीश कार्यपालिका से अधिक दोषी हैं। एक

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर कुछ गतिविधियों से सम्बद्ध होने का आरोप खुले तौर पर समाचारपत्रों में लगाया गया था। मामला विधि मंत्री तथा प्रधान मंत्री के पास ले जाने के बावजूद भी कुछ नहीं किया जा सका।

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए]

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the Chair*]

मुझे विश्वास है कि यदि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता तो कुछ व्यवहारिक उपबन्ध जोड़ दिये जाते। सेवा निवृत्ति के बाद के प्रलोभनों से न्यायाधीशों को स्वतः बचना चाहिये।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार करना है। इन न्यायाधीशों को प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधायें तो दी ही जानी चाहियें। इन लाभों का अक्तूबर, 1974 से दिये जाने का औचित्य क्या है? मुझे समझ में नहीं आता कि न्यायाधीशों को किराया मुक्त आवास देने की क्या आवश्यकता है। जो न्यायाधीश किराया मुक्त आवास नहीं लेते उन्हें साढ़े बारह प्रतिशत भत्ता दिये जाने का क्या कारण है? सम्भव है उसके पास अपना मकान हो। यदि न्यायाधीश न्यायप्रिय है तो उसे धन का लोभ नहीं होगा। परन्तु कुछ बातों के बारे में हमें विश्वस्त होना है। विधि मंत्री स्वयं न्यायाधीशों रहे हैं तथा उनका मत है कि सफल अधिवक्ता को न्यायाधीश बनने पर काफी आर्थिक हानि होती है। कई वकीलों को 50,000 रुपये मासिक आय होती है। आंकड़ों से सिद्ध होता है कि कोई भी वकील इतनी आय पर आयकर नहीं देता। क्या अध्यक्ष का पद, मंत्री का पद, विधि मंत्री का पद महत्वपूर्ण नहीं है? इन पदों पर आसीन व्यक्ति इतने कम वेतन पर निर्वाह करते हैं। मंत्री को, प्रधान मंत्री को क्या मिलता है? जीवन में धन ही सब कुछ नहीं है।

मंत्रियों, न्यायाधीशों को धन के बारे में नहीं सोचना चाहिये। उन्हें इतना तो मिलना ही चाहिये कि वे आर्थिक दृष्टि से निश्चिन्त रह सकें।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 300 रुपये भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव है। आयकर काट कर जो धन उन्हें मिलेगा वह अपर्याप्त है। न्यायाधीशों की पेंशन में 40 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है। पेंशन दिया जाना तो ठीक है परन्तु इतनी अधिक पेंशन क्यों दी जाये। भारत के राष्ट्रपति को सेवा निवृत्ति के पश्चात् 1,000 रुपये मासिक मिलता है। न्यायाधीशों ने अधिवक्ता के रूप में काफी धन कमाया होता है। उन्हें इतने अधिक धन की आवश्यकता नहीं है।

यदि हम न्यायाधीशों से यह आशा करते हैं कि वे देश के प्रति निष्ठावान रहें तो इसके साथ ही उन्हें यह भी वचन देना चाहिए कि वे राजकोष में से अधिक व्यय नहीं करेंगे। सरकार कमियों को दूर करे और न्यायाधीशों को इतना दे कि उन्हें चिन्ता न करनी पड़े। उन्हें देश का आत्मनिर्भर नागरिक बनने में उनकी सहायता करे ताकि उनपर सभी भरोसा रख सकें। क्या हम उन्हें थोड़ा अधिक वेतन देकर ऐसा कर सकते हैं? सारा दृष्टिकोण ही गलत है और हमारे आज के आदर्श के अनुरूप नहीं है।

यह एक अच्छा सुझाव है कि संसद् में आने वाले प्रत्येक विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाये ताकि हम उस पर समुचित चर्चा कर सकें। हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि न्यायाधीशों को कुछ अधिक वेतन मिले परन्तु कुछ सिद्धान्त निहित हैं जिनपर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

Shri M. C. Daga The present Bill aims at improving the conditions of service of High Court Judges. The main consideration which seems to weigh with the Government in bringing forward this measure is that eminent lawyers do not like to become judges of the High Court or Supreme because they suffer a financial loss by becoming judges.

The Government is giving more facilities to High Court Judges, but no attention is being paid to improve the service conditions of judges in lower courts. Junior judicial officers, magistrates and session judges deserve a better deal. Their conditions of service should be improved. Also more facilities should be provided for better and more efficient functioning of lower courts.

At present, clients are exploited by lawyers who charge very high fee. This exploitation should be put an end to.

Under the prevailing system, posts of judges of High Courts and the Supreme Court are the monopoly of persons belonging to families of judges or eminent lawyers. This system should end and persons belonging to lower strata of society should also get an opportunity to become judges of High Courts.

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य अधिवक्ताओं में से भर्ती किये गये न्यायाधीशों को कुछ सुविधाएं प्रदान करना है। न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार करने की मांग लगातार कई वर्षों से की जा रही है और यहां तक कि जब 1954 में उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक इस सभा में पेश किया गया था तो अनुरोध किया गया था कि न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए ताकि अधिवक्ताओं में से प्रतिभावान वकील न्यायाधीश बनने के लिए आकर्षित हो सकें। सरकार यह विधान काफी लम्बे समय के बाद लाई गई है।

तर्क दिया गया है कि केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा पेंशन नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि अन्य कार्यों में रत लोगों को भी पर्याप्त रूप से वेतन आदि नहीं मिल रहा है और न्यायाधीशों को अधिक धन की परवाह नहीं करनी चाहिए। इस तर्क को हम तभी वैध करार दे सकते हैं जबकि हम ने अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तिगत आय और उनके बीच कोई अनुपात निर्धारित कर रखा हो। हमें मनन करने की वर्तमान प्रवृत्ति को ध्यान में रखना है और हम आदर्शवाद की बातें केवल न्यायाधीशों के लिए नहीं कर सकते।

श्री एच० आर० गोखले : मेरे विचार में माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। यह भेद केवल उपदान के मामले में है क्योंकि उपदान सर्विस जजों को पहले से उपलब्ध है परन्तु बार-जजों को नहीं। अब यह बार-जजों को उपलब्ध की जा रही है। अन्य प्रस्ताव सभी पर समान रूप से लागू होते हैं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : मेरा विचार है कि बदलती हुई परिस्थितियों में हम चाहते कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका को सभी प्रकार के प्रलोभनों से दूर रखा जाये। ऐसा केवल उस समय नहीं किया जाना चाहिए जब न्यायाधीश सेवारत हों अपितु उस समय भी किया जाना चाहिए जब वे सेवा से अवकाश ग्रहण कर लें। यह सच हो सकता है और नहीं भी हो सकता है किन्तु आम धारणा यह है कि जब न्यायाधीशों को सेव-निवृत्ति के पश्चात् सुविधाएं दी जा सकती हैं तो इससे लोगों के मन में जजों की निष्पक्षता के बारे में आशंका उत्पन्न हो जाती है।

1954 में सभा के प्रत्येक वर्ग ने यह मांग की थी कि न्यायाधीशों को सेवा-निवृत्ति के पश्चात् कहीं नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। संविधान में स्थायी न्यायाधीशों पर सेवा-निवृत्ति

[श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा]

के पश्चात् उसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। किन्तु वास्तविक उपबन्ध ये होने चाहिए कि न तो न्यायाधीशों को कोई पद स्वीकार करना चाहिए और न ही सरकार को उन्हें कोई पद देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सरकार अभी भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता में विश्वास रखती है। लोगों को उनकी निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता में विश्वास होना चाहिए, तभी हमारा लोकतंत्र समुचित ढंग से चलेगा।

कोई ऐसी परम्परा बनाई जानी चाहिए कि कम से कम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से न हो। वह बाहर से नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरे कुछ प्रतिशत न्यायाधीश बाहर से होने चाहिए। अतः, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बसंत साठे (अकोला) : मैं विधि मंत्री को इस चिर प्रतीक्षित विधेयक को पेश करने के लिए बधाई देता हूं। हम काफी अरसे से महसूस कर रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और पारिश्रमिक 1954 से बढ़ते चले आ रहे जीव ननिर्वाह व्यय के अनुरूप नहीं हैं। काले धन में वृद्धि के कारण अन्य लोगों विशेषकर वकीलों की आय में भी काफी वृद्धि हुई है।

विधि मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि देश में छोटे न्यायालयों में अधिकांश मुकदमेबाजी होती है। उनमें से बहुत कम लोग उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा पाते हैं। केवल धनी लोग इन न्यायालयों में जा सकते हैं। वास्तव में धनी लोगों को ही न्याय मिल पाता है क्योंकि वे बड़े-बड़े वकील कर सकते हैं। बड़े वकील अधिक फीस लेते हैं और इससे ही उनकी प्रसिद्धि बढ़ती है।

उच्च न्यायालय में 6 वर्षों के तथा उच्चतम न्यायालय में 5 वर्षों के मामले बकाया पड़े हुए हैं।

हम उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में वेतनों थे सुधार कर रहे हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि जनता को न्याय सुलभ हो सके। न्यायालयों में वर्षों से बकाया पड़े मामलों के निपटारे के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है। कभी यह कहा जाता था कि विलम्ब से किया गया न्याय न्याय, नहीं है। आज न्याय में विलम्ब अनिवार्य तत्त्व माना जाने लगा है।

[श्री सी० एम० स्टीफन पीठासीन हुए]

[SHRI C. V. STEPHEN *in the chair*]

वेतन निर्धारण का मामला 16 वर्ष से न्यायालय में है और आज भी उच्चतम न्यायालय में बकाया पड़ा हुआ है। श्रमिक मामलों के लिये कोई न्यायपीठ भी नहीं है। भूमि अधिग्रहण के सैकड़ों मामले उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़े हुए हैं। यदि एक मामले का निर्णय हो जाता है तो सैकड़ों मामलों का निपटारा हो सकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 3 महीनों में 9000 मामलों को निपटाया है।

श्री बसंत साठे : संवैधानिक पहलू की एक बात पर ही महीनों बहस चल सकती है। विधि मंत्री स्वीकार करेंगे कि यदि उच्चतम न्यायालय के ऊपर भी कोई और ऊंचा न्यायालय हो

तो 50 प्रतिशत निर्णय बदले जा सकते हैं। इस प्रकार देश में न्याय का कोई अन्तिम रूप हो सकता है? निम्न स्तर पर एक, दो, तीन अथवा पांच न्यायाधीशों के न्यायालय स्थापित करें उन्हें 50,000 तक के सिविल मामलों का क्षेत्राधिकार तथा 5 से दस वर्ष तक दण्ड देने का अधिकार दें। तब स्वाभाविक न्याय अधिक सुलभ हो सकेगा।

आज जबकि हम संविधानिक सुधारों के बारे में सोच रहे हैं, संसद् तथा विधान सभाओं के मामले में उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय से जांच की शक्तियां वापस ले लें। उसके स्थान पर एक समिति की स्थापना की जाये जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश, तथा विरोधी पक्ष के नेता अथवा उनके प्रतिनिधि को लिया जाये। साथ-साथ जनता न्यायालयों की स्थापना की जाये तब देश में वास्तविक न्याय सुलभ हो सकेगा।

आप न्यायाधीशों के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर रहे है उनके लाभों को प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के समान बनाया जा रहा है। अतिथि सत्कार भत्ते के नाम से 300 रुपये देना शोभा नहीं देता।

न्यूनतम पेंशन को 6,000 से बढ़ाकर 8,400 रुपये प्रति वर्ष किया जा रहा है। इसे 10,000 कीजिये। उन्हें गरिमापूर्वक रहने का अवसर दें। इस बजट सत्र में ऐसी व्यवस्था करें कि न्याय शीघ्र सुलभ हो सके तथा गरीब लोगों को भी न्याय मिल सके।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय): न्यायालयों से न्यायिक जांच के अधिकार को वापस लिया जाना गम्भीर मामला है, जिस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यह न्यायालयों का मुख्य कार्य है।

[**श्री बसन्त साठे पीठासीन हुए**
SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

मुझे इस विधेयक पर प्रसन्नता है। मैं समझता हूं कि पेंशन और अधिक होनी चाहिए। न्यायालय की स्वतंत्रता तथा सक्षमता महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ अधिवक्ता तो क्या कनिष्ठ अधिवक्ता में भी ऊपर के न्यायाधीश का पद स्वीकार नहीं करते। न्यायाधीशों के वेतनों और उनकी सेवा की शर्तों को अन्य अधिकारियो की सेवा की शर्तों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि सफल वकीलों को न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है। इन लोगों को पद स्वीकार करने से भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ती है। मैंने अनुच्छेद 220 का संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है जिससे कि ये लोग सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत न कर सकें। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह इस पर ध्यान दें। न्यायाधीश लोग सेवानिवृत्ति से पूर्व सभी प्रकार की राजनीतिक शक्तियों से अवसर पाने की चेष्टा करते हैं।

आप न्यायाधीशों को चयन करने का अवसर दें कि वे बढ़ी हुई पेंशन लेना चाहते हैं अथवा वकालत करना चाहते हैं।

श्री सी० एस० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। यह न्यायिक कदम है कि रुपये के घटे हुए मूल्य के सम्बन्ध में न्यायाधीशो की पूर्ति की जा सके। देश में ऐसा समझा जाता है कि न्यायपालिका जनता की आकांक्षाओ एवं परिवर्तन के पथ के पोषक नहीं सिद्ध

[श्री सी० एम स्टीफन]

हुई। देखने की बात यह है कि यह परिवर्तन जनता को स्वीकार्य है। आज संरचना बदल चुकी है। जितनी जल्दी परिवर्तन लाया जा सके उतना अच्छा है।

जहां तक उच्च न्यायालय का प्रश्न है हमारे संविधान में कुछ मूलभूत कमियां हैं। उच्चतम न्यायालय संवैधानिक मामला आने पर 5 न्यायाधीशों को एक न्यायपीठ गठित करता है। लेकिन उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकता है।

एक ही कानून को विभिन्न न्यायालयों में चुनौति दी जा सकती है और विभिन्न न्यायालय भिन्न-भिन्न निर्णय ले सकते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों पर स्वतः पुर्नविचार करने का अधिकार नहीं है। इन मामलों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है। आज न्यायालय ऐसा समझने लगे हैं कि "न्यायालय तीसरा सदन है।"

न्यायालय यहां तक भी कहते रहे हैं कि उनका कार्य कानूनों पर निर्णय लेना ही नहीं अपितु कानून बनाना भी है। उच्चतम न्यायालय पूर्व निर्णयों को बदलता भी रहा है जैसा कि गोलकनाथ के मामले में हुआ है। एक न्यायपीठ एक निर्णय देती है दूसरी न्यायपीठ दूसरा निर्णय देती है। मेरा तर्क यह है कि कानून का स्रोत जनता के प्रतिनिधि हैं, यह सदन है, तीन या चार व्यक्तियों की न्यायपीठ नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि न्यायालय जनता के रवैये से शिक्षा लेकर अपने व्यवहार को स्वयं सुधार लेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। मुझे याद है कि मंत्री महोदय को जब बम्बई के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद मिला तब उन्होंने कम वेतन होने के कारण उसे स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की थी। ऐसी स्थिति में न्यायाधीश किस प्रकार न्याय कर सकते हैं।

मैंने उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों के साथ तथा कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ भी बातचीत की है। वे लोग समझते हैं कि यह अपर्याप्त है। उन्हें संतोष है कि विधेयक इसी सत्र में लाया जा सका है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यात्रा भत्ते के रूप में दिये जाने वाले 300 रुपए, किराया भत्ते के रूप में दिये जाने वाले 700 रुपये को आयकर से मुक्त रखा जाये।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 3,500 रुपये वेतन मिलता है। तथा मुख्य न्यायाधीश को 4,000 रुपये मिलता है। आयकर काट कर इन्हें 2,100 रुपये बचते हैं। जिस न्यायाधीश के पास अपना मकान नहीं है उसे 1100—1200 रुपये उपलब्ध होते हैं। उनकी ऐसी दयनीय दशा है। अब जो भत्ते उन्हें दिये जा रहे हैं उसपर भी आयकर लगेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इन भत्तों पर आयकर न लगाने के मेरे सुझाव को स्वीकार कर लें। मेरा सुझाव है कि 1 अक्तूबर, 1974 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए न्यायाधीशों के मामले में भी इसे लागू किया जाये।

यहां मुख्य विचारणीय बात यह है कि न्यायाधीशों का भली प्रकार ध्यान रखा जाये। इन लोगों को जनता को न्याय प्रदान करना होता है। ये लोग वेतन के लिये न्यायपीठ में नहीं आते

हैं। न्यायपालिका को उचित प्रतिष्ठा न दिये जाने के कारण हम प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाते।

सम्भवतः मंत्री महोदय को पता होगा कि तमिल के एक दैनिक पत्र में प्रकाशित हुआ था कि मद्रास उच्च न्यायालय में एक महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के उपलक्ष में न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है। न्यायपालिका के लिये यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। देश में न्यायालय के प्रति जनता का विश्वास पैदा करना इस सदन का कार्य है। देश के उच्च न्यायालयों के 300 न्यायाधीश हैं तथा कुछ न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के हैं। उनमें से अधिकांश श्रेष्ठ न्यायाधीश हैं।

कुछ सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं कि न्यायाधीशों को जनता की वर्तमान आकांक्षाओं के अनुरूप रहना चाहिए। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। हमारे देश में अंग्रेजी पद्धति को अपनाया है इसलिए न्यायपालिका को उसी प्रक्रिया के अनुसार कानूनों की व्याख्या करनी होती है।

उपदान के हिसाब के लिये 20 के स्थान पर 30 दिन दिये जाने चाहिएं। राशि 28,000 रुपये के स्थान पर 50,000 रुपये और 22,000 रुपये के स्थान पर 40,000 रुपये रखनी चाहिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सेवानिवृत्ति के पश्चात यह लोग वकालत नहीं कर सकते।

सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को पुनः सेवा में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्हें यह आश्वासन मिलना चाहिए कि सेवानिवृत्ति के बाद वह शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। लोगों को न्याय उपलब्ध करवाने में जो विलम्ब होता है, वह भी नहीं होना चाहिए।

अन्ततः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीशों को अन्य राज्यों को स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 222 में स्पष्ट व्यवस्था है। अभी सुनने में आ रहा है कि न्यायाधीशों को स्थानान्तरित किया जा रहा है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि सरकार का कोई ऐसा विचार है तो उनका स्थानांतरण जून महीने में ही किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि इस विधेयक द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल कुछ सहायक लाभ उपलब्ध करवाये गये हैं परन्तु फिर भी यह विधेयक कुछ अन्य पहलुओं से काफी महत्वपूर्ण है।

हमें इस विधेयक को केवल वित्तीय देयता के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। अपेक्षणीय यह है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्थिति सुदृढ़ की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह अपने कर्त्तव्य को स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें। सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन्हें पुनः सेवा करने का लालच न रहे। प्रश्न उन्हें और अधिक लाभ देने का नहीं है अपितु आधारभूत प्रश्न तो न्याय के आधार को सुदृढ़ करने का है। प्रश्न इस उच्च पद की स्वतंत्रता तथा इमानदारी को बनाये रखने का है। यदि हम सभी यह चाहते हैं कि न्यायाधीश स्वतंत्र रहे, एकता को बनाये रखा जाये तो यह अनिवार्य है कि सेवानिवृत्ति की आयु पर उन्हें सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त कर दिया जाये। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि उन्हें कोई सरकारी कार्य न दिया जाये तथा न ही सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें वकालत करने के लिए ही मजबूर किया जाये।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

मेरा सुझाव यह है कि न्यायाधीशों के लिए दो बातें निश्चय ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रथम यह कि न्यायाधीश के पद पर कार्य करते समय न उनकी सेवा की शर्तें अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सेवानिवृत्ति के उपरान्त भी उन्हें उपदान, पेंशन तथा चिकित्सा सुविधाओं के लिए पर्याप्त धनराशि दी जानी चाहिए। वर्तमान विधेयक में इसकी पर्याप्त व्यवस्था की गई है अतः यही कारण है कि मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

मैंने दोनों पक्षों के विचारों को अच्छी तरह सुना है। मेरे कुछ माननीय मित्रों ने आधारभूत तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा संविधानिक विषयों को इस विधेयक के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं कि उन मामलों को प्रस्तुत विधेयक के साथ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य के साथ सभी सहमत होंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। सामान्यतः सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीशों को कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कुछ विशिष्ट मामलों में न्यायाधीशों की सेवायें अन्य किसी मामले के लिए अपेक्षित समझी जाती हैं तो उन्हें वह कार्य विशेष सौंपने से पहले उनकी स्वीकृति ली जानी चाहिए। मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त हमारे न्यायाधीशों का कार्य स्वयं उनके लिए तथा न्यायपालिका के लिए बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की स्थिति में यदि न्यायाधीशों को कुछ अधिक धन लाभ दिया जा रहा है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वर्तमान वित्तीय देयता से न्यायाधीशों की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।

Shri Ramavatar Shastri: Majority of the speakers who have participated in this discussion on the High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, belonged to legal profession. I am participating in this discussions as an ordinary participant. It is a matter of pleasure to have sympathy with the judges but it would have been a matter of more pleasure if the House had shown the same concession for the conditions of labour class also.

A sum of Rs. 300 has been provided in the Bill as Sumptuary Allowance for the Chief Justice of High Court. Next to it we are going to discuss a Bill regarding allowances of supreme Court Judges. Wherein it has been provided to give an allowance of Rs. 500 to the Chief Justice and Rs. 300 to the other judges of the Bench. I want to know why this facility has not been provided for the other judges of High Court. Why a discrimination has been made between the judges of Supreme Court and High Court.

Secondly, I want to submit that an attempt should be made to make the justice available to common man because now a days it is more within the reach of rich man. With these words, I support the Bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले): मुझे यह देख कर काफी संतोष हुआ है कि इस विधेयक पर जिन सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सभी ने विधेयक का समर्थन ही किया है।]

मेरे माननीय मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी की शिकायत यह रही कि न्यायाधीशों को जो कुछ दिया जा रहा है, वह काफी कम है। परन्तु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। न्यायाधीशों के वेतन संविधान के अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं और यदि हम उनके वेतनों में वृद्धि करने के लिए संविधान में संशोधन भी कर लें तो भी उनका वेतन 500 रुपये या 1000 रुपये से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। सत्य तो यह है कि वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत हमने न्यायाधीशों को काफी लाभ दे दिये हैं।

श्री ऐंथनी ने कहा है कि सेवा निवृत्ति के बाद न्यायाधीशों को पुनः नौकरी नहीं करने दी जानी चाहिए। इस उद्देश्य से कुटुम्ब पेंशन के लिए भी उपबन्ध किया जा रहा है। आजकल स्थिति यह है कि यदि कोई न्यायाधीश कार्यरत स्थिति में स्वर्ग सिधार जाता है, तो उसके परिवार को पेंशन नहीं मिलती है। अब न्यायाधीश के आश्रितों को वित्तीय सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है। इतना ही नहीं विधित वर्ग से आने वाले न्यायाधीशों को भी उपदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। न्यायाधीशों के लिए जिन दो व्यय भत्तों की व्यवस्था की गयी है, उनके बारे में चर्चा हुई है। मुख्य न्यायाधीश को मिलने कई लोग आते रहते हैं। जिला न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीश तथा मंत्री आदि उनसे मिलने आते हैं। यह साधारण सी शिष्टता है कि उनका आतिथ्य किया जाये। अतः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को व्यय सम्बन्धी भत्ता देने का उपबंध किया गया है। इस पर कर नहीं लगाया जायेगा।

उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 300 रुपये सवारी भत्ता दिया जाता है। विशेषकर बड़े शहरों में न्यायाधीशों को घर से उच्च न्यायालय जाने पर काफी खर्च करना पड़ता है क्योंकि उन्हें दूर-दूर जाना होता है। वस्तुतः यह भत्ता तभी देय है जब उन्होंने कार रखी हो। यह लाभ भी महत्वपूर्ण है जो उन्हें दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : वे टैक्सी से भी जा सकते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : टैक्सी उन्हें मंहगी पड़ेगी। सवारी भत्ता उन्हें तभी दिया जायेगा जब वे कार रखें।

हम जो कुछ न्यायाधीशों को दे रहे हैं, वह कम नहीं है इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हम उनके वेतन असैनिक कर्मचारियों के वेतत से भिन्न नहीं रख सकते। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह वेतन कम नहीं है। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को काफी अच्छा वेतन मिलता है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। सच तो यह है कि न्यायाधीशों को भी आम मनुष्यों की तरह आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना होता है। अतः जहां एक ओर यह सही है कि मनुष्य को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए वहां यह भी सच है कि आर्थिक पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक संशोधन दिया है जिसके बारे वे बोले भी हैं। इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है।

गत दो वर्षों के दौरान हम न्यायालयों के न्यायाधीशों को ही जांच के लिए नियुक्त करते आ रहे हैं। यह बात सच है कि सेवा निवृत न्यायाधीश जांच के लिए बहुत समय लेते हैं।

जांच में विलम्ब के अनेक कारण होते हैं। इसके लिए न्यायाधीशों को दोषी ठहराना उचित नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सेवा निवृत होने वाला व्यक्ति हमेशा नियुक्ति की प्रतीक्षा में रहता है।

श्री एच० आर० गोखले : यदि ऐसा हो रहा है तो यह नहीं होना चाहिए ।

सेवा निवृत्त न्यायाधीशों द्वारा वकालत शुरू करने का उल्लेख किया गया है । बड़े दुख की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों की भरमार है । दूसरी बात यह है कि वे नये वकीलों को वकालत करने से वंचित करते हैं । मैं स्वयं सेवा निवृत्ति न्यायाधीशों द्वारा वकालत शुरु करने की निन्दा करता हूं । मेरा अनुरोध है कि न्यायालय के कनिष्ठ सदस्यों को अवसर दिया जाए क्योंकि ऐसे सदस्यों को काम देना सरकार की जिम्मेदारी है । (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : उच्चतम न्यायालय के लिए एक पेनल है । राज्यों के लिए क्या व्यवस्था है ।

श्री एच० आर० गोखले : मैं आपसे पूरे निश्चय के साथ कह सकता हूं कि मैंने सेवा निवृत्त न्यायाधीशों तथा सेवा निवृत सरकारी अफसरों को पेनल में शामिल करने से इनकार कर दिया है । (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : बहुत कम ही लोग इससे लाभ उठा रहे हैं । (**व्यवधान**)

श्री एच० आर० गोखले : हम सेवानिवृत न्यायाधीशों की बात कर रहे हैं (**व्यवधान**)

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि न्यायाधीशों के पदों को इसलिए स्थायी नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने अमुक मामले में विपरीत निर्णय दिया है । यह सच नहीं है । पदों के स्थायी बनाने दथा निर्णयों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं हैं । हाल में एक ऐसे न्यायाधीश की पदोन्नति की गई है और उसे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया जिसने सरकार के विरुद्ध कई निर्णय दिए हैं । न्यायिक अभिनिर्णयों का पदों के स्थायी बनाने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : : क्या आप मेरे संशोधन को स्वीकार करने के लिए आश्वासन दे रहे हैं । ?

श्री एच० आर० गोखले : हम इस पर पृथकतः विचार करेंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि उच्च न्यायालय (न्यायाधीश सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार चर्चा करते हैं ।

खंड 2 के बारे कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 7

"and after sub-section (1) as so renumbered

'[और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्]' निम्नलिखित उपधाराएं अन्तःस्थापित की जायेंगी"

'and,'—

(a) in sub-section (1) as so renumbered, after the words "the First Schedule", the words "retires, or" shall be, and shall be deemed always to have been, inserted;

(b) after sub-section (1) as so amended,

'और :—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में "प्रथम अनुसूची" के पश्चात् "निवृत्ति या" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे और सदैव ऐसे अन्तः-स्थापित किए गए समझे जायेंगे;

(ख) इस प्रकार संशोधित उपधारा (1) के पश्चात्

(संशोधन संख्या 2)

(श्री एच० आर० गोखले)

पृष्ठ 2, पंक्ति 21 :—

'dies' (जिसकी मृत्यु) के स्थान पर 'retires or dies' (जिसकी निवृत्ति या मृत्यु) प्रतिस्थापित किया जाये

(संशोधन संख्या 3)

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 4क

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 5 was put and Negatived.

सभापति महोदय : खंड 5 तथा 6 के बारे में कोई संशोधन नहीं है । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 तथा 6 विधेयक के अंग बने " ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 तथा 6 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

खण्ड 7

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4, पंक्ति 2 :—

'Service' (जिसने सेवा के) के स्थान पर 'Service for Pensions' (जिसने पेंशन के लिए सेवा के) प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संशोधन सं० 4)

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 को, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7, as amended was, added to the Bill.

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 :—

"it shall" (यह) के स्थान पर "Save as otherwise provived, it shall (जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, यह)" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संशोधन सं० 1)

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 1 को संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

Supreme Court Judges Conditions of Service Amendment Bill.

सभापति महोदय : यह विधेयक भी पहले ही विधेयक के समान है। अतः इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं ...

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करते हैं।

प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2, was added to the Bill.

खण्ड 3

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 21 :—

'dies' (जिसकी **मृत्यु**) **के स्थान पर** 'retires or dies' (जिसकी निवृति या मृत्यु) प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संशोधन संख्या 1)

(श्री एच० आर० गोखले)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 को, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 2 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4, was added to the Bill.

खण्ड 5 तथा 6, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 5 and 6, Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

कार्य मन्त्रणा समिति का प्रतिवेदन

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

59वां प्रतिवेदन

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 59वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 9 मार्च, 1976/19 फाल्गुन, 1897 (शक) को 11 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday March 9, 1976/Phalguna 19, 1897 (Saka).

GMGIPND—L.S.III—543 (ai) L SD—29-6-76—200.

म० प्र० भा० स० मु० नं० दि०—लोक सभा० III—543 लोक सभा डी०—29-6-76—200.